खण्ड २ — अंक ३७
११ अप्रैल, १९५६, (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३१०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३९ से १३४२, १३५०, १३५१, १३५३ से १३५५, १३५७, १३५९, १३६०, १३६३, १३६५, १३६६, १३६८, १३७० से १३७२, १३७७, १३७९, १३८१ और १३८२ ... ... १३१०–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३३८, १३४३ से १३४९, १३५२, १३५६, १३५८, १३६१, १३६२, १३६४, १३६७, १३६९, १३७३ से १३७६, १३७८, १३८० और १३८३ से १३८५ ... १३३१–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६५ से ९३० क. १३३९–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १३६२–६५

लोक-सभा

बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा—गौहाटी

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मार्ग विकास निधि

†*१३३९. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन रोड कांग्रेस के २०वें सम्मे ान की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने सभी सड़कों के विकास तथा देख-भाल के लिये व्ययगत होने वाली 'संविहित निधि' बनाने की योजना पर विचार किया है; और

(ग) क्या कर जाँच आयोग की अखिल भारतीय ग्राम यातायात सम्बन्धी निधि बनाने की सिफारिश पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). सरकार को अभी तक बीसवीं इंडियन रोड कांग्रेस की सिफारिशें नहीं प्राप्त हुई हैं। किन्तु कर जाँच आयोग ने जो 'व्ययगत न होने वाली निधि' के बनाने के सम्बन्ध में सिफारिश की है सरकार उस पर विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में उसने राज्य सरकारों को भी लिखा है।

(ग) देश की ग्रामीण यातायात सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या परिवहन मंत्रालय ने एकमात्र देश की सड़कों के विकास तथा देख-रेख में लगाने के लिये कभी वित्त मंत्रालय से उस राशि का कोई भाग मांगा है जो मोटर गाड़ियों, उनके लिये अतिरिक्त सामान तथा पेट्रोल आदि के आयात के कर के रूप में वसूल किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक कार्य पूरक सुझाव है । वह चाहते हैं कि उस धन का कुछ भाग सड़कों के विकास के लिये निश्चित होना चाहिये ।

†**श्री अलगेशन** : यह एक पेचीदा प्रश्न है । जहाँ तक केन्द्र का सम्बन्ध है हमने पेट्रोल कर में से २·५ आने निकाल कर एक 'व्ययगत न होने वाली केन्द्रीय सड़क निधि' बनाई हुई है । कर जाँच आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों में भी ऐसी निधि होनी चाहिये, हम उनके विचार जानने के लिये उनसे पत्र व्यवहार कर रहे हैं । जहाँ तक अखिल भारतीय ग्राम यातायात विकास निधि के बनाने का सम्बन्ध है सरकार ने उस पर विचार कर लिया है और परिवहन मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग को भेज दी हैं । इसी के परिणामस्वरूप हम इस सम्बन्ध में एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जो इसकी सारी आवश्यकताओं का अनुमान लगायेगा ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : आपने कहा है आप राज्यों से पत्र व्यवहार कर रहे हैं क्या मैं जान सकता हूँ कि इस प्रकार की व्ययगत न होने वाली निधि के बनाने की बातचीत कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह राज्य सरकारों के उत्तर पर निर्भर है ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो स्पेशल आफिसर (विशेष पदाधिकारी) नियुक्त किया जा रहा है उसको क्या कोई विशेष हिदायतें दी जा रही हैं और क्या उस के कार्य के लिये कोई अवधि निर्धारित की जा रही है कि कितने दिनों के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट देगा ?

†**श्री अलगेशन** : मैंने कहा है कि हम उस विशेष अधिकारी की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । हम यह कार्यवाही वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से ही करेंगे ।

अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना

†*१३४०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिये होम्योपैथी चिकित्सा की सुविधा भी देना चाहती है;

(ख) यदि नहीं, तो किस लिये; और

(ग) क्या यह सत्य है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने होम्योपैथी द्वारा चिकित्सा की जाने की इच्छा प्रकट की है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) अभी तक सरकार ने अपने कर्मचारियों के इलाज के लिये केवल आधुनिक चिकित्सा पद्धति को ही मान्यता दी है ।

(ग) कुछ लोगों ने ऐसी इच्छा प्रकट की है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : सरकार किस विशेषता पर किसी पद्धति को "आधुनिक पद्धति" कहती है उन विशेषताओं के आधार पर एलोपैथी कहाँ तक आधुनिक है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि एलोपैथी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली नहीं है ?

†**श्री, डी० सी० शर्मा** : मैं पूछता हूँ कि किन आधारों पर किसी प्राणाली को आधुनिक करार दिया जाता है और क्या होम्योपैथी की भी उन्हीं आधारों से जाँच की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: मुझे समझ नहीं आता है कि इस प्रश्न का मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है। फिर भी मैं यह कह सकती हूँ कि 'आधुनिक चिकित्सा प्रणाली' शब्दों में वह सभी ज्ञान शामिल हो जाता है जो युगों से वैज्ञानिक ढंग से संचित किया गया है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या उस ज्ञान में होम्योपैथी का कोई स्थान है अथवा नहीं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सामान्य परिभाषा में होम्योपैथी नहीं शामिल है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्रिणी महोदया यह बतलायेंगी कि क्या यह सच है कि जहाँ-जहाँ कंट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम चालू की गई है वहाँ लोगों की तन्ख्वाह से तो पैसे कट जाते हैं लेकिन उन की बहुत उपेक्षा और लापरवाही की जाती है तथा उन का ठीक तरह से इलाज नहीं होता। यदि यह सत्य है तो क्या इस का प्रबन्ध किया जा रहा है कि यह चीजें न होने पायें ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो कुछ आप ने कहा है वह बिल्कुल सच नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : आप को पता नहीं है, मैंने खुद इन्क्वायरी (जाँच) की है और मुझे अफ़सोस है कि मैं कह रहा हूँ वह बहुत अधिक सत्य है।

राजकुमारी अमृत कौर : मैं आप से कहती हूँ कि आप मेरे साथ चलिये, किसी भी दिन किसी डिस्पेन्सरी में चलिये, तो आपको सही बात मालूम हो जायगी। मेरे पास एक कमेटी है जिस पर चपरासियों तक का रिप्रेजेन्टेशन है, और वह हर हफ्ते या पन्द्रह दिन पर आ कर मेरे साथ बातचीत करते ह। अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो उस पर ध्यान दिया जाता है। और इस योजना को काफी सफलता मिल रही है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्रिणी महोदया को मालूम है कि एक एम० पी० की पत्नी बहुत जरूरी काम से अस्पताल में दाखिल हुई, लेकिन २४ घंटे तक उन की कोई देख-भाल नहीं हुई ? उन से पूरा पैसा लिया गया लेकिन फिर भी उन को कोई सहूलियत नहीं मिली ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं ने आप से कहा कि इस के बारे में मैंने जांच की है। और अगर मेम्बर साहब चाहें तो मैं उन को इस के बारे में पूरा ब्योरा दे सकती हूं जो कुछ उन्होंने कहा है वह बिलकुल गलत है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या इस योजना में रोगियों को अपने मर्जी के डाक्टर चुनने की छूट नहीं है और क्योंकि उन्हें केवल सरकार द्वारा निश्चित डाकटरों से ही इलाज करवाना पड़ता है इससे कई लोग इस स्कीम का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाते हैं ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : यदि माननीय सदस्य इस योजना से लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या को देखें तो उन्हें पता लग सकता है कि इससे कितने अधिक लोग लाभ उठा रहे हैं। सरकार डाक्टरों को डिस्पेंसरियों में ही नियुक्त करती है और प्रत्येक व्यक्ति स्वभावत: अपनी निकटतम डिस्पेंसरी में ही जाता है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति डिस्पेंसरी बदलना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। उस पर किसी किस्म का प्रतिबन्ध नहीं है।

कांडला पत्तन

†*१३४१. **श्री गाडिलिंगन गौड़**: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि काडला पत्तन के निर्माण में लगभग १४ करोड़ रुपये लगेंगे :

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) क्या यह सत्य है कि इस बन्दरगाह के निर्माण के लिये दो भारतीय और एक जर्मन सार्थ ने ठेका लिया है;

(२) इन सार्थों के नाम;

(३) क्या यह सत्य है कि इस करार में एक अच्छी स्थिति का सार्थ भी शामिल था और पीछे सरकार ने उसे अपने आपको हटाने की अनुमति दी है;

(४) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं; और

(५) क्या यह सत्य है कि वर्तमान ठेकेदारों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और इसी कारण से काम निश्चित समय से पिछड़ रहा है; और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र में कोलतार की सड़क बिछाने के लिये प्रतिमील २ लाख रुपया की असाधारण राशि दी जा रही है;

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) (१) और (२) कुल मिला कर ६·२५ करोड़ रुपये का काम एक सार्थ को दिया गया था जिस में मूलतः निम्नलिखित व्यक्ति थे :

(क) मेसर्ज़ मेकेन्ज़ीज़ इंडिया लिमिटेड

(ख) मेसर्ज़ सिन्धु रिसेटलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और

(ग) मेसर्ज़ हेनरिक बुज्ज़र

(३) जी हाँ

(४) मुख्यतः हिस्सेदारों के बीच समझ-बूझ के अभाव के कारण

(५) नहीं

(ग) २ लाख रुपया प्रति मील की दर कोई असाधारण दर नहीं है । ख़ासकर जब हम उस इलाके के ज्वार भाटों की ओर देखते हैं तथा उन सड़कों के लिये प्रयोग किये गये उपकरणों की उत्तमता की ओर देखते हैं ।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़**: क्या सरकार ने उस काम को करने के लिये आवश्यक मशीनरी ख़रीदने के लिये ठेकेदारों को अग्रिम ऋण देने के लिये एक असामान्य प्रक्रिया अपनाई है ? यदि हाँ, तो सरकार अच्छी पार्टियों को इस संविदा से क्यों हटने दे रही है और क्यों इस प्रकार की अनियमितताएं होने दे रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब अभिधारणाएं ग़लत भी हो सकती हैं और ठीक भी । अतः प्रश्न में किसी प्रकार की अभिधारणाएं नहीं करनी चाहियें । सीधा-साधा प्रश्न यूं होना चाहिये कि जब तक व्यक्ति बिना अग्रिम धन लिये काम करने के लिये प्रस्तुत होता है तो, फिर एक दूसरे ठेकेदार को क्यों एडवांस दिया गया है ? इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री अलगेशन** : यह अग्रिम धन सरकार और ठेकेदरों की सार्थ के बीच होने वाले करार के अनुसार दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इन में से एक अच्छी स्थिति वाले व्यक्ति को हटने दे कर एक ऐसे व्यक्ति को क्यों लिया गया है जो रुपया लगाने की स्थिति में नहीं था और फिर उसे अग्रिम रुपया क्यों दिया गया है । माननीय सदस्य इसी को अजीब प्रक्रिया कह रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : यह संविदा सार्थ के साथ उस समय किया गया था जब वह हिस्सेदार भी उसमें शामिल था जो पीछे से निकल आया था। मेरा यह कहना है कि इसमें कोई नई बात नहीं की गई है।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार एक साधारण कंकरीट की सड़क के लिये २ लाख रुपया प्रति मील की दर को कैसे असाधारण नहीं समझती है ?

†**श्री अलगेशन** : सामान्यतः अगर ऐसी ही सड़क बनाई जाय तो उस पर प्रति मील १ लाख रुपया व्यय हो सकता है। किन्तु उस इलाके में अधिकतर ज्वार-भाटे आते रहते हैं अतः वहाँ अपेक्षाकृत ऊँचे किनारे बनाने पड़े हैं। फिर दूसरे वहाँ की मिट्टी भी बहुत ढीली है। इन कारणों से वहाँ पर अधिक व्यय हुआ है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या सरकार को यह ज्ञान है कि राज्य सरकारों का यह अनुभव है कि पहाड़ी इलाके में भी कोलतार की सड़क बनाने का व्यय प्रति मील ५० से ७५ हज़ार रुपये तक होता है, ऐसी हालत में वहाँ पर यह कीमत २ लाख रुपये क्यों आ रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है कि वहाँ पर प्रति मील २ लाख रुपये क्यों व्यय आ रहा है ?

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या वर्तमान ठेकेदार को कोई अग्रिम धन दिया गया है यदि हाँ तो किस गारंटी पर ?

†**श्री अलगेशन** : मशीनरी तथा उपकरणों आदि की गारंटी पर। और यह अग्रिम धन किश्तों में उन बिलों से काट लिया जाता है जो कि सरकार को उनको देने होते हैं। सामान्यतः ऐसा ही किया जाता है। इसमें कोई असाधारण बात नहीं है।

†**श्री वेलायुधन** : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस व्यक्ति को उस समय अग्रिम धन दिया गया था जबकि उनमें अच्छी स्थिति वाली पार्टी भी थी। जब एक अच्छा व्यक्ति उपस्थित था तो उस को यह अग्रिम धन क्यों सौंपा गया ? क्या जनता उसे पक्षपात नहीं मानेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने एक पहले प्रश्न में यह स्थिति स्पष्ट कर दी है। माननीय सदस्य उनके उत्तर को नहीं समझ पाये हैं। उन्होंने यह कहा है कि यह करार विशेष परिस्थिति में किया गया था और उस समय उस में वह अच्छी पार्टी भी थी। उन्होंने यह कहा था कि इस हिसाब से इस में कोई भी नई बात नहीं है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह सामान्य आधार पर हुआ है ? क्या इसमें कुछ भी असामान्य बात नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सरकार पर दबाव डाल कर नहीं मनवा सकते हैं। वह केवल सूचना की मांग कर सकते हैं। यदि वह सरकार द्वारा बताई गई बातों से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वह अन्य प्रक्रियाओं का सहारा ले सकते हैं।

†**श्री वेलायुधन** : एक प्रश्न, श्रीमान् मंत्री महोदय ने कहा है कि अच्छी स्थिति वाली पार्टी वहाँ उपस्थित थी। इस का यह अभिप्राय नहीं है कि वह काम करने को तैयार न थे। उन्होंने यह नहीं बताया है कि वह काम लेने के लिये तैयार न थी और उसने सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

†**श्री अलगेशन** : श्रीमान् यदि आप अनुमति दें तो.....

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। मैं प्रश्न काल को वाद-विवाद के समय में नहीं बदलना चाहता हूँ। सभा के सामने कोई विषय लाने के लिये और कई तरीके हैं। मैं इस समय और इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि प्रश्नों में नीति सम्बन्धी विषयों पर विवाद होना शुरू हो गया है। माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में विनिर्णयों तथा नियमों का अध्ययन करके सभा में आना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

एरणाकुलम-क्विलोन रेलवे

†*१३४२. **श्री वेलायुधन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एरणाकुलम और क्विलोन के बीच रेलवे लाइन के निर्माण की इस समय क्या स्थिति है;

(ख) १९५५–५६ तक इस रेलवे लाइन में कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) कार्य की कुल प्रगति ५३ प्रतिशत हुई है ।

(ख) फरवरी १९५६ के अन्त तक ३ करोड़ रुपया व्यय हुआ है ।

†**श्री वेलायुधन** : एरणाकुलम से क्विलोन तक अब तक कुल कितने मील रेलवे लाइन बनी है ।

†**श्री अलगेशन** : मैंने कुल कार्य के आंकड़े दे दिये है । मेरे पास यह बताने के लिये कि यथार्थ में कितने मील लम्बी रेलवे लाइन बनी है, विवरण नहीं है । मेरी जानकारी यह है कि कोट्टायम और एरणाकुलम के बीच की लाइन इस वर्ष सितम्बर तक खुलने के लिये तैयार हो जायेगी ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मंत्रालय को मालूम है कि यही प्रश्न प्रति वर्ष पूछा जाता है और मंत्रालय सदैव यही उत्तर देता है अर्थात् अगस्त या सितम्बर तक खुल जायेगी । पिछले दो वर्षों से यही बताया जा रहा है इस लाइन के एरणाकुलम और कोट्टायम भाग (सैक्शन) के न खुलने का क्या कारण है । क्या मैं जान सकता हूँ कि किन सामग्रियों के अभाव में सरकार को इस लाइन के खोलने में रुकावट हो रही है ?

†**श्री अलगेशन** : यदि माननीय सदस्य पिछले के प्रश्न और उत्तरों को देखेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि उत्तरों में कोई विरोधाभास नहीं है वस्तुतः उन्हें भ्रांति हुई है । इस विशेष प्रश्न का अर्थात् इस्पात इत्यादि तथा अन्य सामग्री के अभाव में इसे इसके पूर्व खोलना सम्भव न हो सका, उत्तर मेरे द्वारा ही दिया गया था । मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये इस प्रश्न का उत्तर आज पहली बार ही नहीं दे रहा हूँ । मैं इसका उत्तर कई बार पहले भी दे चुका हूँ ।

†**श्री पुन्नूस** : कोट्टायम से क्विलोन तक की लाइन का निर्माण कब होगा और कब तक निर्माण कार्य समाप्त हो जायगा ।

†**श्री अलगेशन** : यह १९५७ के प्रारम्भ तक अर्थात अगले वर्ष तक पूर्ण हो जायगा ।

†**श्री वेलायुधन** : यह कहा गया था कि इस सारी लाइन में लगभग ६।। करोड़ व्यय होगा । अब तक लगभग २।। करोड़ रुपया व्यय हुआ है और लगभग ३३।। प्रतिशत लाइन का निर्माण हुआ है क्या मंत्री जी द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार व्यय मूल प्राक्कलन से अधिक हो जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : इस समय मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ । किन्तु मेरे विचार से व्यय मूल प्राक्कलन से बहुत अधिक नहीं होगा थोड़ा अन्तर हो सकता है किन्तु वह मूल प्राक्कलन से बहुत अधिक नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संख्या १३४३, १३४४, १३४५, १३४६, १३४७, १३४८, १३४९, सभी अनुपस्थित हैं । तब इस प्रश्न काल का क्या लाभ ? माननीय सदस्य प्रश्न देते हैं किन्तु सभा में नहीं आते हैं ।

समाक्ष तारों (को-एक्सियल केबल) का निर्माण

†*१३५०. **श्री पुन्नूस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में समाक्ष तारों का निर्माण किया जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या किसी विदेशी सार्थ के साथ तारों के संभरण के लिये कोई करार किया जाने वाला है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या विवरण है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). अब तक समाक्ष तारों के निर्माण के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । किन्तु ब्रिटेन की 'स्टेंडर्ड टेलीफोन एंड केबल' कम्पनी के साथ एक सामान्य करार किया गया है जिसके अनुसार सरकार एस० टी० सी० कम्पनी (स्टेंडर्ड टेलीफोन एंड केबल कम्पनी) से आयात होने वाले टेलीफोन तारों का २५ प्रतिशत खरीदने में सहमत हो गई है । इसके बदले में कम्पनी हमारे देश में ऐसे तारों के निर्माण के लिये टेक्नीकल सहायता की व्यवस्था करेगी ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या किसी अन्य विदेशी कम्पनी ने भी इस सम्बन्ध में सरकार के समक्ष अपनी शर्तें रखीं हैं ।

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैं कह चुका हूँ, हम स्टेंडर्ड टेलीफोन कम्पनी के साथ एक विशेष व्यवस्था कर चुके हैं । इसके बदले में हम उनसे 'हिन्दुस्तान केबल्स् लिमिटेड' रूपनरायणपुर में समाक्ष प्रकार के तारों के निर्माण के लिये, टेक्नीकल सहायता इंजीनियरिंग जानकारी, चित्र तथा अन्य वस्तुओं को पाने की आशा करते हैं ।

रेलों पर भोजन-व्यवस्था के ठेके

†*१३५१. **श्री कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में भोजन व्यवस्था के ठेके किस आधार पर दिये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार उनमें से बहुत से ठेकों को समाप्त करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो ये ठेके कब तक समाप्त कर दिये जायेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ये ठेके ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को, जिन्हें भोजन-व्यवस्था का समुचित अनुभव हो, दिये जाते हैं । मुख्यत: इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वे प्रबन्ध पर खुद निगरानी रख सकेंगे या नहीं । अन्य बातें समान होने पर, उन क्षेत्रों में बसे हुए अनुभवी शरणार्थी भोजन व्यवस्था करने वालों को अधिमान्यता दी जाती है । इस बात की सावधानी से जाँच कर ली जाती है कि कहीं वे इन ठेकों को अपनी तरफ़ से किसी दूसरे व्यक्ति को तो न दे देंगे ।

एक व्यक्ति या सार्थ अधिकतम कितने ठेके ले सकता है, इसकी संख्या विदित की गई है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) कुछ ठेके १–४–५६ से समाप्त हो गये हैं । इस तारीख से समाप्त होने वाले कुछ अन्य ठेकों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । कुछ अन्य ठेकों को १–४–५७ से समाप्त करने का विचार है ।

†**श्री कामत** : मंत्री जी द्वारा प्रश्न के भाग (क) में निर्देशित ठेकों की अधिकतम संख्या क्या विदित की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : ये नियम भोजन व्यवस्था समिति द्वारा, जिसने इस प्रश्न पर विचार किया था, निश्चित किये गये हैं और विस्तार से बताये गये हैं । जलपानगृहों और उपहारगृहों के अधिकतम बारह ठेके दिये जा सकते हैं । विशेष क्षेत्र के अन्दर खोमचा लगाने के सम्बन्ध में अधिकतम ७ ठेके दिये जा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : क्या सरकार ने रेलों में भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में कृपालानी समिति की सारी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और यदि नहीं, तो कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं ?

†**श्री अलगेशन** : इस प्रश्न पर भोजन व्यवस्था समिति में विचार किया जा चुका है। कृपालानी समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया और भोजन-व्यवस्था समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। सरकार ने उन सब को स्वीकार कर लिया है और वह कार्यवाही करने वाली है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या सरकार ने कोई ऐसी तरकीब सोची है कि जब इन पुराने ठेकों के समाप्त होने पर कुछ कर्मचारी बेकार हो जाते हैं तब उन्हें किस प्रकार नौकरी में खपाया जा सकता है अथवा वैकल्पित कार्य दिया जा सकता है ?

†**श्री अलगेशन** : विभागीय भोजन व्यवस्था प्रारम्भ करने पर यह हम यथासम्भव उन लोगों को नियुक्त करने का प्रयत्न करते हैं जो कि पहिले ठेकेदारों के यहां काम करते थे।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि अप्रैल की पहली तारीख को जो नये टाइम टेबिल (समय सारिणी) निकले हैं उनमें जो केटरिंग की रेट (भोजन की दरों) निकली हैं वह पहले से भी ज्यादा है तब कि खाना और ज्यादा खराब हो गया है ?

†**श्री अलगेशन** : कुछ समय पूर्व स्टेडर्ड भोजन और स्टेंडर्ड मूल्य की व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी। मूल्य पहले की दरों से काफी कम थे। हो सकता है कि माननीय सदस्य का यह अनुभव हो कि भोजन पहिले से घटिया हो गया है। लेकिन मुझे कई अन्य लोगों ने यह बताया है कि भोजन की किस्म में सुधार हुआ है भले ही मूल्यों में कमी हुई है।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : पूर्व रेलवे में १९५६ में कितने नये विभागीय भोजन-व्यवस्था संस्थापनों का प्रारम्भ किया जायगा ?

†**श्री अलगेशन** : पूर्व रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था प्रारम्भ करने के लिये चार स्टेशन लिये गये हैं। परन्तु क्योंकि सम्बन्धित ठेकेदार इस मामले को न्यायालय तक ले गया है हमें उच्च न्यायालय की एक आज्ञप्ति मिली है और इसलिये हमने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया है।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि कितने समय में सारे भारत में विभागीय भोजन व्यवस्था हो जानी चाहिये ?

†**श्री अलगेशन** : हमने कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, कि इतने समय में सारे देश में विभागीय भोजन-व्यवस्था लागू हो जानी चाहिये। बात यह है कि हमने रेलवे में उन स्थानों पर विभागीय भोजन-व्यवस्था करने का निश्चय किया है जहाँ उससे पूर्व विभागीय भोजन-व्यवस्था नहीं थी और कुछ स्थान निश्चित कर लिये गये हैं। अभिप्राय यह है कि विभागीय भोजन-व्यवस्था और निजी भोजन-व्यवस्था एक दूसरे का लाभ उठाते हुए साथ-साथ जारी रहें।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि कुछ ठेकेदारों ने ३० जून तक का अनुज्ञप्ति शुल्क दे दिया है लेकिन उनके ठेके मार्च से ही समाप्त कर दिये गये हैं।

†**श्री अलगेशन** : सम्बद्ध माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान एक विशेष मामले की ओर आकर्षित किया है और मैं उसकी जांच कर रहा हूँ।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या वे ठेकेदार जिन्होंने अपने ठेके दूसरों को किराये पर दिये हैं उनका नाम कृष्ण सूची (ब्लैक लिस्ट) में दर्ज किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : जी हाँ । हम ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हैं जिनके विरुद्ध यह आरोप सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने ठेका अपनी ओर से किसी और को दे दिया । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि हमारा अनुभव यह रहा है कि इस आरोप को सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है । एक मामले में, जहाँ यह सिद्ध हो गया था, ठेकेदार को हटा दिया गया ।

†**श्री कामत** : हमारी रेलों में एक व्यक्ति के अधीन भोजन व्यवस्था के अधिकतम कितने ठेके हैं ? क्या उसके ठेकों को कम करने की कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य नाम जानते हैं । ठेकों की यथार्थ संख्या उन्हें भोजन व्यवस्था समिति के प्रतिवेदन से ज्ञात हो जायेगी । यह उसमें दी हुई है । यह १०० या १५० से अधिक है । मुझे एक अकेले व्यक्ति के द्वारा लिये गये ठेकों की यथार्थ संख्या ज्ञात नहीं है । हमने एक ही व्यक्ति को दिये गये ठेकों की संख्या को घटाने और उन्हें संहत क्षेत्रों में रखने की कार्यवाही की है जिससे कि सम्बन्धित ठेकेदार अच्छी तरह देख-भाल कर सकें ।

†**श्री पुन्नूस** : सरकार यह शर्त लगाने से क्यों हिचकती है कि जब नया ठेका दिया जाये—जैसा कि मालाबार होटल का दिया गया—तब नये ठेकेदार को पुराने सभी कर्मचारियों को खपा लेना होगा ?

†**श्री अलगेशन** : बात यह है कि हम किसी व्यक्ति को पुराने ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी आदमियों को रखने के लिये विवश नहीं कर सकते हैं । उनसे यथासम्भव अधिक से अधिक पुराने कर्मचारियों को रखने को कहा जाता है । यह किया जा रहा है ।

†**श्री फ़ीरोज गांधी** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने बहुत विलम्ब कर दिया है ।

आसाम रेल सम्पर्क

†*१३५३. **सरदार अकरपुरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे आसाम रेल सम्पर्क का पुनरुद्धार करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो यह किस प्रकार का प्रस्ताव है, तथा यह काम कब तक समाप्त होगा; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक प्रारम्भिक इंजीनियरी सर्वेक्षण किया गया जिसका उद्देश्य यह था कि माल जंकशन और विन्नागुड़ी के वर्तमान मार्ग के स्थान पर रामशाई और बिन्नागुड़ी के बीच मार्ग बनाये जाने की सम्भावना का पता लगाया जाय । सर्वेक्षण का प्रतिवेदन विचाराधीन है । जलधका और तोरसा नदी में नीचे की ओर अच्छे क्रासिंग बनाने की सम्भावनां के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं । रेलवे लाइन को स्थायी बनाने के व्यावहारिक उपचारों पर और यदि यह सम्भव न हो तो उपयुक्त वैकल्पिक तरकीबों पर सुझावों का प्रतिवेदन देने के लिये एक छोटी टेक्नीकल समिति की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीमती खोंगमेन** : इस विषय में मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार हमें यह आश्वासन दे सकती है कि विद्यमान रेल का रास्ता इस वर्ष की वर्षा और बाढ़ को सहन कर सकेगा ?

†**श्री अलगेशन** : यही प्रश्न तो विशेषज्ञों द्वारा जांचा जा रहा है । हम इस रास्ते को नीचे दक्षिण की ओर बनाना चाहते हैं ताकि वह बाढ़ को सहन कर सके, उसके साथ बहने न पावे और विद्यमान मार्ग की भांति खराब न होने पावे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० सी० देव** : यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित हो सकेगा ?

†**श्री अलगेशन** : इस प्रश्न पर पूर्णतया विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिये हम एक समिति भी नियुक्त कर रहे हैं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : जब आसाम रेल सम्पर्क स्थापित किया गया तब भी क्या किसी विशेषज्ञ-समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था और यदि हाँ, तो उस के सुझाव क्या थे ?

†**श्री अलगेशन** : माननीय सदस्य को और सभा को विदित है कि यह काम किन परिस्थितियों में किया गया था । यह विभाजन के तुरन्त बाद हुआ था । समस्त आसाम प्रान्त शेष भारत से पृथक् हो गया था । यह काम बहुत जल्दी किया गया था और एक विशेष अवधि में समाप्त किया गया था । ऐसी दशा में भूतत्वीय स्थिति पर ध्यान देना संभव न था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री अमजद अली** : श्रीमान्, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं । माननीय सदस्यों को अधिक सावधान रहना चाहिए । यदि वे खड़े हो जायें तो मुझे उनका स्मरण रहेगा और जब तक वे सब या उन में से अधिकांश व्यक्ति प्रश्न न कर लें मैं अगला प्रश्न नहीं लूंगा; किन्तु अंतिम प्रश्न तक भी यदि कोई सदस्य निश्चय न करे तो फिर मैं लाचार हूँ ।

†**श्री कामत** : सभा की सब ओर से सदस्यों के लिये यह कैसे संभव है कि वे अध्यक्ष महोदय का ध्यान अपनी ओर खींच सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे दो आंखें हैं और मैं भली भांति देख सकता हूँ ।

लिटन-उखरूल मार्ग

†*१३५४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिटन-उखरूल सड़क का निर्माण प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सड़क के लिये कितनी रकम आबंटित की गई है; और

(ग) उस के बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). लिटन-उखरूल सड़क (पुलों के अतिरिक्त) के निर्माण के लिये १०·०६ लाख रुपये के अनुमानित व्यय पर स्वीकृति दी गई है । राज्य सरकार पुलों की योजना और प्राक्कलन तैयार कर रही है । सड़क का काम जनवरी, १६५६ में आरम्भ किया गया था और उसे पक्की करने के अतिरिक्त अन्य कार्य अप्रैल, १६५६ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : सड़क की लम्बाई कितने मील है ? यह सड़क कब तक बन चुकेगी और बारह महीनों काम आने योग्य बन सकेगी ?

†**श्री अलगेशन** : सड़क की लम्बाई लगभग २० मील है । मैंने अभी बताया है कि सड़क अप्रैल तक बन जायेगी और उसे पक्की करने का काम उसके बाद पूरा हो जायगा । इस की कोई अवधि नहीं है । यह तो लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रगति पर निर्भर करता है ।

†**श्री अमजद अली** : क्या यह सड़क आसाम में राष्ट्रीय राजपथ का एक भाग बनेगी और इसे कहाँ तक बढ़ाया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : जहाँ तक मुझे याद है, यह राष्ट्रीय राजपथ का भाग नहीं है।

†**श्री अमजद अली** : क्या इसे राष्ट्रीय राजपथ से जोडा जायगा ?

†**श्री अलगेशन** : इसका मुझे पता नहीं। मेरा ख्याल है कि यह सड़क राष्ट्रीय राजपथ से पहले ही जुड़ी हुई है।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या यह सच है कि यह मार्ग धान की जलाधिक्य खेती वाले हिस्सों और झूम खेतों में होकर गुजरता है तथा उनके मालिकों ने क्षतिपूर्ति की मांग की है और यदि हाँ तो क्या सरकार ने उन के मामले पर विचार किया है ?

†**श्री अलगेशन** : राज्य सरकार यथावश्यकता क्षतिपूर्ति देगी। जब कभी हम सड़क बनाते हैं तो ऐसा ही होता है।

कोसी परियोजना प्रशासन को चावल भेजना

†*१३५५. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी परियोजना प्राधिकार (बिहार) द्वारा कोसी में काम करने वाले श्रमिकों के लिये उन्हें चावल भेजने की कोई मांग की गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो कितना चावल मांगा गया था। और संघ सरकार द्वारा कितने की स्वीकृति दी गई; और

(ग) वह किन शर्तों पर दिया गया ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) हाँ श्रीमान्।

(ख) और (ग). कोसी परियोजना प्रशासन ने २५,००० मन चावल की मांग की थी और इस की स्वीकृति उन्हें सेंट्रल रिजर्व डिपो, इलाहाबाद के गोदाम से बोरियों की कीमत सहित १४ रुपये प्रति मन के हिसाब से लेने के लिये दे दी गई है।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : उन्हें आयात किया हुआ चावल दिया गया था या देसी चावल ? यदि वह आयात किया हुआ था तो क्या देसी चावल देना संभव न था ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : हम ने बर्मा का चावल दिया है। उन्हें देसी चावल देना संभव न था क्योंकि उस स्थान पर ऐसा चावल नहीं है।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : बर्मा के चावल और देसी चावल की कीमत में कितना अंतर है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : उसे हम ने १४ रुपये मन की कीमत पर दिया है जब कि बर्मा का चावल २६ रुपये मन मिलता है।

दक्षिण रेलवे पर माल का परिवहन

†*१३५७. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में फ़सली और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को परिवहन में प्राथमिकता देने सम्बन्धी नियमों का पालन किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस के कोई अपवाद भी हैं; और

(ग) क्या माल के पुनः वर्गीकरण की कोई आवश्यकता है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हाँ।

(ख) इस के कोई अपवाद नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) परिवहन की सुविधा एवं परिवहन की अन्य वस्तुओं के महत्व और आवश्यकतानुसार जब कभी माल के पुनर्वर्गीकरण की जरूरत होती है तो ऐसा किया जाता है। इस समय जहाँ तक फ़सली और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का सम्बन्ध है, किसी पुनर्वर्गीकरण की जरूरत नहीं है।

जिप्सम के लिये मालगाड़ी के डिब्बे

*१३५९. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिप्सम मालगाड़ी के डिब्बों में भर कर सिन्दरी लाया जाता है और रेलवे को साइडिंग चार्ज नहीं चुकाया जाता; और

(ख) साइडिंग चार्ज प्राय: कितना लिया जाता है और जामसेर (बीकानेर) से सिन्दरी तक प्रतिदिन कितने डिब्बे भेजे जाते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) सिन्दरी साइडिंग पर जो साइडिंग चार्ज देना है उसे चुकाया जा रहा है, लेकिन जामसेर में जहाँ से जिप्सम भेजा जाता है, अभी तक कोई साइडिंग चार्ज नहीं दिया गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में अभी कोई फ़ैसला नहीं हो सका है।

(ख) सिंदरी इमदादी साइडिंग को पाथरडीही और प्रधान खता स्टेशनों से माल भेजा जाता है और उस पर क्रमश: ४ और ८ पाई मन की दर से साइडिंग चार्ज लिया जाता है। जामसेर में साइडिंग चार्ज की दर प्रति चार पहिये वाले डिब्बे पर लगभग २ रुपया है। जामसेर से सिंदरी रोज़ औसतन ८० डिब्बे भेजे जाते हैं।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जो आज तक साइडिंग चार्जेज़ नहीं लिये गये हैं, उससे रेलवे विभाग को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : नुकसान की तो मुझे कोई सम्भावना नहीं मालूम होती है क्योंकि अगर उनसे बाद में लेंगे तो समझ बूझ कर उनसे वसूल कर लेंगे।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या यह सही है कि उक्त जिप्सम की कम्पनी में मुनाफा प्राप्त करने में किसी रेलवे अधिकारी का भी कोई शेयर है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह सवाल मेरे ख्याल में माननीय सदस्य ने कुछ बहुत समझदारी से नहीं पूछा है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं जानना चाहता हूँ कि सिन्दरी से प्रतिदिन कितने वैगन राजस्थान जाते हैं और राजस्थान जाते समय उनमें से कितने प्रतिशत भरे हुए जाते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : हमारे पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : क्या आप को आंकड़ों की जरूरत है ?

†**श्री एन० बी० चौधरी** : हां।

†**श्री एल० बी० शास्त्री** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद द्वारा छात्रवृत्तियाँ

†*१३६०. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने कृषि गवेषणा के लिये प्रति वर्ष अनेक अधिछात्र-वृत्तियां (फैलोशिप) देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन की संख्या कितनी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रवरण किस प्रकार किया जायगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) हाँ ।

(ख) प्रति वर्ष २२ गवेषणा अधिछात्र-वृत्तियाँ (फैलोशिप) दी जाती हैं ।

(ग) प्रारम्भिक प्रवरण परिषद् द्वारा बनाई गई प्रवरण उपसमितियों द्वारा किया जायेगा । अंतिम प्रवरण, प्रवरण-उप-समितियों के सभापतियों की सहायता से प्रमुख प्रवरण समिति द्वारा किया जायेगा ।

†**श्री गिडवानी** : ये छात्रवृत्तियां किन शर्तों पर दी जाती हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : कनिष्ठ गवेषणा वृत्ति के लिये हम १०० रुपये मासिक देते हैं और ज्येष्ठ के लिये १५० रुपये मासिक । विषय निम्नलिखित हैं :

क्षेत्र विद्या, उद्यान विद्या, कृषि कीटशास्त्र, माइकोलॉजी, उद्भिद कीटशास्त्र, भूमि विज्ञान, कृषि-रसायन, कृषि-अर्थशास्त्र, कृषि वनस्पति, गव्यवसाय, पशुपालन, कृषि सांख्यिकी ।

†**श्री भगवत झा आजाद** : ये अधिछात्र-वृतियां कब तक दी जायेंगी ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : हमने इसे पहले ही आरम्भ कर दिया है । १९५४-५५ में १५ अधि-छात्रवत्तियां दी गई थीं ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या ये छात्र-वृत्तियाँ राज्यवार दी जाती हैं और क्या ये योग्यता के आधार पर दी जाती हैं अथवा राज्य सरकारों की सिफारिशों पर ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : वे सब योग्यता के आधार पर दी जाती हैं और उन्हें राज्यवार देने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है ।

†**श्री पुन्नूस** : ये छात्र-वृत्तियाँ कितने लोगों को दी जायेंगी और देश की विभिन्न कृषि-स्थिति को देखते हुए क्या सरकार यह समझती है कि यह प्रत्येक राज्य के व्यक्तियों को मिलनी चाहिये ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : मैंने अभी कहा है कि २२ गवेषणा अधिछात्रवृत्तियाँ हैं और वे यहाँ गवेषणा संस्था में दी जायेंगी । अन्य संस्थाओं में अन्य छात्रवृत्तियाँ हो सकती हैं ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये भी स्थान रक्षित किये गये हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : नहीं श्रीमान् । कोई स्थान रक्षित नहीं किया गया है और न ऐसा कोई इरादा ही है ।

†**श्री वेलायुधन** : यह क्या बात है ? आप ऐसा क्यों करते हैं ?

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : ऐसे उत्तर का हम विरोध करते हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : यह उत्तर देने का तानाशाही तरीका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने जितनी तेजी से प्रश्न किया उसका उन्हें वैसा ही उत्तर मिल गया । सरकार यह कह सकती है कि वह किसी काम को करना चाहती है या नहीं । यदि आप यह पूछें कि ऐसा क्यों किया जाता है तो ठीक भी है ।

†**श्री वेलायुधन** : यही तो मैंने पूछा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आप ने बाद में पूछा है ।

†**श्री ए० पी० जैन** : ये छात्रवृत्तियाँ केवल गुणों के आधार पर दी जाती हैं अतः स्थान रक्षण का कोई इरादा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांडला पत्तन

†* **१३६३. श्री बूवराघस्वामी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कांडला पत्तन निर्माण के लिये ठेकेदारों को अग्रिम धन दे रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितना और किन शर्तों पर ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हाँ श्रीमान् ।

(ख) करार में दी गई शर्तों पर कुल ७८,१४,५०० रुपये के अग्रिम धन तथा इस्पात खरीदने के लिये ११ लाख रुपये तक के विशेष अग्रिम धन दिये गये हैं जो कि प्रति मास चुकाये जाने वाले बिलों पर १५ प्रतिशत कटौती करके वसूल किये जायेंगे ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : क्या मूल करार में ठेकेदार को पेशगी देने का कोई खण्ड है ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे पिछले प्रश्न के उत्तर में इसका उत्तर भी आ गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पिछले प्रश्न में उन्होंने यही कहा था ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : जब सरकार ने पहले ठेकेदार की वित्तीय स्थिति खराब पाई तो क्या उसने कोई उपयुक्त ठेकेदार ढूंढने का प्रयत्न किया ?

†**श्री अलगेशन** : मैं इसके सम्बन्ध में भी पहले बता चुका हूँ । ठेकेदारों का एक सार्थ था, परन्तु उस सार्थ के हिस्सेदार ठीक तरह नहीं रह सके । इसलिये एक हिस्सेदार को उसमें से निकल जाने दिया गया और उसके स्थान पर एक जर्मन सार्थ को ले लिया गया । खास बात यह है कि इस कार्य में बहुत काफी अनुभव की आवश्यकता है । जो भारतीय ठेकेदार उपलब्ध थे उन्हें इस प्रकार के कार्य का अनुभव नहीं था और इसलिये हमें ऐसा सार्थ चुनना पड़ा जिसमें दो जर्मन हिस्सेदार थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न लिया जाय ।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या कोई अग्रिम धन दिया जाता है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका विस्तारपूर्वक उत्तर दिया जा चुका है ।

त्रिपुरा में सीमेंट और कलई की कमी

†*१३६५. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सीमेंट और टीन उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य रोक दिये गये हैं; और

(ख) सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जहाँ तक सड़क के कार्यों का सम्बन्ध है, ऐसा नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री दशरथ देव** : क्या सरकार ने त्रिपुरा में टीन और सीमेंट की आवश्यकता का सही अनुमान लगा लिया है और क्या उनका वहां आवश्यक मात्रा में सम्भरण किया जा रहा है ?

†**श्री अलगेशन** : सम्बन्धित मंत्रालय उसे कर रहा होगा । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, इन वस्तुओं की अधिक कठिनाई नहीं है और हमें उनकी अधिक आवश्यकता भी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुछ माननीय सदस्य :** हम उत्तर नहीं सुन सके ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है सम्बन्धित मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये । सड़कों के सम्बन्ध में, जहां तक सीमेंट व अन्य सामग्री का सम्बन्ध है उन्होंने कोई कठिनाई महसूस नहीं की ।

आसाम-बंगाल रेल सम्पर्क

†*१३६६. **श्री अमजद अली :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष आसाम-बंगाल रेल सम्पर्क पर रक्षात्मक कार्य पर कितना धन व्यय किया गया;

(ख) १९५६–५७ में कितने धन का उपबन्ध किया गया है; और

(ग) क्या पाण्डु क्षेत्र (रीजन) में एक नई कर्मशाला इकाई की स्थापना का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). १९५५-५६ में केवल आसाम रेल सम्पर्क पर, सीलीगुरी से पूर्व में, रक्षात्मक कार्यों पर लगभग ४१ लाख रुपये व्यय किये गए और १९५६–५७ में इस प्रयोजन के लिये १४ लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है ।

(ग) नई कर्मशाला की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई है परन्तु उसकी स्थिति और आकार आदि का ब्यौरा अभी तक अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया गया है ।

†**श्री अमजद अली :** देश के इस भाग में किस प्रकार के रक्षात्मक कार्य किए गए हैं और क्या उनमें हिमालय पर्वत के दिये हुए कार्य भी सम्मिलित हैं ?

†**श्री अलगेशन :** मैं कह नहीं सकता कि उसमें वे भी सम्मिलित हैं या नहीं । मैं नहीं समझता कि उस में वे सम्मिलित हैं । इन कार्यों का निर्देश हमारे द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न मार्गों तथा बन्धों को मजबूत करने से है और जब पुल टूट जाते हैं तो उन्हें भी स्थायी तौर से फिर से बनाना होता है । माननीय सदस्य को ये बातें पहले ही मालूम होंगी । वह उस लाइन पर यात्रा करते हैं और उन्हें ज्ञात होगा कि उस क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं ।

†**श्री अमजद अली :** प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध मैं जानना चाहता हूँ कि कर्मशाला इकाई कहाँ पर स्थापित की जायगी ? मंत्री जी ने स्थान का संकेत नहीं किया है ।

†**श्री अलगेशन :** मैं ने कहा था कि उस का अन्तिम निर्णय किया जाना है ।

श्रमजीवी पत्रकार

*१३६८. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें और विविध उपबन्ध) अधिनियम, १९५५, के अधीन नियम बनाने और "मजूरी बोर्ड" स्थापित करने की जिम्मेवारी अब श्रम मंत्रालय के ऊपर आ गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस कानून के अधीन नियम बनाने एवं वेतन बोर्ड स्थापित करने के लिये कार्रवाही की जा रही है । आशा है कि सरकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा जल्दी ही करेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इस कानून के बन जाने के बाद भी बहुत से समाचार पत्रों के मालिकों ने यह बहाना किया है कि वे तब तक इन सुविधाओं को लागू नहीं कर सकते जब तक कि इस कानून के अन्तर्गत नियम नहीं बन जाते, और इस लिये क्या इस सम्बन्ध में शीघ्रता करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : अभी तक नियम तो नहीं बने हैं। लेकिन जैसा मैं ने अर्ज किया कि नियम बनाये जा रहे हैं और उनकी घोषणा कर दी जायेगी। यह जरा मुश्किल काम है और इस में कुछ दिन लगेंगे। जिस कठिनाई का जिक्र आनरेबल मेम्बर साहब ने किया, वैसी कोई शिकायत हम तक नहीं पहुँची है।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि श्रमजीवी पत्रकारों के प्रति न्याय की दष्टि से इस कार्य को अत्यधिक अग्रमान्यता मिलनी चाहिये।

श्री आबिद अली : जी हाँ, इसके लिये तो मैंने अर्ज किया कि पूरी कार्रवाही की जा रही है, और काम के अनूसार वक्त तो लगता ही है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि यह वेज बोर्ड जब बनाया जायेगा उस के बाद भी देश के विभिन्न भागों में जाने में और उसके सम्बन्ध में जांच करने में काफी समय लगेगा। इसलिये इस बीच में इंटेरिम पे स्केल देने का जो विधान है, क्या उसके लागू करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : बोर्ड बनने के बाद खयाल है कि छः महीने या इससे भी ज्यादा समय लगेगा। जितना बड़ा काम होता है, उतना ही वक्त ज्यादा लगता है। लेकिन इस बीच में हम तो कोई इंटेरिम व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हमें खुशी होगी अगर एम्प्लायीज और एम्प्लायर्स के बीच में कोई समझौता हो जाय और उनकी तरफ से कोई ऐसी खास मांग आये, और हम उस में मदद कर सकेंगे तो जरूर करेंगे।

†**श्री जयपाल सिंह** : यदि मैं ने ठीक समझा है तो उपमंत्री जी ने यह कहा था कि मार्ग में कुछ कठिनाइयां हैं। क्या ये कठिनाइयां इस लिये हैं कि सरकार वर्तमान अधिनियम पर विचार करते समय उस रूप-रेखा के अनुसार नहीं चल रही है जो प्रेस आयोग के प्रतिवेदन ने सरकार को दी थी, अथवा वे इसलिये हैं कि सरकार प्रेस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने योग्य नहीं समझती ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : जिस रूप में हमने कानून पास किया है उससे विरत होने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु अपनी प्रकृति से इस कानून के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले नियम इतने साधारण नहीं हैं जितने साधारण श्रम कानूनों के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले नियम प्रायः होते हैं। नियमों को व्यवहार में लाने के लिये अन्तिम रूप से निर्णय करने के पूर्व हम सभी सम्बन्धित हितों से परामर्श करना चाहेंगे।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : मजूरी बोर्ड के निर्माण और उसके सक्रिय कार्यकरण के बीच की अन्तरिम अवधि के लिये क्या प्रबन्ध किया जायगा ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : थोड़े ही दिनों के अन्दर मजूरी बोर्ड की घोषणा की जायगी और घोषणा किए जाने के तुरन्त पश्चात् बोर्ड इस प्रश्न पर विचार करेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न किया जाय।

†**श्री कामत** : यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा, मैं तीन अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति और दूँगा।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या मंत्रीजी हमें यह आश्वासन देंगे कि जब अन्तिम निर्णय किए जायेंगे तो उनका उस तिथि से भूतलक्षी प्रभाव होगा जिसको वह विधेयक लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था?

---

†लम् अंग्रेजी में

†**श्री खंडूभाई देसाई** : इस अवस्था में सरकार के लिये लोक-सभा को कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं है। इसका निर्णय मजूरी बोर्ड ही करेगा कि वह क्या देना चाहता है और उसका निर्णय किस दिन से कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मैं एक प्रश्न पर आपकी सहायता चाहता हूँ। लोक-सभा द्वारा कानून पास कर दिया गया है, और नियमों का निर्माण किया जाना है। मेरा प्रश्न है कि जो निर्णय किए जायेंगे क्या उनका भूतलक्षी प्रभाव होगा। मंत्रीजी कहते हैं कि वह आश्वासन नहीं दे सकते। फिर उस कानून का प्रयोजन क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह दूसरा मामला है। मंत्रीजी ने जो कुछ भी कहा वह यही है कि एक बोर्ड का निर्माण किया जाना है और वह बोर्ड यह निर्णय करेगा कि उसको किस दिन से प्रभावी बनाया जाना चाहिये। मतभेद हो सकता है। मैं उस बात पर असहमत नहीं हूँ। परन्तु वह सरकार का मत है।

†**श्री कामत** : क्या मंत्री जी लोक-सभा को निश्चित तौर से ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि मंत्रालयों में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जाता है और वे नियम इस सत्र में ही लोक-सभा के समक्ष रखे जायेंगे ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : हम किसी प्रकार का विलम्ब नहीं करते हैं।

†**श्री कामत** : मेरा तात्पर्य है कि समस्त सरकार में विलम्ब नहीं किया जाता ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : 'हम' कहने से मेरा तात्पर्य सरकार से ही है।

†**श्री कामत** : क्या वे नियम लोक-सभा के समक्ष लाये जायेंगे ? मैं आपकी सहायता चाहता हूँ, श्रीमान्। मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : क्या सरकार निर्मित किए जाने वाले नियमों को लोक-सभा में अनुमोदन हेतु रखने का विचार रखती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अधिनियम के अधीन ऐसा किया जाने का उपबन्ध है ?

†**डा० लंका सुन्दरम्** : हाँ, श्रीमान्।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो सरकार उन्हें सभा-पटल पर रखने को बाध्य है।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : हम बाध्य हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब चीजें स्पष्ट हैं तो प्रश्न पूछने का क्या तात्पर्य है ? यदि अधिनियम में वैसा उपबन्ध है तो वे वैसा करने को बाध्य हैं। यदि उसमें वैसा उपबन्ध नहीं है तो वे वैसा करने को बाध्य नहीं हैं।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मैंने अभी जो प्रश्न आपके निर्णय हेतु रखा था वह यह था। मजूरी बोर्डों का निर्माण इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना है। मंत्री जी के उत्तर से मालूम होता है कि मजूरी बोर्डों को यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि क्या उसको प्रभावी होना चाहिये और यदि हाँ, तो किस तिथि से। अब प्रश्न यह है कि नियमों का निर्माण किया जाना है। प्रश्न का सार यह है। क्या वे लोक-सभा के समक्ष रखे जायेंगे और क्या उनको कार्यान्वित करने के पूर्व लोक-सभा का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायगा ? मुख्य प्रश्न यह है।

†**श्री खंडूभाई देसाई** : जिन नियमों का निर्माण किया जाना है उनका मजूरी बोर्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। मजूरी बोर्ड का तो कानून के अन्तर्गत अलग ही अस्तित्व है और उसके द्वारा स्वयं परिनियम के अन्तर्गत जो भी निर्णय किए जाते हैं वे अन्तिम होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लंका सुन्दरम्** : मूल अधिनियम में क्या है ?

†**श्री कामत** : क्या वे नियम इसी सत्र में लोक-सभा के समक्ष आयेंगे । मंत्री जी हाँ या ना में उत्तर दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन नियमों के इसी सत्र में लोक-सभा के समक्ष रखे जाने की संभावना है ?

†**डा० लंका सुन्दरम्** : और लोक-सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जायगा ?

†**श्री खंडूभाई देसाई** : मैं नहीं समझता कि ऐसा सम्भव हो सकेगा ।

†**श्री कामत** : तो फिर यह निश्चय ही विलम्ब करना हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न लिया जाय ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं एक बात का स्पष्टी करण चाहता हूँ । मंत्री जी ने .....

लर्नाडिंग-बदरपुर रेलवे लाइन

†*१३७०. **श्री एस० सी० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि पूर्वोत्तर रेलवे की लुंडिंग-हाफलांग-बदरपुर लाइन के पहाड़ी भाग में खास तौर से बरसात के मौसम में बड़े-बड़े भूखण्ड बैठ जाया करते हैं जिससे कुछ दिनों के लिये रेलों का आना जाना रुक जाता है;

(ख) क्या ऐसा हर साल हुआ करता है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार उसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है या उठाने का विचार रखती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हाँ श्रीमान् । यह सैक्शन ऐसे क्षेत्र में है जो भूतत्वीय दृष्टि से ठीक नहीं है और उसमें बड़े बड़े भूखण्ड गिरने की घटनायें खास कर बरसात के मौसम में, हुआ करती हैं ।

(ख) जी नहीं, वास्तव में निकट भूत काल में यातायात में कोई गम्भीर विस्थापन नहीं हुआ ।

(ग) रक्षात्मक कार्य, जैसे उन स्थानों में जहाँ भूखण्ड बैठ जाने की घटनायें हुआ करती हैं भूमि में पानी के रिसने को रोकना नियमित रूप से किये जा रहे हैं और इससे रेलों का बहुत समय तक आना जाना बन्द हो जाना रोकने में सफलता मिली है ।

†**श्री एस० सी० देव** : क्या एक ही साल में अनेक घटनायें भूखण्डों के बैठ जाने की हुई हैं ?

†**श्री अलगेशन** : गत वर्ष, अर्थात् १९५५ में कुछ घटनायें भूखण्डों के बैठ जाने की हुई थी, परन्तु उन्हें कुछ ही घण्टों में रास्ते से हटा दिया गया था और रेलों का आना-जाना पुनः चालू हो गया था ।

अखिल भारतीय रेलवे सप्ताह

†*१३७१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे सप्ताह समारोह का कार्य-क्रम निश्चित हो गया है;

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस समारोह में कुछ व्यय भी होगा; और

(घ) यदि हाँ, तो वह व्यय किस प्रकार और कितना होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १**]

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह समारोह रेलवे में प्रति वर्ष मनाया जाया करेगा ?

†**श्री अलगेशन** : जी हाँ, वह प्रतिवर्ष मनाया जाया करेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : भाग (क) के उत्तर में यह कहा गया है कि ब्योरा प्रत्येक रेलवे प्रशासन द्वारा अलग-अलग तैयार किया जा रहा है। चूंकि यह सप्ताह प्रारम्भ हो गया है क्या वह ब्योरा अब उपलब्ध है ?

†**श्री अलगेशन** : रेलों को कुछ मोटे-मोटे निदेश दिये गये थे और उनसे कहा गया था कि वे अपने कार्यक्रम, समारोह आदि भी आयोजित करें। उत्तर में यही कहा गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार ने इस प्रश्न की जांच कर ली है कि इस प्रकार के समारोहों से सामान्य कार्यों की उपेक्षा तो नही होती, यद्यपि समारोहों के समय कर्मचारी और मजदूर अच्छे परिणाम दिखाने लगते हैं ?

†**श्री अलगेशन** : इस 'सप्ताह' का उद्देश्य कर्त्तव्य भावना बढ़ाना और रेलों का जनता से सम्पर्क स्थापित करना है। यह जन-सम्बन्ध और रेलवे कर्मचारियों का जनता से अधिक अच्छे व्यवहार का प्रयोग है।

†**श्री वेलायुधन** : सरकार को इस 'रेलवे सप्ताह' से क्या लाभ होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसी का उत्तर तो अभी दूसरे रूप में उन्होंने दिया है।

आन्ध्र में यंत्रीकृत कृषि क्षेत्र (फार्म)

†*१३७२. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में आन्ध्र में विदेशी सामान की सहायता से एक यंत्रीकृत कृषि क्षेत्र (फार्म) की स्थापना के लिये स्थान का चुनाव करने के लिये वहाँ पर एक दल भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रयोजन के लिये कौन-कौन से ज़िले चुने गये हैं; और

(ग) लगभग कितने समय में वहां पर काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). कृषि-क्षेत्र (फार्म) की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान चुनने के लिये विशेषज्ञों की जो समिति नियुक्त की गई थी, उसने जिन राज्यों का दौरा किया है, उनमें से एक आन्ध्र भी है। उसकी सिफारिश पर राजस्थान सरकार द्वारा गंगानगर ज़िले में सुझाया गया स्थान चुन लिया गया है। उस चुने गये स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र एक सरकारी कृषि-क्षेत्र (फार्म) स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : इस प्रकार के सरकारी कृषि क्षेत्र (फार्म) को स्थापित करने पर लगभग कितना पूंजी-व्यय तथा अवर्तक व्यय होगा ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : इसका अभी हिसाब नहीं लगाया गया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस क्षेत्र (फार्म) का अधिकतर काम रूसी सरकार द्वारा दिये गये सामान द्वारा किया जायेगा, और इस पर हमें थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा।

†**श्री के० सी० सोधिया** : प्रस्तावित कृषि क्षेत्र (फार्म) का क्षेत्रफल कितना है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : ३१,००० एकड़।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या में जान सकता हूँ कि यह जो फार्म बनाया जायेगा इसमें कितने गांव उठाये जायेंगे और उन गांव वालों को क्या कोई मुआवज़ा (प्रतिकर) भी दिया जायेगा या उनको ज़मीन के बदले जमीन दी जायगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस साइड में कोई गांव नहीं है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या सरकार का गंगानगर ज़िले में केवल एक ही कृषि क्षेत्र (फार्म) स्थापित करने का विचार है अथवा उस राज्य में अन्य क्षेत्र (फार्म) भी स्थापित करने का विचार है ?

†**श्री एन० वी० कृष्णप्पा** : इस समय तो रूसी सरकार द्वारा दिये गये सामान से केवल एक ही कृषि क्षेत्र (फार्म) स्थापित करने की प्रस्थापना है ।

इम्फाल-तमेंगलांग सड़क

†*१३७७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फ़ाल-तमेंग लाँग सड़क के निर्माण के प्रारम्भ होने के समय से लेकर अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है;

(ख) उस सड़क के निर्माण के कारण खेत बर्बाद हो जाने के कारण कितने व्यक्तियों ने लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों से प्रतिकर का दावा किया है; और

(ग) उन्हें कितना प्रतिकर अदा किया गया है ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २**]

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या ७५ व्यक्तियों को प्रतिकर के रूप में दी गई राशि केवल चावल की जलाधिक्य खेती और उतल खेती के लिये ही है अथवा झूम खेतों के लिये भी है ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास ब्योरे नहीं हैं । राज्य सरकार इन सभी बातों पर विचार करेगी और प्रतिकर अदा करेगी । मैं नहीं जानता कि कितने एकड़ चावल के खेत थे और कितने एकड़ भूमि पर झूम खेती हो रही थी ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि एक दावेदार ने प्रतिकर लेने से इन्कार कर दिया है । मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके क्या कारण थे ?

†**श्री अलगेशन** : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है ।

केन्द्रीय पटसन समिति

†*१३७९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय पटसन समिति का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह पुनर्गठन किस आधार पर किया गया है; और

(ग) क्या उसमें उत्पादकों के कुछ अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) पटसन के उत्पादकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिये और अन्य हितों के प्रतिनिधित्व के वैज्ञानिकन के लिये, जिसमें संसद सदस्यों के प्रतिनिधित्व के लिये व्यवस्था करना सम्मिलित है ।

(ग) जी हां । उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या ७ से बढ़ा कर १५ कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एल० एन० मिश्र** : इस समिति के कुल कितने सदस्य हैं और उनमें उत्पादकों के कितने प्रतिनिधि होंगे ? उन्हें नाम निर्देशित कौन करेगा ? अथवा क्या उनका चुनाव होगा ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : जहाँ तक उत्पादकों के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध है, उनका चुनाव नहीं होगा । वे अधिकतर राज्य सरकारों की सिफ़ारिशों पर नियुक्त किये जायेंगे । जहाँ तक समिति के सदस्यों की संख्या का सम्बन्ध है, उसे २७ से ३८ किया जा रहा है ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : उसमें राज्यवार कितने सदस्य लिये गये हैं ?

†**डा० पी० एस० देशमुख** : भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्शानुसार पटसन के उत्पादकों के १५ प्रतिनिधि नाम-निर्देशित किये जाने हैं । वे निम्न प्रकार से हैं : आसाम ३, बिहार ४, उड़ीसा ३, उत्तर प्रदेश १, तथा पश्चिमी बंगाल ५ ।

†**श्री राजगोपाल राव** : आन्ध्र की क्या स्थिति है ?

बानिहाल सुरंग

†*१३८१. **श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बानिहाल सुरंग इन्हीं दिनों कुछ टूट गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की कोई जाँच की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पुरानी बानिहाल सुरंग के लगभग चालीस वर्ष पुराने बने हुए एक भाग की लाइनिंग टूट गई है । नई बानिहाल सुरंग को, जो कि अभी बनायी जा रही है, कोई क्षति नहीं पहुँची है ।

(ख) जी, नहीं । मलवा हटाने, उसके टूटने के कारणों का विनिश्चय करने और टूटे हुए भाग को सम्भालने का कार्य हो रहा है ।

†**श्री गिडवानी** : उसमें धन के रूप में कितनी हानि हुई है ?

†**श्री अलगेशन** : इस का उत्तर देना कठिन है । इस समय काम हो रहा है । वहाँ से मलवा हटाया जा रहा है और सुरंग को परिवहन की दृष्टि से सुरक्षित बनाया जा रहा है । हम एक पथ मार्ग भी बना रहे हैं ।

†**श्री गिडवानी** : मैं माननीय मंत्री का उत्तर समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : धन के रूप में हानि का हिसाब लगाना सरल नहीं है । मलवा हटाया जा रहा है । यात्रियों के आवागमन के लिये एक और मार्ग बनाने के सम्बन्ध में भी एक प्रस्थापना है ।

†**श्री कामत** : बजाय इसके कि उस उत्तर को आप दोहरायें, मंत्री महोदय स्वयं ही थोड़ा ऊँचा बोल सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा ।

†**श्री गिडवानी** : यह क्षति लापरवाही के कारण हुई थी अथवा किसी दुर्घटना के कारण ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने पहले ही बता दिया है कि वह पुरानी सुरंग थी, और इसलिये बीच में से गिर गई । मुझे याद है कि कुछ समय पूर्व बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था ।

ग्राउण्ड इंजीनियर

†*१३८२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पत्र व्यवहार सम्बन्धी कार्य के लिये ग्राउण्ड इंजीनियरों के चुनाव के लिये निर्धारित अर्हता भारतीय वायु-सेना के लिये निर्धारित अर्हता की अपेक्षा बहुत कम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: असैनिक उड्डयन उद्योग में विमान संधारक इंजीनियरों के लिये निर्धारित स्तर अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन द्वारा निर्धारित स्तरों पर आधारित हैं। उनकी भारतीय वायु-सेना के पदाधिकारियों के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी पृष्ठ भूमि और उनके कर्तव्य भिन्न-भिन्न हैं।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या इसके लिये निर्धारित की गई अर्हताओं तथा वायु-सेना के ऐसा ही कार्य करने वाले लोगों के लिये निर्धारित अर्हताओं में क्या अन्तर है ? मेरा यही प्रश्न था।

†**श्री राज बहादुर** : मैं असैनिक उड्डयन के विमान संधारणइंजीनियरों के लिये निर्धारित अर्हताएं तथा कर्तव्य बता सकता हूँ। अभ्यर्थी २१ वर्ष से कम आयु का हो, वह अंग्रेजी में पढ़ लिख तथा वार्तालाप कर सकता हो, और इस प्रकार के लाइसेंन्स को प्राप्त करने के लिये जिन न्यूनतम अर्हताओं, अनुभव तथा आवश्यकताओं की अपेक्षा है, उन्हें पूरा करता हो। ये सभी अपेक्षाएं सम्बन्धित अनुसूचियों और नियमों में दी हुई हैं और स्पष्ट की गई हैं।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या मंत्रालय के अधीन काम करने वाले ग्राउण्ड इंजीनियरों की निपुणता को बढ़ाने की दृष्टि से मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये जाने वाले इंजीनियरों की कोई न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई जाँच की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा मैं ने पहले ही कहा है। हमारे द्वारा निर्धारित किये गये स्तर एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय, अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन द्वारा निर्धारित स्तरों के अनुसार है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गन्ने की फस्ल की बीमारियां

†*१३३८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ना उत्पन्न करने वाले कुछ एक राज्यों में "रैड राट" जैसे कुछ एक रोग सांक्रमिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में कुछ एक विशेष बीमारियाँ जिनमें 'रैड रॉट' अधिक प्रसिद्ध है। स्थानीय सांक्रामिक रोगों के समान बढ़ती जा रही है, तो भी, इन राज्यों का यह रोग-प्रभावित क्षेत्र गन्ने के कुल क्षेत्र के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा गन्ने की उन किस्मों के स्थान पर, जोकि बीमारियों का शीघ्र ही शिकार हो जाती है, उन बीमारियों का सामना कर सकने वाली किस्मों को लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ उन बीमारियों को रोकने तथा उनसे रक्षा करने की दृष्टि से कई कार्यवाहियाँ की जा रही हैं।

सिकन्दराबाद का मुख्य डाकघर

†*१३४३. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **संचार** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिकन्दराबाद के मुख्य डाकघर के निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ हो रहा है;
(ख) इसके पूर्ण होने में लगभग कितना समय लग जायेगा; और
(ग) उस भवन पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

संचार मन्त्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९५६-५७ में ।

(ख) प्रारम्भ होने की तारीख से २ वर्ष बाद के अन्दर ।

(ग) लगभग २,३५,००० रुपये ।

हाट व्यवस्था तथा सहकारिता विषयक सम्मेलन

†१३४४. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, १९५६ के प्रथम सप्ताह में जयपुर में हाट व्यवस्था तथा सहकारिता विषयक एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या व्यवस्थित हाट व्यवस्था के विकास के लिये तथा कृषक के लाभ को बढ़ाने के लिये हाटों की विनियमित करने की आवश्यकता को सरकार ने अनुभव किया है; और

(ग) हाट समाचार सेवा संगठन की स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) योजना अभी विचाराधीन है ।

अन्तर्देशीय नदी परिवहन

†*१३४५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ऐसे नदी-मार्गों को विकसित तथा विस्तृत करने की संभावनाओं की जांच की है जिनका समुद्र-मार्गों तथा रेल-मार्गों से समन्वय उत्पन्न किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) सरकार ने अन्तर्देशीय जल-पथी के विकास के लिये योजनायें बनाते समय अन्तर्देशीय जल-मार्गों का रेल-मार्गों तथा समुद्र-मार्गों से समन्वय उत्पन्न करने की वांछनीयता को सदा दृष्टि में रखा है ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर चुने हुए अन्तर्देशीय नदी स्टेशनों को विकसित करने की व्यवस्था की गई है, और उनके साथ ही साथ उन्नत रेल सम्बन्ध स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई है । दक्षिण में बकिंघम नहर को मद्रास बन्दरगाह से मिलाने की संभावना पर भी विचार हो रहा है ।

रेलवे संस्थापना संहिता

†*१३४६. **श्री गणपति राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संस्थापन संहिता के नियम १७०४ (२) (क) में, जैसा कि १९५१ के द्वितीय संस्करण में मुद्रित है, कोई संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब और किसकी स्वीकृति से हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि ऐसे भी मामले हैं जिनमें रेलवे के कर्मचारियों को, नियम १७०४ (२) (क) में उल्लिखत प्राधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा पदच्युत कर दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो किन अवस्थाओं में और कितने मामलों में ऐसा हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) सरकार ऐसे मामलों को विनियमित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). इस नियम में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन सितम्बर १९५० से सरकार ने पदाधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त अनुशासनिक शक्तियों में वृद्धि कर दी है ।

(ग) और (घ). जी हाँ, पांच मामलों में । ऊपर निर्देशित प्रदत्त अधिकारों के अधीन ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

†*१३४७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर १९५५ में हैदराबाद में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में की गई विभिन्न सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३**]

कुरनूल में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय

†*१३४८. **श्री लक्ष्मय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनूल में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय स्थापित करने के लिये स्थायी इमारतें बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार करनूल में डाक के कर्मचारियों के लिये मकान बनाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो कितने और किस आधार पर; और

(घ) क्या राजधानी बनने से, नगर के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रख कर, करनूल में पक्की इमारतें बनाना आवश्यक नहीं है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हाँ । लेकिन इस मामले को राजधानी बनाने के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी ।

(ख) और (ग). क्वार्टरों के ४४ एकक (यूनिट) बन चुके हैं । अधिक क्वार्टरों का निर्माण विचाराधीन है ।

(घ) डाक, तार व टेलीफोन के कार्यालयों की इमारतों के निर्माण के प्रस्ताव रखे जा चुके हैं ।

अन्नपूर्णा

†*१३४९. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्नपूर्णा जलपान गृहों के लेखायों की सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षा की जाती है और क्या उसके कार्य पर कुछ सरकारी पर्यवक्षण भी रखा जाता है;

(ख) क्या नये अन्नपूर्णा जलपान गृहों को खोलने का विचार किया जा रहा है; और

(ग) अब तक इन में कितनी लाभ या हानि रही है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) परिषद तथा उसकी शाखाओं के कुल अन्नपूर्णा जलपान गृहों को वर्ष १९५५–५६ में ६२,००० रुपये के लगभग लाभ हुआ और ५१,००० रुपये के लगभग हानि हुई। १९५०–५१ से १९५४–५५ की अवधि के बीच मोटे तौर पर २·१८ लाख रुपये का लाभ हुआ।

राती बाती कोयला खान

†*१३५२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल कोयला क्षेत्र की राती बाती कोयला खान में खान अधिनियम इतवार को काम करने सम्बन्धी खंडों के प्रतिकूल काम हो रहा था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) खान में इतवार, २२ जनवरी, १९५६, को काम होता पाया गया था।

(ख) कोयला खान के मालिक तथा प्रबन्धक के विरुद्ध दंड कार्यवाही की गई है।

केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड

†*१३५६. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूसंरक्षण बोर्ड ने एक भू-संरक्षण निदेशालय खोलने का निश्चय किया है;

(ख) ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष १९५५–५६ के दौरान में भूमि संरक्षण में प्रशिक्षण की योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) केन्द्रीय भूसंरक्षण बोर्ड ने एक भू-संरक्षण निदेशालय खोलने की सिफारिश की है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भू-संरक्षण के बड़े कार्यक्रमों का प्रयोजन तथा संचालन करने के निमित्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिये।

(ग) १,३०,२३२ रुपये।

दबोक हवाई अड्डा

†*१३५८. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दबोक हवाई अड्डा कब तक तैयार हो जायेगा, और

(ख) क्या सरकार दिल्ली-उदयपुर के बीच विमान सेवा प्रारम्भ करने का विचार कर रही है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) यह हवाई अड्डा १९५६ के अन्त तक तैयार हो जायेगा।

(ख) एक अनुसूचित अथवा पूरक हवाई सेवा प्रारम्भ करने के प्रश्न पर इस हवाई अड्डे के निर्माण के पश्चात विचार किया जायेगा।

भारतीय रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ

†*१३६१. **श्री एस० एस० मोरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने, भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के पदाधारियों के नाम भारतीय रेलों में यात्रा करने के लिये निशुल्क पास जारी किये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो ये पास किन को जारी किये गये हैं और किन लाइनों पर ये पास वैद्य समझे जायेंगे;

(ग) क्या भारतीय रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के सभापति को भारतीय रेलों के शीतोष्ण नियंत्रक डिब्बों में यात्रा करने के लिये निशुल्क पास दिया गया है; और

(घ) क्या इन पदाधिकारियों को यात्रा के समय एक नौकर अथवा एक सहकारी को भी मुफ्त ले जाने की अनुमति है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हाँ ।

(ख)से(घ) भारतीय रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ के पदाधिकारियों को चालू वर्ष के लिये जारी किये गये कार्ड-पासों के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४**]

एयर इंडिया इंटरनेशनल

†*१३६२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन' और 'एयर इंडिया इन्टरनेशनल' के जो पदाधिकारी विमानों में विशेष प्रशिक्षण के लिये भेजे गये थे उन्होंने विशेष वेतन वृद्धि की मांग की है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत लाइन लिमिटेड

†*१३६४. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'भारत लाइन लिमिटेड' के जहाज़ों में काम करने वाले उन पदाधिकारियों की शिकायतों की जाँच की है जिन्हों ने ९ मार्च, १९५६ से हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और उनमें से कितनी शिकायतें दूर हो गई हैं; और

(ग) क्या हड़ताल समुचित पूर्व-सूचना देने के पश्चात की गई थी;

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) . सरकार ने कोई नियमित जाँच नहीं की है, किन्तु उसे सामान्यतः पदाधिकारियों की शिकायतें मालूम हैं जिनके अन्तर्गत वेतन, अधिक समय तक काम करने का भत्ता, समुद्रपार जाने का भत्ता, भविष्य निधि के लाभ इत्यादि के मुद्दे आते हैं । अब दोनों पक्ष अर्थात् 'मेरिटाइम यूनियन आफ इंडिया'। जो पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, और 'भारत लाइन लिमिटेड', इस विवाद के मध्यस्थ निर्णय द्वारा निबटाये जाने पर सहमत हो गये हैं, और दोनों पक्षों की सहमति से मध्यस्थ नियुक्त कर दिया गया है। मध्यस्थ ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है और आशा है कि अप्रैल १९५६ के अन्त तक पंचाट दे दिया जायेगा ।

(ग) जहाँ तक सरकार को ज्ञात है, नौवहन कम्पनी के पदाधिकारियों ने हड़ताल की कोई औपचारिक सूचना नहीं दी थी ।

आसाम के लिये रेलवे बुकिंग

†*१३६७. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के लिये सामान्यरूप से, और तेजपुर अथवा अन्य स्थानों के लिये विशेष रूप

---

†मूल अंग्रेजी में

से, लखनऊ और मुज्जफरपुर प्रदेशों (रीजन) से अभी हाल में किसी अवधि के लिये बुकिंग बन्द हो गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्यों ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). पूर्वोत्तर रेलवे में अन्य रेलों से प्राप्त हुए सामान की भारी मात्रा को निपटाने के लिये यह आवश्यक हो गया कि १२-२-१९५६ से ६-३-१९५६ तक की कालावधि में, बिगड़ने वाली और कुछ अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के माल के सिलीगुड़ी जंक्शन के पूर्व के स्टेशनों, जिसके अन्तर्गत तेजपुर तथा आसाम राज्य के अन्य स्टेशन आ जाते हैं, के लिये बुकिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ।

भारत-पाकिस्तान ट्रंक टेलीफोन ट्रैफिक

†*१३६९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान ट्रंक टैलीफोन ट्रेफिक (भारत पाकिस्तान के बीच टेलीफोनों का भेजा जाना) कम हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). नहीं कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।

हैदराबाद राज्य को ऋण

†*१३७३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १४ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) हैदराबाद नगर जल संभरण की पुनर्व्यवस्था की योजना के लिये राज्य सरकार को अब तक कुल कितनी सहायता दी गई; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने स्वीकृत ऋण की कुल राशि को बढ़ाने की प्रार्थना की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) हैदराबाद नगर जल सम्भरण योजना के लिये अपेक्षित सारी राशि राज्य बजट से पूरी कर ली गई थी और राज्य सरकार ने इस योजना के लिये केन्द्रीय ऋण सहायता का उपयोग नहीं किया ।

(ख) जी, नहीं ।

रेलवे संस्थापन संहिता

†*१३७४. **श्री गणपति राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे संस्थापन संहिता के नियम १३५ के अन्तर्गत, भारतीय रेलों में वे प्राधिकारी, जिन्हें तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है, अपने अधिकारों को अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों को नहीं दे सकते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि जिन प्राधिकारियों को भारतीय रेलों के महाप्रबन्धकों द्वारा तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है उन प्राधिकारों ने वह अधिकार अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों को पुनः प्रत्यायोजित कर दिया है और इस प्रकार रेलवे संस्थापन संहिता के उच्च निर्णय का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार मामलों को विनियमित करने के लिये और ऐसी अनियमितता को दूर करने के लिये क्या कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं है जिस में अधिकार अनधिकृत रूप में प्रत्यायोजित किया गया हो ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर-पूर्वी रेलवे में मालगाड़ी के डिब्बों का संभरण

***१३७५. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-बिहार में कोसी और सेमरिया घाट में निर्माण कार्य के कारण पूर्वोत्तर रेलवे के क्षेत्र में सर्वसाधारण के व्यवहार के लिये माल डिब्बों में कटौती कर दी गई है, जिससे जनता की दिक्कतें बढ़ गई हैं;

(ख) दोनों स्थानों पर प्रति दिन कितने माल-डिब्बों की आवश्यकता हुआ करती है; और

(ग) गत दो वर्षों में पूर्वोत्तर रेलवे को कितने अतिरिक्त डिब्बे दिये गये और कितने पुराने डिब्बे रद्द किये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) 'सेमरिया घाट में निर्माण' से मतलब शायद मोकामा में गंगापुल के निर्माण से है । यह बात स्वाभाविक थी कि इन ज़रूरी और बड़ी योजनाओं की यातायात-सम्बन्धी ज़रूरतें पूर्वोत्तर रेलवे से पूरी की जातीं । लेकिन पिछले कई महीनों से इन योजनाओं की माँगें ज्यादा नहीं रहीं । इसलिये, इनकी वजह से दूसरे यातायात में रुकावट नहीं पड़ी है ।

(ख) कोसी योजना में माल-डिब्बों की जरूरत समय-समय पर बदलती रहती है । अगस्त १९५५ से फरवरी १९५६ तक के सात महीनों में कुल ११३ माल डिब्बे लादे गये ।

मोकामा में गंगा-पुल के लिये मीटर लाइन (छोटी लाइन) के जो माल-डिब्बे प्राप्त किये गये हैं उनसे कोसी-योजना के यातायात का काम लिया जा रहा है । इसलिये, जनरल पूल से माल-डिब्बों की मांग बहुत कम रहती है । (ग) बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५]**

एशिया प्रशान्त वन विद्या आयोग

†***१३७६. श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० ए० ओ० (खाद्य और कृषि संगठन) के एशिया प्रशान्त वनविद्या आयोग की ओर से, इमारती लकड़ी के मिलने तथा आगामी दस या पन्द्रह वर्षों में उसके पाये जाने की संभावना के लिये प्रादेशिक सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ निश्चय किया गया है; और

(ग) क्या सरकार को ऐसा सर्वेक्षण प्रारम्भ करने की संभावित तारीख पता है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार प्रस्ताव से सहमत हो गई है और भारत में आवश्यक सर्वेक्षण करने को राजी हो गई है ।

(ग) तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है किन्तु आशा है कि सर्वेक्षण यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी

†*१३७८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी की फैक्टरियों को दूरवर्ती मण्डियों के लिये चीनी भेजने की अनुमति दे दी जाती है और चीनी की फैक्टरियों के रक्षित अथवा खुले क्षेत्रों में स्थित स्थानीय मंडित की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि एक चीनी की फैक्टरी के क्षेत्र से दूसरी फैक्टरियों के क्षेत्रों तक परिवहन के कारण वैगनों की कमी पर और अधिक प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास उपलब्ध वैगनों का सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करने के लिये चीनी-वितरण के नवीकरण की कोई योजना है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) और (ख). चीनी वितरण के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और फैक्टरियों को भारत के किसी भी स्थान में अच्छे से अच्छे दामों पर चीनी बेचने की स्वतन्त्रता है। हम तो यह मानते हैं कि परिवहन का भाड़ा बचाने के लिये दूरवर्ती स्थानों को चीनी भेजने से पहिले सम्पूर्ण स्थानीय मांग पूरी की जाती है। चीनी की बिक्री और उसे फैक्टरियों से भेजने का उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती।

काम दिलाऊ दफ्तर

†*१३८०. **श्री भीखा भाई** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम दिलाऊ दफ्तरों ने अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के उतने नाम दर्ज नहीं किये हैं जितने वे वास्तव में हैं; और

(ख) अन्तवर्ती क्षेत्रों के आदिम जातीय लोगों को रोज़गार अधिक दिलाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)**: (क) और (ख). पिछले बारह महीनों में अनुसूचित आदिम जातियों के २०,००० उम्मीदवारों ने अपने नाम दर्ज कराये। इस श्रेणी के कुल व्यक्तियों की संख्या में यह संख्या कम अवश्य है, किन्तु जब रोज़गार के अवसर ही कम हैं तो नाम दर्ज कराने के किसी आन्दोलन से भी कोई लाभ नहीं होगा। अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की ओर काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। उन के लिये एक संख्या निश्चित है और यदि किसी रिक्त स्थान की पूर्ति वहां के स्थानीय उम्मीदवारों से पूरी नहीं होने पाती है तो अन्य दफ्तरों को उसकी सूचना दे दी जाती है। और आदिम जातीय संस्थाओं से सुझावों के लिये विमर्श किया जाता है। जो उम्मीदवार दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की नौकरी करना चाहते हैं उसके लिये भी उनका दुबारा नाम दर्ज करने का प्रबन्ध भी किया गया है।

गारो पहाड़ियों से रेल सम्पर्क

†*१३८३. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **रेलवे** मंत्री २२ नवम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गारो पहाड़ियों में रेलवे लाइने बनाने के काम की क्या स्थिति है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: यातायात सर्वेक्षण तो पूरा हो चुका है और प्रतिवेदन की जाँच की जा रही है। प्रारम्भिक इंजीनियरी सर्वेक्षण होना अभी बाकी है। सर्वेक्षण-प्रतिवेदनों की जाँच के बाद लाइन बनवाने पर विचार किया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

भेषजीय पौधे

†*१३८४. **श्री एम० इस्लामुदीन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भेषजीय पौधों को बड़े पैमाने पर उगाने की कोई संभावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें बड़े पैमाने पर उगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६**]

रेल मार्ग पर विस्फोटक पदार्थ

†*१३८५. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ मार्च, १९५६ को नौतनवा स्टेशन (गोरखपुर) के पास रेल-मार्ग पर कुछ विस्फोटक पदार्थ पाये गये थे और वे पुलिस द्वारा हटाये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो वे विस्फोटक पदार्थ किस प्रकार के थे; और

(ग) क्या इस विषय में कोई पड़ताल की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं श्रीमान्, यह सच नहीं है कि नौतनवा रेलवे स्टेशन के पास विस्फोटक पदार्थ पाये गये थे । नौतनवा स्टेशन की इमारत से ४७५ फुट दूर १२ मार्च, १९५६ को धातु की तीन गोलाकार वस्तुयें जो विस्फोटक की भांति लगती थीं और जिनमें 'टेप फ्यूज़' लगे हुए थे, एक खाई के पास पाई गई थीं ।

(ख) वे किस प्रकार के विस्फोटक थे इसका अभी पता नहीं लग सका है ।

(ग) इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

सीमेंट फैक्टरियों में दुर्घटनाऐं

†८६५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में सीमेंट-फैक्टरियों में दुर्घटनाओं के कारण हत और आहत व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

नल-कूप

†८६६. **श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सिलारी स्थित सरकारी फार्म (पीपरिया) में प्रयोग के रूप में की गई नल-कूप की बोरिंग सफल सिद्ध हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो नल-कूप के कब तक बनने की आशा है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) हाँ ।

(ख) नल-कूप तो बन गया है किन्तु उस में पम्प लगना अभी बाकी है । पम्प-प्राप्ति का प्रबन्ध किया जा रहा है और उसे जल्दी ही लगाया जायगा ।

नल-कूप

†८६७. **श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सोहागपुर तहसील में पचलोरा नामक स्थान पर प्रयोग के रूप में की गई नल-कूप की बोरिंग सफल सिद्ध हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो नल-कूप के कब तक बनने की आशा है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) हाँ ।

(ख) नल-कूप तो बन गया है किन्तु उस में पम्प लगना अभी बाकी है । पम्प-प्राप्ति का प्रबन्ध किया जा रहा है और वह जल्दी ही लगाया जायगा ।

नल-कूप

†८६८. **श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार होशंगाबाद जिले की सोभागपुर तहसील में गोंडलवाडा नामक स्थान पर प्रयोग के रूप में बोरिंग (नल-कूप के लिये) कराना चाहती है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह कब तक की जायगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नल-कूप

†८६९. **श्री कामत** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में १९५६–५७ में प्रयोग के रूप में की जाने वाली बोरिंग (नल-कूपों के लिये) की संख्या कितनी है; और

(ख) इस काम के लिये चुने गये गांवों के क्या नाम हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) होशंगाबाद जिले के लिये निश्चित २३ बोरिंग में ३ बोरिंग १९५६-५७ में पूरी की जायेंगी क्योंकि २० तो १९५५-५६ में पहले ही की जा चुकी हैं ।

(ख) १९५६-५७ में जिन ३ गांवों में बोरिंग पूरी हो जायगी उनके नाम ये हैं :

१. शोभापुर
२. सेनखेड़ा
३. कौरिया

इलाहाबाद-इटारसी रेलगाड़ियाँ

†८७०. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलाहाबाद-इटारसी यात्री गाड़ी को इटारसी के बजाय होशंगाबाद तक चलाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं ।

(ख) होशंगाबाद में रेल के रेक को ठीक रखने और इंजिन को मोड़ने की सुविधाओं की कमी है ।

नागपुर-इटारसी शटल

†८७१. **श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागपुर-इटारसी शटल को इटारसी के बजाय होशंगाबाद तक चलाना चाहती है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं ।

(ख) होशंगाबाद में रेल के रेक को ठीक रखने और इंजिन को मोड़ने की सुविधाओं की कमी है ।

नरशीपुर में डाक और तार विभाग की इमारत

†८७२. **श्री एन० राचय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के मैसूर जिले के टी० नरशीपुर शहर में जनता तथा डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को दफ्तर की उपयुक्त इमारत और रहने के क्वार्टरों की कमी के कारण बड़ी मुसीबत और परेशानी उठानी पड़ती है;

(ख) क्या इन इमारतों के बनाये जाने के बारे में स्थानीय अफसरों से कोई प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दफ्तर के लिये स्थान की कुछ कमी है । सब-पोस्टमास्टर को क्वार्टर दे दिया गया है ।

(ख) और (ग). किराये पर एक और बड़ी इमारत की पहले ही तलाश की जा रही है ।

आस्ट्रेलिया से रेल के इंजन, डिब्बे, आदि

†८७३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से १९५६ तक प्रति वर्ष आस्ट्रेलिया से बड़ी लाइन के कितने वैगन और डीज़ल-कारें आईं; और

(ख) १९५६-५७ में वहाँ से ऐसे कितने वैगन और ऐसी कारें आयेंगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक भी नहीं ।

(ख) लगभग १००० वैगन और ५ डीज़ल कारें ।

सोशल गाइड

†८७४. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ में १५०-२२५ रुपये की श्रेणी में कितने सोशल गाइड भर्ती किये गये;

(ख) १९५० में कितने स्थान कम किये गये और उनके बजाय १५०-२२५ रुपये की श्रेणी में पश्चिम तथा मध्य रेलवे में कितने स्थान दिये गये; और

(ग) ऐसे सोशल गाइडों की संख्या कितनी है जिन्हें अन्य स्थानों पर नहीं रखा गया और भूत-पूर्व ई० पी० आर० में निम्नतम श्रेणी में नियुक्त किया गया ?

†**रेलवे तथा हरिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ६१ ।

(ख) केवल उत्तर रेलवे में ५९ स्थान कम किये गये थे । बी० बी० एण्ड सी० आई (अब पश्चिम रेलवे) या जी० आई० पी० (अब मध्य रेलवे) में १५०-२२५ रुपये की श्रेणी में कोई स्थान नहीं थे ।

(ग) ३६ व्यक्तियों ने अन्य स्थानों पर नियुक्ति अस्वीकार कर दी और १० व्यक्ति निम्नतम श्रेणियों में रख लिये गये ।

त्रिपुरा में तारघर

†८७५. **श्री दशरथ देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राज्य में तारघरों की संख्या कितनी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये तारघर जहाँ हैं उन स्थानों के क्या नाम हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में तारघरों की संख्या बढ़ाना चाहती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २९-२-५६ को वहाँ संयुक्त डाक और तारघरों की संख्या ११ थी ।

(ख) विवरण नीचे दिया गया है ।

(ग) हां ।

विवरण*

१. अगरतल्ला
२. कैलाशहर
३. धर्मनगर
४. कमालपुर
५. सोनामूरा
६. फोटीक्रोय
७. अमरपुर
८. सोब्रूम
९. बेलोनिया
१०. खोवाई
११. राधा किशोरपुर

***टिप्पण** :– ये सब संयुक्त डाक और तारघर हैं ।

डाक और तार विभाग का सेवा शुल्क

†८७६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य मंत्रालयों की एजेन्सी के रूप में डाक और तार विभाग क्या-क्या काम करता है;

(ख) प्रत्येक काम की लागत कितनी है; और

(ग) इसे क्या कमीशन मिलता है; और

(घ) दरें कब निश्चित की गई थीं और क्या उनके पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७]**

नये डाकघर

†८७७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में कितने डाकघर राज्यवार खोले जायेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८]**

तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन

†*८७८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में राज्यवार कितने तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले गए; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५६-५७ में राज्यवार कितने तार और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जायेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९]**

राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता योजनायें

†८७९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सू सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु कुल कितनी राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता योजनायें प्रस्तुत की गईं;

(ख) अभी तक कितनी योजनायें अनुमोदित की जा चुकी हैं; और

(ग) इन योजनाओं के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) ३४ (१० ग्रामीण और २४ नागरीय क्षेत्रों के लिये)

(ख) ३२ (९ ग्रामीण और २३ नागरिक क्षेत्रों के लिए)

(ग) **ग्रामीण**

भटिंडा जिला	३
संगरूर	१
कालका के निकटवर्ती गांव	१
पिंजौर के निकटवर्ती गाव	१
रंगपुरा	१
जोगों	१
मझौली	१
योग	९

नागरीय

नारनौल	२
भटिंडा	१
नालागढ़	२
मलेरकोटला	२
धरमपुर	१
महेन्द्रगढ़	१
समाना	१
अटेली	१
फगवाड़ा	१
हडाया	१
नखाना	२
जुलाना	१
पटियाला	१
नाभा	१
फरीदकोट	१
चायल	१
कंडाघाट	१
सपरूम	१
जिंद	१
योग	२३

†मूल अंग्रेजी में

संगखेड़ा खुर्द में डाकघर

†८८०. **श्री कामत :** क्या **संचार** मंत्री १ मार्च, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह पटल पर कब रखी जायेगी ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०]**

हिन्दी के तार

†८८१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हिन्दी के तारों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** हिन्दी के तारों को लोकप्रिय बनाने के लिये उठाए गए कुछ कदम निम्न प्रकार हैं :

(१) परिपत्रों, सूचनाओं और पोस्टरों द्वारा प्रचार ।

(२) विशेष सुविधायें जैसे मात्राओं और संयोजकों का न गिना जाना ।

(३) देवनागरी लिपि में संक्षिप्त पते का रियायती दर पर पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)

नौवहन सांख्यिकी समिति

†८८२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **परिवहन** मंत्री २७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नौवहन सांख्यिकी समिति की कोई सिफारिश अभी तक सरकार द्वारा स्वीकार की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने नवम्बर में हुई अपनी बैठक में पत्तन और नौवहन सांख्यिकी को पत्तन और नौवहन सांख्यिकी समिति के प्रतिवेदन में बताये गये ढंग पर दृढ़ आधार पर रखने की वांछनीयता पर प्रकाश डाला था और यह सिफारिश की थी कि इस प्रयोजन के लिये एक उपयुक्त संगठन स्थापित किया जाय । स्थापित किये जाने वाले आवश्यक संगठन के स्वरूप की जांच की जा रही है ।

केन्द्रीय सड़क निधि अनुदान

८८३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों को जाने वाली सड़कों के सहकारी आधार पर निर्माण के लिये नियत ५९·६३ लाख रुपये के अनुदान को किस प्रकार विभिन्न राज्यों को वितरित किया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य ने अभी तक कितनी-कितनी राशियों का उपयोग किया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के अन्तर्गत बनाई गई या बनाई जाने वाली सड़कों का विवरण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). जो सूचना मांगी गई है उसके बारे में एक विवरण इसके साथ लगा हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ११]**

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी पर्यटक विद्यार्थी

८८४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५५ और जनवरी १९५६ में भारत देखने आन वाले विदेशी पर्यटक विद्यार्थियों की संख्या पृथक्-पृथक् क्या है; और

(ख) उन लोगों ने भारत के किन-किन स्थानों को विशेष रूप से देखा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). पर्यटकों की संख्या उनके पेश और किन-किन स्थानों को उन्होंने देखा है उसके मुताबिक नहीं रखी जाती हैं इसलिये जो सूचना मांगी है वह प्राप्त नहीं है ।

डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†८८५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से १९५५ तक डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये कुल कितने क्वार्टर बनाए गए; और

(ख) ये मकान कितने कर्मचारियों को और किस आधार पर दिये गये ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १९५१–५६ — २,०६७

(ख) बनाये गये प्रायः सभी क्वार्टर वण्टित किए जा चुके हैं ।

सामान्यतः ये क्वार्टर विभाग के नियमों के अनुसार उपयुक्त वेतन क्रम के कर्मचारियों को उस स्थान में रहने के समय के आधार पर वण्टित किए जाते हैं । कार्यालय के अहाते में बने कुछ क्वार्टर ऐसे कर्मचारियों के लिये होते हैं जो सेवा के हित में अहाते में रहते हैं । ऐसे मामलों में आवण्टन सम्बन्धित पदधारियों को किए जाते हैं । कतिपय कठिन मामलों में "बिना बारी के" आवण्टन भी सहानुभूति के आधार पर किये जाते हैं ।

दिल्ली के अस्पताल

†८८६. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १ सितम्बर, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत दिल्ली के अस्पतालों के डाक्टरों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) वे शिकायतें किस प्रकार की थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी संलग्न है । प्रत्येक के मामले में जांच की गई । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १२]**

सहकारी खेती

†८८७. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना काल में ३१ दिसम्बर, १९५५ तक कितने गाँव सहकारी खेती की इकाइयों में बदल दिये गये; और

(ख) वर्तमान उत्पादन सहकारी खेती के पहले के दिनों की अपेक्षा में कैसा है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) पच्चीस राज्यों में १७४ गांव। इसके अतिरिक्त कुछ गांवों में ऐसी सहकारी खेती समितियां भी कार्य कर रही हैं जिनके अन्तर्गत पूरा गांव नहीं आता ।

(ख) सहकारी खेती के कारण होने वाले अधिक उत्पादन का पृथक् निर्धारण नहीं किया गया है ।

रेलवे की जमीनें

†८८८. **श्री इब्राहीम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में रेलवे की कुल कितनी जमीन खेती के लिये उठाई गई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५४-५५ की तुलना में वह कम है या अधिक ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). १९५५–५६ में रेलवे की लगभग २२,९०० एकड़ जमीन खेती के प्रयोजनों के लिये उठाई गई, जबकि १९५४–५५ में लगभग २६,००० एकड़ उठाई गई थी ।

विदेशों के साथ करार

†८८९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में (हर साल) मंत्रालय ने विदेशों के साथ कितनी संधियां और करार किए;

(ख) वे दोनों पक्षों द्वारा किस प्रकार कार्यान्वत किए गए;

(ग) क्या किसी संधि अथवा करार के बाद में रद्द अथवा पुनरीक्षित किया गया; और

(घ) यदि हां, तो वे कौन से हैं ।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

हस्ताक्षरित करारों अथवा सन्धियों की संख्या	वर्ष जिसमें हस्ताक्षरित किया गया
४	१९५१–५२
२	१९५२–५३
–	१९५३–५४
१	१९५४–५५
३	१९५५–५६

(ख) से (घ). हस्ताक्षरित दस करारों में से ३ डाक तथा तार सम्बन्धी मामलों के थे और ७ विमान परिवहन से सम्बन्धित थे । प्रथम वर्ग के सभी करार पूरी तरह से कार्यान्वित हो चुके हैं और उनमें से किसी को भी पुनरीक्षित अथवा रद्द नहीं किया गया । विमान परिवहन करारों से सम्बन्धित आवश्यक ब्यौरा नीचे दिया गया है :

हालैंण्ड (नीदरलैण्ड) : भारत और हालैण्ड के बीच २४ मई, १९५१ को एक करार पर हस्ताक्षर हुए जिसके द्वारा ३० जून, १९४७ का करार रद्द हो गया । इस करार के अन्तर्गत डच एयर लाइन्स के विमान भारत आ जा रहे हैं, परन्तु भारत के विमान अभी डच प्रदेश में नहीं चल रहे हैं ।

इंग्लैण्ड : करार के अन्तर्गत भारत और इंग्लैण्ड दोनों के विमान भारत और इंग्लैण्ड के बीच चल रहे हैं ।

अफ़गानिस्तान : २६-१-१९५२ को करार पर हस्ताक्षर हुए । भारत की एक विमान सेवा भारत और अफगानिस्तान के बीच चालू है । अफगानिस्तान का कोई विमान अभी इन देशों के बीच नहीं चल रहा है ।

मिस्र : भारत-मिस्र विमान परिवहन करार के अन्तर्गत एक भारतीय विमान सेवा मिस्र तक और उसके पार कार्य कर रही है । करार के अन्तर्गत कोई भी मिस्री विमान सेवा भारत तक अथवा उसके पार नहीं कार्य कर रही है ।

इराक़ : करार पर २८-७-१९५५ को हस्ताक्षर हुये थे और उसका पुष्टिकरण प्रतीक्षित है । करार के अन्तर्गत कोई भी विमान सेवायें प्रारम्भ नहीं हुई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जापान : २६-११-१९५५ को एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे और ७ मई, १९५५ से एक भारतीय विमान सेवा टोकियो तक कार्य कर रही है । इस समय कोई भी जापानी विमान सेवा भारत तक अथवा उसके पार कार्य नहीं कर रही है ।

संयुक्त राज्य अमेरिका : करार पर ३ फरवरी, १९५६ को हस्ताक्षर हुए थे । १९४६ में जो पहला करार हुआ था वह १५ जनवरी, १९५५ को ही समाप्त हो गया था । वर्तमान करार के अन्तर्गत दो अमेरिकी विमान सेवायें भारत तक और उसके पार कार्य कर रहीं हैं । इस समय कोई भी भारतीय विमान सेवा संयुक्त राज्य अमेरिका तक या उसके पार कार्य नहीं कर रही है ।

रेलों पर भोजन व्यवस्था

†८९०. **चौ० रघुबीर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समस्त रेलवे ठेकेदारों को तरकारी आदि वनस्पति घी से बनाने की हिदायतें ज़ारी कर दी हैं अथवा वैसा निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उत्तर रेलवे में पूड़ियों और मिठाइयों के भाव अभी वही हैं जो उस समय थे जब कि वे शुद्ध घी से बनाई जाती थीं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) यद्यपि सरकार ने ऐसी कोई हिदायतें जारी नहीं की हैं, कुछ रेलों में तरकारियां वनस्पति घी और शुद्ध घी दोनों से बनाने की अनुमति दी जा रही है, वनस्पति की अनुमति खास तौर से हाल ही में घटे मूल्य पर प्रतिमान भोजन (स्टैंडर्ड मील्स) उपलब्ध करने की योजना के कारण दी गई है ।

(ख) चूंकि पहलें अधिकतर वनस्पति घी का ही प्रयोग होता था, अत: प्रतिमान भोजन स्टैंडर्ड मील्स के दाम इस धारणा के आधार पर निश्चित किए गए थे कि अब भी वही काम में लाया जाता रहेगा; परन्तु यह शर्त थी कि यदि शुद्ध घी का प्रयोग किया जायगा तो भी निश्चित प्रतिमान मूल्य बढ़ाए नहीं जायेंगे ।

(ग) उत्तर रेलवे के कुछ डिवीजनों में पूड़ियां और मिठाइयां केवल 'वनस्पति' में ही बनाई जातीं है जब कि कुछ अन्य डिवीजनों में वे 'वनस्पति' और शुद्ध घी दोनों में ही बनाई जाती हैं और घी से बनी पूड़ियों व मिठाइयों के दाम कुछ अधिक होते हैं ।

रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दुकानें (रेलवे बुक स्टाल्स)

†८९१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्हीलर की किताबों की दुकानों (व्हीलर बुक स्टाल्स) की सेवा में सुधार के सम्बन्ध में रेलव पदाधिकारियों द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ख) इन पदाधिकारियों द्वारा १९५५ में किताबों की कितनी दुकानों का निरीक्षण किया गया था; और

(ग) व्हीलर की किताबों की दुकानों के कार्यकरण की देख-भाल के लिए और यह देखने के लिए कि वे किस प्रकार काम करती हैं कितनी स्थानीय समितियां गठित की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १३**]

(ख) केन्द्रीय रेलवे *६०
पश्चिमी रेलवे ६९
अन्य रेलवे-- अब तक ऐसे आंकड़े इकट्ठे नहीं किये गए हैं।

*इनमें वे दुकानें भी हैं जिनका निरीक्षण एक से अधिक बार किया गया था।

(ग) मध्य, पश्चिम, उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण रेलवे में से प्रत्येक में एक एक समिति बनाई गई है। यद्यपि मध्य, पश्चिम और पूर्वोत्तर रेलवे की समितियों ने अपने निरीक्षण का प्रथम दौरा समाप्त कर लिया है तथापि उनके प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिये जब तक वे प्राप्त नहीं हो जाते तब तक निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं।

दक्षिण रेलवे समिति के भारतीय पुस्तकों की और अधिक बिक्री और अवांछनीय पुस्तकों को दुकानों से हटाने से सम्बन्धित सुझावों को लागू किया जा रहा है।

पशुओं के रोग

८९२. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पशुओं में फैलने वाले रोग उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे रोगों से प्रतिवर्ष मरने वाले जानवरों के आंकड़े संरकार इकट्ठा करती है;

(ग) गत तीन वर्षों में देश में कितने पशु-चिकित्सा कालेज खोले गये; और

(घ) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा हो गया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) ढ़ोरों के मरने के आंकड़े राज्य सरकारें इक्ट्ठा करती हैं और अपने पशुपालन विभागों के वार्षिक रिपोर्टों में वे उनको प्रकाशित करती हैं।

(ग) पांच ।

(घ) पहली पंचवर्षीय योजना में पशु-चिकित्सा कालेजों के लिये कोई खास लक्ष्य निंर्धारित नहीं किये गये थे।

चुरेब फ्लैग स्टेशन

†८९३. **श्री धुसिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे के चुरेब फ्लैग स्टेशन को एक 'बी' श्रेणी के स्टेशन में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में सोच विचार कर रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी हां। चुरेब फ्लैग स्टेशन को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में एक क्रॉसिंग स्टेशन में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव है।

सहरसा जंक्शन पर अल्पाहार गृह

†८९४. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में (पूर्वोत्तर रेलवे) सहरसा जंक्शन के लिए एक अल्पाहार गृह की मंजूरी दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस जलपान गृह के अभी तक चालू न होने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) सहरसा जंक्शन में एक जलपान गृह की व्यवस्था करने के कारण स्टेशन की इमारत में कुछ फेरबदल करना आवश्यक हो गया है । आशा है यह कार्य जल्दी ही पूरा हो जायेगा और जलपान गृह शीघ्र ही खुल जायेगा ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर क्रॉसिंग स्टेशन

†**८९५. श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे लाइन के समस्तीपुर-दरभंगा, मुज़फ़्फ़रपुर—समस्तीपुर और बारौनी—कटिहार खंडों पर कुछ क्रॉसिंग स्टेशनों की व्यवस्था की जानी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं और वे कार्य करना कब प्रारम्भ करेंगे ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १४**]

रेलवे के फालतू कर्मचारी

†**८९६. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फालतू कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन की सुरक्षा के लिये १९४६ के जिन आदेशों को १९५१ में फिर से लागू किया गया था क्या उनमें संशोधन किया गया था और १९५३ में भूतलक्षी तिथि से उन्हें लागू किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक मोटर सेवा

†**८९७. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में डाक मोटर सेवा को विभाग के अधीन ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से ऐसा किया गया है;

(ग) उक्त स्टेशनों में डाक मोटर सेवा के कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या डाक मोटर सेवा से सम्बन्धित कर्मचारियों को स्थायी रूप में विभाग में ले लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो किस तारीख से; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई में —१९४८ में
मद्रास में — १९४८ में
कलकत्ता में—१९४४ में
दिल्ली में —१९४७ में

(ग) बम्बई—१५०
मद्रास—८९
कलकत्ता—१७६
दिल्ली—१०४

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) से (च). इन स्थानों पर विभागीय डाक मोटर संस्था को स्थायी रूप देने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है और इसलिये कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण

†८९८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री गिडवानी :
श्री अस्थाना :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों की संख्या क्या है जो श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्मुख छः महीने से अधिक समय से और एक वर्ष से लम्बित हैं;

(ख) उनका निर्णय कब तक किया जायेगा; और

(ग) दूर की जगहों से, अपने विवादों के सम्बन्ध में, श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने पेश होने के लिये निर्धन कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों को क्या सहायता दी जाती है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) १ मार्च, १९५६ को स्थिति इस प्रकार थी :

मामले	**६ महीने से अधिक समय से लम्बित**	**एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित**
अपीलें	२२९	२१४
प्रार्थनापत्र	२४८	३१९

टिप्पण :– १९५४ से पहले दायर की गई अपीलों में से ५६ अपीलें, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष लेख्य याचिकाओं के कारण, या उन न्यायालयों में तत्सम्बन्धी अभिलेख दायर किए जाने के कारण, लम्बित हैं ।

(ख) श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या जनवरी १९५५ में ८ से बढ़ा कर जनवरी १९५६ में २१ कर दी गई है । अपीलों और प्रार्थनापत्रों को शीघ्रता से निबटाने के लिये न्यायाधिकरण द्वारा पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विभिन्न सदस्यगण प्रायः पर्यटन कर रहे हैं ताकि किसी भी पक्ष को अपने मामले के प्रतिनिधित्व के लिये अधिक दूरी से न आना पड़े ।

गांवों में आग की दुर्घटनाएं

†८९९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री गिडवानी :
श्री अस्थाना :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लाइन के दाईं या बाईं ओर स्थित गांवों में रेलवे इंजनों से जलती हुई चिंगारियां गिरने के कारण आग लगने की जो घटनायें होती हैं क्या उनकी रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) आग की ऐसी घटनाओं से किस सीमा तक हानि होती है और इस सम्बन्ध में यदि कोई सहायता या प्रतिकर दिया गया तो वह कितना था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां । रेलवे के सभी नए इंजनों में चिंगारियों को बाहर न गिरने देने की व्यवस्था है । कई पुराने इंजनों में भी, जो सवारी गाड़ियों को

†मूल अंग्रेजी में

ले कर जाते हैं और ऐसे स्थानों पर चलते हैं जहाँ आग लगने की अत्यधिक सम्भावना है, यह उपकरण लगाया गया है ।

(ख) प्रश्न में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जानकारी किस अवधि या किस स्थान के सम्बन्ध में चाहिये । तथापि पिछले पांच वर्षों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें सहायता या प्रतिकर देना पड़ा हो ।

भावों को गिरने से रोकने की नीति

†९००. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष भावों को स्थिर रखने के लिये सरकार द्वारा कुल कितना चावल, गेहूँ और बाजरा खरीदा गया था; और

(ख) इसी अवधि में मंडियों में जितना कुल चावल, गेहूँ और बाजरा बेचा गया उसका यह कितने प्रतिशत है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) १९५५ में ७६,४२२ टन गेहूँ खरीदा गया था । चावल या बाजरा बिल्कुल नहीं खरीदा गया ।

(ख) ग़ैर-सरकारी पक्षों द्वारा कुल कितना अनाज ख़रीदा गया था इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है और इसलिए प्रतिशत के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

बीकानेर डिवीज़न के रेलवे के गार्ड

९०१. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीज़न में कुछ गार्डों को १९५५ में आंख की परीक्षा से फेल कर दिया गया था;

(ख) उनमें से कितनों को आंख की रोशनी की कमजोरी के कारण और कितनों को रंग का अन्धा (कलर ब्लाइंड) होने के कारण निकाला गया था;

(ग) क्या यह सच है कि निकाले गये लोगों से उनकी गत २५ साल की नौकरी में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थी; और

(घ) क्या ऐसे लोगों की परीक्षा फिर से की जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हाँ, १९५५ में बीकानेर डिवीजन में ७ गार्डों को आँख की जाँच में फ़ेल कर दिया गया ।

(ख) इनमें से किसी को नौकरी से अलग नहीं किया गया । फेल होने वाले सभी गार्डों को टी० टी० ई०, टिकट कलक्टर और कमर्शियल क्लर्क आदि दूसरे पदों पर रख लिया गया ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

(घ) उत्तर रेलवे के चीफ़ मेडिकल अफसर ने इन लोगों की दुबारा जाँच की थी और बताया कि उनकी आँख कमजोर है । इसलिये इनकी फिर से जाँच नहीं की जायेगी ।

बीकानेर में रेलवे लाइनों पर सिगनल

९०२. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन की लूप लाइनों के सिगनलों की हालत बहुत खराब है और रात को उन में बत्तियाँ भी नहीं जलाई जाती हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि महीनों तक सिगनलों के शीशे साफ नहीं किये जाते जिससे लाल और हरी रोशनी साफ-साफ नहीं दिखाई पड़ती और दुर्घटनाएं होने का अंदेशा रहता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). जी नहीं, सिगनल अच्छी हालत में हैं और रात को उनमें बत्तियाँ जलायी जाती हैं। नियम के अनुसार सिगनलों के शीशे बराबर साफ किये जाते हैं।

बीकानेर स्टेशन पर पीने का पानी

९०३. श्री पी० एल० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्मी की ऋतु में बीकानेर रेलवे स्टेशन पर पानी रखने की कोठरियों में पीने का काफी पानी नहीं रखा जाता है और कभी-कभी पानी पिलाने वाला व्यक्ति भी अनुपस्थित रहता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बीकानेर स्टेशन पर पानी की कोठरियों में पीने के लिए काफ़ी पानी रखा जाता है। इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है कि पानी पिलाने वाला ड्यूटी के समय ग़ैरहाज़िर रहता है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

बीकानेर में रेलवे कमचारी

९०४. श्री पी० एल० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों से क्वार्टरों का किराया उत्तर रेलवे के अन्य डिवीजनों के क्वार्टरों के किराये से अधिक लिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो यह अन्तर क्यों है; और

(ग) क्या दिल्ली, रिवाड़ी, लखनऊ, कालका और बीकानेर में रेलवे क्वार्टरों के किराये का एक विवरण लोक-सभा के टेबल पर रखा जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेल-कर्मचारियों से जो किराया लिया जाता है वह उनके कुल वेतन का १० प्रतिशत होता है। एक डिवीजन में दूसरे डिवीजन के मुकाबले अधिक किराया लेने का सवाल नहीं उठता है, जहाँ क्वार्टर का निर्धारित किराया उसमें रहने वाले कर्मचारी के कुल वेतन के १० प्रतिशत से कम होता हो। बीकानेर डिवीजन के क्वार्टर भारतीय रेलवे के स्टैण्डर्ड टाइप के क्वार्टर नहीं हैं। इसलिये इन क्वार्टरों और भारतीय रेलवे के इसी तरह के दूसरे क्वार्टरों के निर्धारित किराये की तुलना अभी सम्भव नहीं है।

(ख) जनरल मैनेजर सब दर्जे के क्वार्टरों का किराया इस हिसाब से निर्धारित करते हैं जिससे उन पर लगी हुई पूंजी का ४ प्रतिशत वसूल हो जाय। पहले की एन० डब्ल्यू०, ई० आई०, बी० बी० एण्ड सी० आई० के कुछ भाग और रियासती रेलों को मिलाकर उत्तर रेलवे बनाई गई है। जब तक किराये की कोई नई दर निर्धारित नहीं की जाती तब तक इन क्वार्टरों का निर्धारित किराया वही रहेगा जो अब तक रहा है।

(ग) माननीय सदस्य ने प्रश्न में बीकानेर और जिन दूसरी जगहों का जिक्र किया है उन जगहों के बयान सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १५]**

इटारसी पर विभागीय भोजन-व्यवस्था

†**९०५. श्री कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटारसी जंक्शन (मध्य रेलवे) में बल्लभदास ईश्वरदास को नोटिस देकर भोजन-व्यवस्था सम्बन्धी ठेका ख़त्म कर दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस स्टेशन में भोजन-व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इटारसी जंक्शन में भोजन-व्यवस्था के लिये कौन-सा प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस स्टेशन में अन्य ठेकेदारों द्वारा भोजन-व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है ।

नौवहन निगम

†**९०६. श्रीमती तारकेशवरी सिन्हा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नौवहन सम्बन्धी दो नए निगमों को कब पंजीबद्ध किया जायेगा; और

(ख) उनकी प्राधिकृत पूंजी और प्रदत्त पूंजी की रकम क्या है और इन दोनों निगमों के जहाज़ किन मार्गों पर चलेंगे और इन दोनों नए निगमों के लिये जिन जहाज़ों को खरीदने का विचार है उनकी संख्या क्या है और उनका कुल पंजीबद्ध टन भार कितना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख). नौवहन सम्बन्धी दो नए निगमों को प्रारम्भ करने के लिये सरकार के समक्ष इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है, वर्तमान 'ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड' के अतिरिक्त एक दूसरा नौवहन निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इस समय इसका ब्योरा बताना सम्भव नहीं है ।

नौवहन

†**९०७. श्रीमती तारकेशवरी सिन्हा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी तथा भारतीय पत्तनों के बीच सामान लाने ले जाने के लिए, सरकारी क्षेत्र में और ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों के चलाये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध करने का विचार है और सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा इस मार्ग पर जिन जहाज़ों के चलाये जाने का प्रस्ताव है उनकी संख्या क्या है और उनका कुल पंजीबद्ध टन भार कितना है; और

(ख) १९५६ और १९५७ के वर्षों में कुल कितना सामान रूसी पत्तनों से भारत में आएगा और भारतीय पत्तनों से रूस ले जाया जाएगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ६ अप्रैल, १९५६ को भारत सरकार तथा सोवियत संघ सरकार के बीच जिस करार पर हस्ताक्षर किए गए थे उसकी एक प्रति संलग्न है । इसमें भारतीय पत्तनों तथा रूसी पत्तनों के बीच नियमित नौवहन सेवा बनाये रखने के लिये ब्योरा दर्ज है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) आशा है कि रूस से अगले दो वर्षों में प्रति वर्ष ३,५०,००० टन माल भारत आएगा और भारत से इसी अवधि में प्रति वर्ष ५०,००० टन सामान रूस भेजा जाएगा । आशा है कि नई नौवहन सेवा द्वारा कुछ मध्य यूरोपीय देशों को भी सामान ले जाया जायेगा ।

हज यात्रा के जहाज

†**९०८. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार १९५६ या १९५७ में हज के यात्रियों को ले जाने के लिये भारत और जद्दाह के मध्य जहाज़ चलाने वाली है और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितने जहाज़ चलाये जाने की प्रस्थापना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : एक द्वितीय नौवहन निगम की स्थापना की प्रस्थापना के सिलसिले में यह मामला इस समय विचाराधीन है ।

नौवहन निगम

†**९०९. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्र पार के व्यापार की वस्तुओं को ले जाने के प्रयोजन से निश्चित मार्ग पर न चलने वाले जहाज़ों (ट्रैम्प शिप) के चलाने के लिये एक अन्य नौवहन निगम प्रारम्भ करने का विचार रखती है और यदि हां, तो सरकार का विचार भारत के समुद्र पार के व्यापार के लिये इस प्रकार के कितने जहाज़ चलाने का है और उन जहाज़ों का कुल पंजीबद्ध टन भार कितना होगा; और

(ख) सरकार ऐसे कितने तेल वाहक जहाज़ों को खरीदने का विचार रखती है जिन्हें वह शोधित उत्पादों को तटवर्ती बन्दरगाहों पर ले जाने के लिये और अशोधित तेल (क्रूड ऑयल) को विदेशों से आयात करने के लिये स्वयं चलायेगी और उनमें से प्रत्येक का कुल पंजीबद्ध टन भार क्या होगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक द्वितीय नौवहन निगम स्थापित करने की प्रस्थापना अभी विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में कोई दृढ़ निर्णय नहीं किया गया है कि क्या स्थापित होने पर यह निगम केवल निश्चित मार्ग पर न चलने वाले जहाज़ों (ट्रैम्पशिप) को ही चलायेगा अथवा नियमित मार्ग पर चलने वाले जहाज़ों को भी ।

(ख) सरकार ने 'ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड' मध्यम आकार के दो तेल वाहक जहाज़, जिनमें से प्रत्येक जहाज़ लगभग ६००० कुल पंजीबद्ध टन भार वाला होगा, खरीदने का, और उन्हें भारत के तेल शोधक समवायों के 'टाइम चार्टर' के आधार पर शोधित उत्पादों को ले जाने के लिये तटों पर चलाने का निर्णय किया है । इस समय विदेशों से अशोधित तेल (क्रूड ऑयल) लाने के लिये तेल वाहक जहाज़ खरीदने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

नौवहन

†**९१०. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पत्री वर्षों––१९५३, १९५४ तथा १९५५––में भारत के तटवर्ती व्यापार में कुल कितने टन भार का माल ले जाया गया, कुल कितने यात्रियों को ले जाया गया, माल ढोकर कुल कितना रुपया कमाया गया, तथा यात्रियों के किराये के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ख) भारतीय तथा विदेशी जहाज़ों को तटों पर सूखी वस्तुओं और तेल शोधक समवायों के शोधित उत्पादों के लाने ले जाने से अलग-अलग कितनी आय हुई ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १७**] इन तीन वर्षों में भारतीय जहाज़ों द्वारा तेल शोधक कारखानों के शोधित उत्पाद नहीं ले जाये गये । इन तीन वर्षों में सूखी वस्तुओं के ले जाने के लिये कोई विदेशी जहाज़ नहीं लगाये गये थे । विदेशी जहाज़ों को तेल शोधक कारखानों के शोधित उत्पादों को ले जाने से हुई आय के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

टेलीफोन-शुल्क

†**९११. श्रीमती ए० काले** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साऊथ एवेन्यु, नार्थ एवेन्यु, वैस्टर्न कोर्ट और कांस्टीट्यूशन हाउस में टेलीफोन पर कितना शुल्क लिया जाता है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : नार्थ एवेन्यु, साऊथ एवेन्यु तथा वेस्टर्न कोर्ट में टेलीफोन अधिकतर स्वचालित हैं और उनके लिये संदेश दर प्रणाली के अनुसार शुल्क लिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन क्षेत्रों के ४१ मैनुवल (परचल) एक्सचेंजों से लिये हुए कनेक्शनों पर सामान्य-दर प्रणाली से शुल्क लिया जाता है। कॉन्स्टीट्यूशन हाउस के टेलीफोनों पर भी, जो कि, एक मैनुवल (परचल) एक्सचेंज से हैं, उसी सामान्य दर के आधार पर शुल्क लिया जाता है। शुल्कों के संदेश दर और सामान्य दर से ब्योरे लोक-सभा के पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १८]**

बेतिया में फोन सेवा

†९१२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ८ मार्च, १९५६ की "सर्च लाइट" के पृष्ठ ३, स्तम्भ ४ में प्रकाशित "बेतिया में फोन सेवा" नामक एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस मामले की जाँच की गई है और उसके बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि पदाधिकारियों की ओर से कोई भी उदासीनता नहीं दिखाई गई थी। मांग पर स्वतन्त्रतापूर्वक कनेक्शन दिये जा रहे हैं। वहां कोई प्रतीक्षक सूची नहीं है।

बीड़ी का लादा जाना

९१३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **रेलवे** मंत्री निम्न आशय का एक विवरण लोक-सभा के टेबल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में मध्य रेलवे के सागर स्टेशन से लादी जाने वाली बीड़ी से होने वाली आय के आंकड़े क्या थे;

(ख) उक्त वर्षों में सागर स्टेशन से लादे जाने वाले कुल माल के भाड़े के आंकड़े क्या थे; और

(ग) इन्हीं वर्षों में ललितपुर और नरसिंहपुर स्टेशनों से लादे जाने वाले कुल माल के भाड़े के आंकड़े क्या थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). मांगी गई सूचना का विवरण सम्बद्ध है **[देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १९]**

उड़ीसा में चावल के गोदाम

†९१४. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५५ को उड़ीसा में केन्द्रीय चावल गोदामों के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के वर्तमान गोदाम केन्द्रीय गोदाम के अनुपूरक के रूप में हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय गोदामों की देखभाल करने के बारे में राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व अथवा आभार है।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

चावल का वाणिज्यक दृष्टि से श्रेणीबद्ध करना

†९१५. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार चावल की किस्मों को वाणिज्यिक दृष्टि से

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रेणीबद्ध करने की योजना पर व्यापारियों तथा सरकारी पदाधिकारियों के विचार पता लगाने के लिये उड़ीसा गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** :(क) और (ख). कृषि विपणन सलाहकार चावल का व्यापक वाणिज्यिक वर्गों में वर्गीकरण करने के सम्बन्ध में––श्रेणीबद्ध करने की किसी योजना के सम्बन्ध में नहीं––केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक के निदेशक से सलाह लेने के लिये ३ नवम्बर, १९५५ को उड़ीसा (कटक) गये थे । उन्होंने श्रेणीबद्ध करने के बारे में व्यापारियों अथवा सरकारी पदाधिकारियों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया ।

बेकार व्यक्ति

†**९१६. श्री बूवराघस्वामी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में तिरुचिरापल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर में कितने एस० एस० एल० सी० (मैट्रिक) स्तर से ऊपर के व्यक्ति, कितने एस० एस० एल० सी० (मैट्रिक) स्तर के, कितने एस० एस० एल० सी० (मैट्रिक) स्तर से नीचे के व्यक्ति और कितने अनपढ़ व्यक्ति पंजीबद्ध किये गये ?

†**श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई)** : १९५५–५६* में तिरुचिरापल्ली के काम दिलाऊ दफ़्तर में मैट्रिक पास, अथवा उनसे बड़ी परीक्षा पास करने वाले तथा अन्य सभी व्यक्तियों की पंजीबद्ध संख्या नीचे दी जाती है :

वर्ग	पंजीबद्ध संख्या
(१) एस० एस० एल० सी०/मैट्रिक से ऊपर	३६९
(२) मैट्रिक/एस० एस० एल० सी०	२,४१५
(३) मैट्रिक/एस० एस० एल० सी० से नीचे तथा अनपढ़††	५,७४७
कुल	८,५३१

*अप्रैल से दिसम्बर १९५५ तक की कालावधि में ।

††मैट्रिक/एस० एस० एल० सी० से नीचे के स्तर की अर्हताओं वाले आवेदनकर्ताओं तथा अनपढ़ व्यक्तियों के बारे में कोई अलग-अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कुलियों का काम करने वाली स्त्रियां

†**९१७. श्री बूवराघस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा किन-किन रेलवे स्टेशनों पर कुलियों का काम करने वाली स्त्रियाँ सेवायुक्त की गई हैं; और

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर इस प्रकार की कुल कितनी स्त्रियाँ सेवायुक्त की गई हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २०]**

दक्षिण में नई रेलवे लाइनें

†**९१८. श्री बूवराघस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में कुंभकोनम, टी० पाल्लूर, जयनकाण्डम् और अन्दीमदम् के रास्ते से नीदमंगलम और विरुधाचलम् को मिलाती हुई एक नई रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में कोई और अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह कब और किस से प्राप्त हुआ था ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जून १९५५ में नगर व्यापारी सन्था की ओर से कुंभकोनम के रास्ते से नीदमंगलम् और विरुधाचलम् के बीच एक लाइन के लिये एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । भविष्य में ध्यान में रखने के लिये इसे नोट कर लिया गया है परन्तु नई लाइनें बनाने के लिये धन के अभाव के कारण यह प्रतीत होता है कि इस लाइन के निर्माण-कार्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ करना संभव न हो सकेगा ।

बेकार माल-डिब्बे

†**९१९. श्री रामानन्द दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में ऐसे कुल कितने पुराने और बेकार माल-डिब्बे हैं जिनको काम में नहीं लिया जा रहा है;

(ख) क्या कारण है कि उन्हें अथवा उनके सामान को न तो किसी दूसरे काम में लाया गया है, और न ही उन्हें इच्छुक खरीदारों को बेच दिया गया है; और

(ग) उन में से कितने डिब्बों को कम आय वाले रेलवे कर्मचारियों के लिये आवास क्वार्टरों के रूप में इस्तेमाल किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). एक विवरण सम्बद्ध है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २१**]

कल्याणपुर में फ्लैग स्टेशन

†**९२०. श्री बी० एन० कुरील** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में ऊंचाहार और लछमनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच कल्याणपुर में एक फ्लैग स्टेशन स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस काम के कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि कार्य कब तक प्रारम्भ होगा क्योंकि यह भूमि के अधिग्रहण पर निर्भर करता है ।

डालमऊ–दरयापुर लाइन

†**९२१. श्री बी० एन० कुरील** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनेरनी के रास्ते से डालमऊ और दरयापुर के बीच रेलवे लाइन, जिसे गत युद्ध के समय बन्द कर दिया गया था, फिर से खोल देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक काम प्रारम्भ होने की आशा है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ट्रंक लाइन

†९२२. { **ठाकुर युगल किशोर सिंह** :
श्री गिडवानी :

क्या **संचार** मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें बताई गई हों :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) १९५५ में पटना और दिल्ली के बीच की ट्रंक लाइन कितनी बार खराब हुई और कितने-कितने समय तक खराब रही;

(ख) इस प्रकार की बाधाओं को बहुत कम कर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उसके क्या परिणाम हुए ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १९५५ में पटना-दिल्ली ट्रंक सर्किट २६६ बार खराब हुआ । खराबी की औसत अवधि दो घण्टे थी जिसमें लाइनों के सामान्य रूप से खराब हो जाने को नहीं गिना गया है जो कि कुल १०० घण्टे बनती है ।

(ख) इन में से अधिकांश खराबियां पटना-बनारस और बनारस-लखनऊ सैक्शनों में तांबे के तारों के चुराये जाने और फिर मरम्मत के परिणामस्वरूप लाइनों को कुछ बाधा पहुंचने के कारण हुईं । चोरियों को रोकने के लिये पुलिस के साथ निकट सम्पर्क कायम है और कई अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं ।

(ग) ये अतिरिक्त उपाय किये जा रहे हैं और परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अन्दमान द्वीपसमूह

†९२३. **डा० रामाराव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में इमारती लकड़ी का ठेका किसको दिया गया है;

(ख) ठेके की शर्तें क्या हैं;

(ग) १ जनवरी, १९५६ को कितना स्वामिस्व (रायल्टी) बकाया है;

(घ) क्या यंत्र से लकड़ी चीरने का कारखाना (सॉमिल) और स्तरकाष्ट (प्लाई-वुड) कारखाना स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो करार की शर्तों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) मेसर्स पी० सी० रे एन्ड कम्पनी (भारत) लिमिटेड, ४, लायन्स रेन्ज, कलकत्ता ।

(ख) करार की शर्तें (१) ९-७-१९५२ को श्री झुनझुनवाला द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में लोक-सभा के पुस्तकालय में रखी गई लाइसेंस के करार की प्रति और (२) एक अनुपूरक करार में सन्निहित हैं जिसकी एक प्रति अब लोक-सभा के पुस्तकालय में रख दी गई है ।

(ग) लगभग ११·५६ लाख रुपये ।

(घ) अभी तक नहीं ।

(ङ) मामला विचाराधीन है ।

मद्रास में गन्ने की खेती

†९२४. **श्री बूवराघस्वामी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास में पैदा हुआ गन्ना देश के अन्य भागों में पैदा होने वाले गन्ने की तुलना में किस्म और परिणाम में कैसा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: १९५४–५५ के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

गन्ना पैदा करने वाले मुख्य राज्य	गन्ने की सकल पैदावार ('००० टन)	गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार का औसत	शून्यक पात्र (वैकुअम पान) कारखाने द्वारा प्राप्त गन्ने से चीनी की प्राप्ति का औसत प्रतिशत
मद्रास	२,८६१	२५·८	९·२१
उत्तर प्रदेश	२८,३४४	१२·३	९·६६
बम्बई	५,४७५	२७·५	११·६८
पंजाब	४,०३०	११·७	९·१८
आन्ध्र	२,९३४	२७·२	९·५९
बिहार	२,४७६	७·६	१०·२३
हैदराबाद	१,८३९	२२·४.	१०·९९

१९५५–५६ के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

त्रिपुरा में झूम की कटाई

†९२५. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन विभाग द्वारा त्रिपुरा में झूम की कटाई पर विभिन्न प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं; और

(ख) क्या त्रिपुरा में सोनामूरा डिवीजन के कलमचरा थाने के अन्तर्गत झूमियों के विरुद्ध कई मुकदमे दायर किए गए हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) रक्षित वनों और लोक निर्माण विभाग की सड़कों के दोनों ओर आधा मील तक और रक्षित वनों के अन्दर के झरनों के अन्दर झूम की कटाई पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ।

(ख) रक्षित वनों में झूम काटने के कारण कुछ मुकदमे दायर किए गए हैं परन्तु उनमें से अधिकांश झूमियों को होने वाले कष्ट के कारण उपेक्षित कर दिए गए हैं ।

मधुबनी स्टेशन पर गाड़ी का रोका जाना

९२६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ मार्च, १९५६ को उत्तर-पूर्वी रेलवे की सकरी-जयनगर शाखा के मधुवनी स्टेशन से चलने वाली शाम की सवारी गाड़ी ड्राइवर द्वारा रास्ते से उसी स्टेशन पर वापस लाई गई और मधुवनी स्टेशन पर वह करीब चार घण्टे रुकी रही; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इसका कारण यह था कि स्थानीय वाट्सन एच० ई० स्कूल के होस्टल में रहने वाले छात्रों ने मधुबनी स्टेशन के अप होम और बाहरी सिगनल के बीच मील सं० ९/५ के पास रेलवे फाटक नं. १० पर ३६२ डाउन सवारी गाड़ी के ड्राइवर पर हमला कर दिया । मधुवनी स्टेशन पर ३ घंटे ४० मिनट रुकी

†मूल अंग्रेजी में

रहने के बाद गाड़ी हथियारबन्द रक्षकों की देख-रेख में रवाना हुई। समस्तीपुर के रेलवे पुलिस के अधीक्षक इस मामलें की आगे जाँच कर रहे हैं।

पालघाट रेलवे स्टेशन

†९२७. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के पालघाट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की मरम्मत और सुधार के लिये मंजूर की गई एक लाख रुपये की धनराशि रद्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जनवरी, १९५५ में पालघाट के बड़ी लाइन/छोटी लाइन के यात्री प्लेटफार्म पर छत डलवाने के लिए ९७,५१४ रुपये की राशि मंजूर की गई थी। उस कार्य के प्रारम्भ किये जाने के पूर्व पालघाट पर बड़ी लाइन/छोटी लाइन की गाड़ियों के वाहनान्तरण (ट्रांशिपमेंट) की क्षमता बढ़ाने का प्रश्न बहुत आवश्यक हो गया। चूंकि इस स्टेशन पर अब बड़ी लाइन की सवारी गाड़ी नहीं आती थी, इसलिये इस बड़ी लाइन/छोटी लाइन के यात्री प्लेटफार्म को बड़ी लाइन/छोटी लाइन के वाहनान्तरण (ट्रांशिपमेन्ट) प्लेटफार्म में बदल दिया गया, और उसको ऊपर से ढकने का उपर्युक्त कार्य रद्द कर दिया गया।

छोटी लाइन के प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था करने के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जायगा।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को परिवार-भत्ता

†९२८. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय डाक-कर्मचारी संघ श्रेणी ३ केन्द्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को परिवार भत्ता मंजूर किया जाय;

(ख) क्या अन्य सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी सेवाओं में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को ऐसा कोई भत्ता मंजूर किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा कथित अभ्यावेदन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) असैनिक प्राक्कलन से भुगतान किए जाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऐसे कोई भत्ते नहीं दिये जाते हैं। प्रतिरक्षा और रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(ग) प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था। यह महसूस किया जाता है कि जब राज्य देश के नागरिकों के बच्चों को शैक्षणिक सुविधायें प्रदान करने की स्थिति में हो जायेगा तो डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को भी वे सुविधायें पाने का अधिकार होगा।

डाक विभाग के कर्मचारियों को मध्यान्ह भोजन अवकाश

†९२९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक घर की खिड़कियों (काउन्टर्स) पर काम करने वाले डाक-कर्मचारियों को दोपहर के खाने की छुट्टी दी जाती है ?

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें खाना खाने के लिये कुछ समय देने के लिये अन्य क्या व्यवस्था है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हाँ, परन्तु कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खान मजदूरों के लिये मकान

†**९३०. श्री देवगम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोआमण्डी, बराजमदा अर बरबील खान-क्षेत्रों में समस्त खान मालिकों ने मजदूरों के लिये मकानों की व्यवस्था की है; और

(ख) ऐसा न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

खसरा

९३०क. श्री बी० पी० सिंह : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रति वर्ष खसरा (मीज़िल्स) से औसतन कितने बच्चों की मृत्यु होती है;

(ख) क्या इस बीमारी को रोकने के लिये, किसी औषध का आविष्कार किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या स्वास्थ्य कर्मचारी इसका प्रयोग करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) प्रति वर्ष खसरे से होने वाली बच्चों की मृत्यु के बारे में अलग आंकड़े मौजूद नहीं हैं ।

(ख) से (घ). खसरे को रोकने वाली कोई प्रभावकारी औषध इस समय मालूम नहीं है । आशा की जाती है कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो सुधार होंगे और जो अस्पताली सुविधाएं और इलाज के साधन बढ़ेंगे, उनसे इस बीमारी को भी रोका जा सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१३१०–३१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३३९	मार्ग विकास निधि ...	१३१०–११
१३४०	अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना	१३११–१२
१३४१	कांडला पत्तन	१३१२–१४
१३४२	एरणाकुलम्-क्विलोन रेलवे	१३१५
१३५०	समाक्ष तारों (को-एक्सिअल केबल) का निर्माण	१३१५–१६
१३५१	रेलों पर भोजन व्यवस्था के ठेके	१३१६–१८
१३५३	आसाम रेल सम्पर्क	१३१८–१९
१३५४	लिटन-उखरूल मार्ग	१३१९–२०
१३५५	कोसी परियोजना प्रशासन को चावल भेजना	१३२०
१३५७	दक्षिण रेलवे पर माल का परिवहन ...	१३२०–२१
१३५९	जिप्सम के लिये मालगाड़ी के डिब्बे ...	१३२१
१३६०	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा छात्रवृत्तियां	१३२१–२२
१३६३	कांडला पत्तन	१३२३
१३६५	त्रिपुरा में सीमेंट और कलई की कमी	१३२३–२४
१३६६	आसाम-बंगाल रेल सम्पर्क ...	१३२४
१३६८	श्रमजीवी पत्रकार	१३२४–२७
१३७०	लनडिंग-बदरपुर रेलवे लाइन	१३२७
१३७१	अखिल भारतीय रेलवे सप्ताह	१३२७–२८
१३७२	आंध्र में यंत्रीकृत कृषि क्षेत्र (फार्म)	१३२८–२९
१३७७	इम्फ़ाल-तमेंगलांग सड़क ...	१३२९
१३७९	केन्द्रीय पटसन समिति	१३२९–३०
१३८१	बानिहाल सुरंग ...	१३३०
१३८२	ग्राउण्ड इंजीनियर...	१३३०–३१
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१३३१–६१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३३८	गन्ने की फस्ल की बीमारियां	१३३१
१३४३	सिकन्दराबाद का मुख्य डाकघर	१३३१–३२
१३४४	हाट-व्यवस्था तथा सहकारिता विषयक सम्मेलन	१३३२
१३४५	अन्तर्देशीय नदी परिवहन	१३३२
१३४६	रेलवे संस्थापन संहिता	१३३२–३३
१३४७	श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	१३३३
१३४८	कुरनूल में पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय ...	१३३३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१३४६	अन्नपूर्णा ...	१३३३–३४
१३५२	राती बाती कोयला खान	१३३४
१३५६	केन्द्रीय भू-संरक्षण बोर्ड ...	१३३४
१३५८	दबोक हवाई अड्डा	१३३४
१३६१	भारतीय रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ	१३३४–३५
१३६२	एयर इंडिया इंटरनेशनल	१३३५
१३६४	भारत लाइन लिमिटेड	१३३५
१३६७	आसाम के लिये रेलवे बुकिंग ...	१३३५–३६
१३६९	भारत-पाकिस्तान ट्रंक टेलीफोन ट्रैफिक	१३३६
१३७३	हैदराबाद राज्य को ऋण	१३३६
१३७४	रेलवे संस्थापन संहिता	१३३६–३७
१३७५	उत्तर-पूर्वी रेलवे में मालगाड़ी के डिब्बों का संभरण ...	१३३७
१३७६	एशिया प्रशान्त वन-विद्या आयोग	१३३७
१३७८	चीनी...	१३३८
१३८०	काम दिलाऊ दफ्तर	१३३८
१३८३	गारो पहाड़ियों से रेल-सम्पर्क	१३३८
१३८४	भेषजीय पौधे	१३३९
१३८५	रेल मार्ग पर विस्फोटक पदार्थ... ...	१३३९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८६५	सीमेंट फैक्टरियों में दुर्घटनायें ...	१३३९
८६६	नल-कूप	१३३९
८६७	नल-कूप	१३३९
८६८	नल-कूप	१३४०
८६९	नल-कूप	१३४०
८७०	इलाहाबाद-इटारसी रेलगाड़ियां	१३४०
८७१	नागपुर-इटारसी शटल	१३४०–४१
८७२	नरशीपुर में डाक और तार विभाग की इमारत	१३४१
८७३	आस्ट्रेलिया से रेल के इंजन, डिब्बे, आदि	१३४१
८७४	सोशल गाइड	१३४१
८७५	त्रिपुरा में तारघर	१३४१–४२
८७६	डाक और तार विभाग का सेवा-शुल्क	१३४२
८७७	नये डाकघर	१३४२
८७८	तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन ...	१३४२–४३
८७९	राष्ट्रीय जल-संभरण और स्वच्छता योजनायें...	१३४३
८८०	संगखेडा खुर्द में डाकघर ...	१३४४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८८१	हिन्दी के तार ...	१३४४
८८२	नौवहन सांख्यिकी समिति	१३४४
८८३	केन्द्रीय सड़क निधि अनुदान	१३४४
८८४	विदेशी पर्यटक विद्यार्थी	१३४५
८८५	डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१३४५
८८६	दिल्ली के अस्पताल	१३४५
८८७	सहकारी खेती	१३४५
८८८	रेलवे की जमीनें	१३४५–४६
८८९	विदेशों के साथ करार	१३४६–४७
८९०	रेलों पर भोजन व्यवस्था	१३४७
८९१	रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दुकानें (रेलवे बुक स्टाल) ...	१३४७–४८
८९२	पशुओं के रोग	१३४८
८९३	चुरेब फ्लैग स्टेशन	१३४८
८९४	सहरसा जंक्शन पर अल्पाहार गृह ...	१३४८–४९
८९५	पूर्वोत्तर रेलवे पर क्रासिंग स्टेशन	१३४९
८९६	रेलवे के फालतू कर्मचारी	१३४९
८९७	डाक मोटर सेवा ...	१३४९–५०
८९८	श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण	१३५०
८९९	गावों में आग की दुर्घटनायें ...	१३५०–५१
९००	भावों को गिरने से रोकने की नीति	१३५१
९०१	बीकानेर डिवीज़न के रेलवे के गार्ड	१३५१
९०२	बीकानेर में रेलवे लाइनों पर सिगनल	१३५१–५२
९०३	बीकानेर स्टेशन पर पीने का पानी	१३५२
९०४	बीकानेर में रेलवे कर्मचारी ...	१३५२
९०५	इटारसी पर विभागीय भोजन-व्यवस्था	१३५२–५३
९०६	नौवहन निगम	१३५३
९०७	नौवहन ...	१३५३
९०८	हज यात्रा के जहाज़ ...	१३५३–५४
९०९	नौवहन निगम ...	१३५४
९१०	नौवहन	१३५४
९११	टेलीफोन शुल्क ...	१३५४–५५
९१२	बेतिया में फोन सेवा	१३५५
९१३	बीड़ी का लादा जाना ...	१३५५
९१४	उड़ीसा में चावल के गोदाम	१३५५
९१५	चावल का वाणिज्यिक दृष्टि से श्रेणीबद्ध करना	१३५५–५६
९१६	बेकार व्यक्ति	१३५६
९१७	कुलियों का काम करने वाली स्त्रियां	१३५६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
६१८	दक्षिण में नई रेलवे लाइनें	१३५६–५७
६१९	बेकार माल-डिब्बे ...	१३५७
६२०	कल्याणपुर में फ्लैग स्टेशन	१३५७
६२१	डालमऊ-दरयापुर लाइन	१३५७
६२२	ट्रंक लाइन ...	१३५७–५८
६२३	अन्दमान द्वीपसमूह ...	१३५८
६२४	मद्रास में गन्ने की खेती	१३५८–५९
६२५	त्रिपुरा में झूम की कटाई ...	१३५९
६२६	मधुवनी स्टेशन पर गाड़ी का रोका जाना ...	१३५९–६०
६२७	पालघाट रेलवे स्टेशन	१३६०
६२८	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को परिवार-भत्ता ...	१३६०
६२९	डाक विभाग के कर्मचारियों को मध्याह्न-भोजन अवकाश	१३६०–६१
६३०	खान मज़दूरों के लिये मकान ...	१३६१
६३०क	खसरा	१३६१

M37LSD--13-6-57—190—GIPF.

बुधवार
11 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha
(XII Session)

Preservation Unit
Parliament Library

सत्यमेव जयते

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग--२ वाद-विवाद, खण्ड ३--२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१--बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४--पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२--गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४--पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें--त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ठ

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६
मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६
दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९
प्राक्कलन समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१
अनुदानों की मांगें १९५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६

विचार करने का प्रस्ताव २०००

दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०

अनुदानों की मांगें २०१०–७९

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४

मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९

मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९

मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९

मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९

मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९

मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९

दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९

मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३

मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन २०८१–२१३३

मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज २३०९—११

सभा का कार्य ... २३११—१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३—८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय २३१३—२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३—२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३—२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३—२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय २३१३—२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय २३२४—७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या २३२४—७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग २३२४—७७

मांग संख्या २०—शिक्षा २३२४—७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४—७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय २३२४—७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय २३७७—८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७—८२

मांग संख्या ३०—अफीम २३७७—८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३७७—८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण २३७७—८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३७७—८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७—८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें २३७७—८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २३७७—८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान २३७७—८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५–८७

अनुदानों की मांगें २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७—२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५—२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५—२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५—२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५—२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५—२७
वित्त विधेयक	२४२७—३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

११. ३० म० पू०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनचासवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला–भटिंडा): श्रीमान् मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उनचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें*

†**अध्यक्ष महोदय** : लोक-सभा अब गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेगी । मंत्रालय की मांगों के लिये नियत किये गये आठ घटों के समय में से एक घंटा समाप्त हो चुका है और अब सात घंटे शेष बचे हैं ।

†**श्रीमती खोंगमेन** (स्वायत्त जिले—रक्षित— अनुसूचित जातियां): कल मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आदिम जातियों को कृषि के सुधरे हुये ढंग सिखाये जाने चाहियें जिससे कि उनकी आर्थिक दशा में सुधार हो सके । पर्याप्त मात्रा में अच्छे बीजों का सम्भरण किया जाना चाहिये । उपयुक्त प्रकार की कपास की खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।'यह कार्य आवश्यक है, परन्तु इसके प्रति लापरवाही बरती जा रही है । आसाम बुनकरों का क्षेत्र है और उस सुदूर कोने के अधिकांश आदिम निवासी अपने कपास और सूत के सम्भरण के लिये कपास की फसल पर ही निर्भर करते हैं । इसलिये कपास की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये ।

दस्तकारी की वस्तुओं के विक्रय पर ध्यान दिया जाना चाहिये । आदिम निवासियों की दशा में सुधार करने पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है ।

---

*राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती खोंगमेन]

जब हम शिक्षा की ओर देखते हैं तो वही अन्धकारमय चित्र सामने आता है । कुछ क्षेत्रों के लोग सभी दृष्टियों से, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़े हुये हैं, यहां तक कि वह चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिये भी अर्ह नहीं हैं । जब बच्चों को शिक्षित ही नहीं किया जाता है तब उपयुक्त अभ्यर्थी मिल भी कहां से सकते हैं ? और जब आदिम क्षेत्रों में स्कूल ही नहीं हैं तो शिक्षा दी भी कैसे जा सकती है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार आदिम क्षेत्रों में अधिक स्कूलों की स्थापना करके शिक्षा के लिये अधिक सुविधायें प्रदान करे, कम से कम प्राइमरी कक्षा तक के बच्चों के लिये निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां उदारता-पूर्वक दी जायें ।

मेरा यह भी निवेदन है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये एक विशेष आवास योजना बनायी जानी चाहिये । इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिये ही एक विशेष विभाग बनाया जाना चाहियें । स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है । पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर मिकिर पर्वतीय जिले, की जनसंख्या अस्वास्थ्य कर वातावरण और रोगों की शिकार बन रही है । मिकिर पर्वतीय जिले में लगभग १०० व्यक्ति एक रोग के शिकार बन चुके हैं, जिसे प्लेग समझा जा रहा है । मैं चाहती हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल ही कोई कार्यवाही करे, और आसाम के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर वहां विश्व स्वास्थ्य संस्था के अन्तर्गत चिकित्सीय सुविधायें जुटायें । वहां दाइयों और नर्सों की बड़ी आवश्यकता है और उसके लिये आसाम मेडीकल कालेज और अन्य संस्थाओं में प्रबन्ध किया जाना चाहिये । सरकार को स्वयं ही वहां प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्र चलाने चाहिये ।

जाड़े के दिनों में वहां पीने के पानी का अभाव रहता है । इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

उस क्षेत्र के आंतरिक भागों में संचार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । इसी से, वहां की मुख्य सड़कों के आस-पास रहने वाले लोग आंतरिक भागों के लोगों से अधिक उन्नत ह ।

इसलिये वहां की जनसंख्या का आर्थिक स्तर ऊंचा करने के लिये, वहां यथाशीघ्र कुटीर उद्योग आरम्भ किये जाने चाहियें । इससे उनको बड़ी मदद मिलेगी । साथ ही जहां भी सम्भव हो सके, वहां छोटे और मध्यम पैमाने के उद्योग भी आरम्भ करने चाहियें, जिस से कि उनकी नकद आय बढ़ सके ।

सुरक्षा और उन पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, वहां की सर्वप्रथम आवश्यकता संचार सुविधाओं की है । वहां की जनसंख्या पाकिस्तान् की सीमा पर रहती है, इसलिये वह स्वाभाविक रूप से सुरक्षाहीनता का अनुभव करती है ।

गत चार वर्षों से आसाम के पांच स्वायत्त जिलों में, हमारे संविधान के छठवीं अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार, जिला परिषदों ने काम करना आरम्भ कर दिया है । इन आदिम जाति क्षेत्रों की शांति और उनके सुख के लिये यह अत्यावश्यक है कि वे उचित रूप से कार्य करती रहें । पर वित्तीय कारणों से उनकी प्रगति में बाधायें पड़ रही हैं । उन बाधाओं पर पार पाने के लिये ही, मैंने छठवों अनुसूची में एक संशोधन प्रस्तुत किया है । मुझे आशा है कि सरकार उस पर विचार करेगी; और यदि वह कोई रूप भेद नहीं तो कोई ऐसा संशोधन अवश्य करेगी जिससे कि उन परिषदों का कार्य सुचारू रूप से चलने लगे ।

मैंने आवश्यकताओं और अपर्याप्तताओं की एक लम्बी सूची पेश कर दी है। मैं जानती हूं कि सरकार उन सबको एक साथ ही पूरा नहीं कर सकती है। मेरा आशय यही है कि उनके सम्बन्ध में यथा शीघ्र कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय।

इन पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, स्वयं, प्रधान मंत्री ने कहा था कि उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को ठीक तरह से नहीं समझा गया है। उन्होंने यह भी इच्छा प्रकट की थी कि उनको उचित सहायता दी जानी चाहिये।

मैं लोक-सभा से अनुरोध करती हूं कि वह इन क्षेत्रों की परिस्थितियों का अध्ययन करे और यहां की जनता के विकास में सहायता दे। मुझे आशा है कि गृह-कार्य मंत्री इस ओर विशेष ध्यान देंगे।

†**श्री गाडगील** (पूना—मध्य) : हमारे प्रधान मंत्री ने २९ मार्च के अपने ऐतिहासिक भाषण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का बड़ा सही विश्लेषण किया था। उन्होंने राष्ट्र का सही-सही रोग बता दिया था। मैं उसी सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही तभी कर सकते हैं, जब कि हम अपने घर में सुदृढ़ और एक हों। इसलिये अपने देश के पिछले छः महीनों के वातावरण को देखते हुये, गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों की चर्चा के अवसर पर मेरा सुझाव है कि गृह-कार्य मंत्री कुछ अधिक निश्चित कार्यवाही करें।

अभी कुछ दिन पहले, बम्बई के मुख्य मंत्री ने बम्बई विधान मंडल में कुछ आरोप लगाये थे। हमें शांतिपूर्ण ढंग से रहने की सलाह दी गई है। यह तो सही है। लेकिन, जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताहों में हुए बम्बई के हत्याकांड ने सारे राज्य में भय फैला दिया है। मैं चाहता हूं कि उस हत्या-कांड की एक सार्वजनिक न्यायिक जांच कराई जाये। तभी हम पर लगाये जाने वाले विभिन्न आरोपों के तथ्यों का पता चलेगा, और तभी हम में आत्म विश्वास उत्पन्न होगा, और चारों ओर सद्भावना फैलेगी।

भारत सरकार को वहां की परिस्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन, गोलियों और संगीनों के बल पर सत्य को दबाया भी तो नहीं जा सकता है। इतिहास इसका साक्षी है। इसलिये राजनीतिक सुविधा के विचार से सत्य को महत्वहीन मत बनाइये। सत्य की विजय तो होगी ही, पर उसे पाने के लिये हमें भारी कीमत न चुकानी पड़े; यही हम चाहते हैं।

गृह-कार्य मंत्री ने मुझ से बार-बार कहा है कि मैं इस जांच पर जोर न दूं। पर मैं जानता हूं कि मैं वहां के वातावरण को अधिक अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि इस जांच से वातावरण की कटुता कम हो जायेगी। मैं इसका आश्वासन देता हूं कि यदि गृह-कार्य मंत्री को भी कभी आपात-काल में महाराष्ट्रीयों के रक्त दान की आवश्यकता पड़े, तो मैं २० लाख प्रशिक्षित युवक इस के लिये दे सकता हूं।

देश में एक सुदृढ़ और एकता-बद्ध मोर्चा बनाने के इस प्रस्ताव का एक और भी पक्ष है। भोपाल, आसाम, काश्मीर और अन्य स्थानों की घटनाओं को देखकर, यह स्पष्ट है कि हमारे देश में पाकिस्तानी राष्ट्रजन अधिकाधिक संख्या में छिपा-चोरी आते जा रहे हैं। अपने देश के मुस्लिम नागरिकों पर मैं कोई भी संदेह नहीं करता हूं लेकिन, गृह-कार्य मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कुछ अधिक सावधान रहना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गाडगील]

मेरा आशय यह नहीं है कि सरकार को देश में होने वाले उत्पातों के स्रोतों का पता नहीं है, या सरकार यह नहीं जानती है कि पाकिस्तान की संस्थाओं की कुछ शाखायें भी हमारे देश में मौजूद हैं। मैं केवल यही चाहता हूं कि इन सब पर एक कड़ी नजर रखी जानी चाहिये।

इस प्रस्ताव का तीसरा पक्ष है—जातिवाद। संविधान ने अस्पृश्यता निवारण विधेयक स्वीकृत कर दिया है, लेकिन अभी भी उनकी निर्योग्यतायें वैसी ही हैं। जहां तक देश में जाति प्रथा को मिटाने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में अधिक निश्चित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह हमारा भ्रम ही है कि केवल कानून बना देने मात्र से पूरे समाज के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आ जायेगा। योगी वशिष्ट में कहा है कि केवल भय से प्रेरित कोई भला कार्य वास्तव में भला नहीं हो सकता। इसलिये, मेरा सुझाव है कि हमें आगामी पीढ़ी को सामाजिक रूप से नये मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिये। वर्तमान पीढ़ी पर समय नष्ट करना लाभदायक नहीं होगा। वह तो एक प्रकार की परम्पराओं में परिपक्व हो चुकी है। यदि हम जीवन के एक नये-जन्में सामाजिक दृष्टिकोण से लाभ उठायें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह नयी, क्रांति 'सामाजिक आचार' की अपेक्षा, विचारों के रूप में ही सब से पहले प्रकट होगी।

लोक-सभा को सुनकर आश्चर्य होगा कि इस सन् १९५६ में भी, अनुसूचित जाति के हमारे एक माननीय सदस्य को उत्तर प्रदेश के नगर सीतापुर के विधि-जीवी संघ में सम्मिलित करने से मना कर दिया गया है। उनसे अलग बाल्टी और लोटा रखने को कहा गया है। संविधान में उपबन्ध होने पर भी, ऐसा होता है। सन् १९१२ में, मेरे विद्यार्थी जीवन में, एक हरिजनों के डिब्बे में मेरे बैठने पर टिकट क्लैक्टर को आश्चर्य हुआ था। सन् १९२७ में, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भी ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के लिये अलग-अलग भोजन की व्यवस्था की गई थी। मैंने उसका विरोध किया था।

सन् १९३० में, पूना के पास एक तालाब से पानी लेने पर कुछ हरिजनों को पीटा गया था। तब बहुत से लोग इस बात.पर तो तैयार हो गये थे कि उन सवर्ण हिन्दुओं की निन्दा का प्रस्ताव पारित किया जाये, पर वे इस बात पर तैयार नहीं हुये थे कि हम लोग स्वयं हरिजनों के हाथ का पानी पियें।

मेरा विचार है कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिये, नहीं तो सरकार इस जातिवाद का क्रिया-कर्म करने में सफल नहीं हो सकेगी। आगामी तीन-चार पीढ़ियों में लोग इसे भूल जायें, हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये। कुछ तो अपने-आप ही हो रहा है, लेकिन हमें भी तो उसमें कुछ योग देना चाहिये। जैसे ही हम उन्हें पिछड़ी जातियां घोषित करते हैं और उन्हें सुविधायें देने लगते हैं, वैसे ही उन्हें पिछड़े रहने में ही अधिक फायदा दिखाई देने लगता है। ऐसा करना केवल तभी सम्भव है जब कि उन में अन्य वर्गों की समानता का भाव जगाया जाये और इसके लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाय बनाई जायें। गांवों या नगरों में हरिजनों की पृथक् बस्तियां नहीं होनी चाहियें। इससे तो पृथकत्व की भावना और भी स्थायी हो जाती है। हमने अभी उसी दिन एक विधेयक पारित किया है कि उपजातियों के सूचक नाम—जैसे 'ब्राह्मण बाड़ा' या 'मराठवाडा'—हटा दिये जाने चाहिये। इसी तरह नगर की योजनायें बनाते समय हमें हरिजन बस्तियों को भी अलग नहीं रखना चाहिये। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिये जिस में लोग इस बात को भूल ही जायें। उसी वातावरण में सामाजिक सुदृढ़ता उत्पन्न हो सकेगी। वर्तमान तरीके से यह समस्या नहीं सुलझ सकेगी। आप को चाहिये कि आप प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य बना दें, और केवल कुछ वर्षों के लिये उनमें हरिजनों को कुछ सुविधायें दे दें। पर उस अवधि के बाद वे सुविधायें हमारे दिमागों में भी नहीं रह जानी चाहिये।

आज कल तो हमें जातियों की याद तभी आती है जब कभी चुनाव या विवाह का कोई प्रश्न उठता है। पिछले दिनों में, सरकारी पदों और निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये जातियों के आधार पर व्यवस्था

की जाती थी। अब, मेरा सुझाव है कि सरकारी कर्मचारियों का चुनाव करने में हमें अन्तर्जातीय-विवाह करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देनी चाहिये। निर्वाचन-विधि में तो एक ऐसा उपबन्ध है कि जाति या धर्म के आधार पर की जाने वाली अपील को अपराध समझा जाता है, पर उसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री राघवाचारी ।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : इस मंत्रालय में हुए परिवर्तन से मुझे संतोष हुआ है। इस मंत्रालय को बहुत अधिक कार्य करने पड़ते हैं। पर मुझे खटकता यह है कि इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में भी, समाजवादी ढंग में भी, हमारी पद्धति साम्राज्यीय ही बनी हुई है। राज्यपालों के निवास-स्थान राज भवन कहलाते हैं। हमारे जलूसों में हाथी चलते हैं। साधारण भोजों को राज भोज कहा जाता है। हम आरम्भ से ही इस शान-शौकत का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब फिर उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे इस सब से बड़ी अरुचि है।

संविधान ने विद्या सम्बन्धी और सैनिक उपाधियों के अतिरिक्त सभी अन्य उपाधियों को हटा देने की बात कही है। पहले ये उपाधियां बड़े-बड़े दरबारों में दी जाती थीं। तब हम इसे गुलामी का द्योतक समझते थे। अब भी हम वही कर रहे हैं। अब हमने उसका रूप कुछ बदल दिया है। इसे भी अविलम्ब हटा देना चाहिये।

राज्य भी अब इसी मंत्रालय के अधीन रख दिये गये हैं। मैंने संविधान की अनुसूची देखी है। उसमें जम्मू और काश्मीर को प्रथम अनुसूची की 'ख' श्रेणी में रखा गया है। लेकिन आप उसके साथ उसी के अनुसार व्यवहार क्यों नहीं करते ? यदि काश्मीर हमारे गणतंत्र का ही एक भाग है, तो उसे वर्तमान गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत क्यों नहीं रखा जाता ? उसे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत क्यों रखा गया है ? मेरा विचार है कि उसे गृह-कार्य मंत्रालय में ही रखा जाना चाहिये। कुछ यह कह सकते हैं कि अभी राजनीतिक तनाव के कारण इसके सम्बन्ध में कुछ-कुछ कहना ठीक नहीं होगा। यदि राजनीतिक तनाव है, तो आप वहां अधिक सेना नियुक्त करें। वह तो समझ में आता है। लेकिन फिर आप काश्मीर में सशस्त्र-पुलिस क्यों भेजते हैं ? क्या इसलिये कि आप को वहां की जनता के सुरक्षा सम्बन्धी विचारों के सम्बन्ध में कुछ संदेह है ? हम इसे यों ही नहीं टाल सकते। मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि रोग का ठीक-ठीक निदान करना चाहिये और उचित कार्यवाही करनी चाहिये। हमें आत्म संतोष करके नहीं बैठ जाना चाहिये।

राज्य पुर्नगठन का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसके सम्बन्ध में एक विधेयक पुर:-स्थापित करने जा रहे हैं। आप इसे जिस तरीके से कर रहे हैं उससे कटुता और असंतोष बढ़ रहे हैं। सरकार इस सम्बन्ध में केवल अपने दल की संस्थाओं के साथ ही परामर्श कर रही है। आप को अन्य दलों, और आप से भिन्न मतों वाले लोगों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श करना चाहिये। यह आवश्यक है और इसको करने का दायित्व भी सरकार पर ही है, उन दलों या व्यक्तियों पर नहीं। अन्य व्यक्तियों और दलों का दृष्टिकोण भिन्न है। उनसे भी परामर्श किया जाना चाहिये। सभी से परामर्श करके कोई निर्णय किया जाना चाहिये।

इस सबका परिणाम क्या हुआ है ? बम्बई की जनता ने आप के निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। यह सही है कि आपने उसका दमन कर दिया है, वह विरोध दब गया है। लेकिन वह कब तक दबा रहेगा ? इस दमन से विष फैलने लगेगा। आप की स्थिति अभी भी वहां सुरक्षित नहीं है। आप इसी डर से वहां अभी अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं कर सकते हैं। आप चुनावों को टाल रहे हैं और नगरपालिकाओं का दमन कर रहे हैं। लेकिन, कब तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राघवाचारी]

यह सभी एक ही रोग के लक्षण हैं, उसी रोग के जिसे दबा दिया गया है । वह फिर किसी दिन उभर सकता है, और वह देश के हित में नहीं होगा । आप केवल प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये अड़े हुए हैं। विदेशियों के विरुद्ध भी हम सदैव यही शिकायत करते थे । उचित तो यही होगा कि एक बार यह अनुभव करने पर कि हम अन्याय कर बैठे हैं, हमें उसका सुधार कर लेना चाहिये । इस तरह के मामलों में प्रतिष्ठा के प्रश्न को आड़े नहीं आने देना चाहिये । राज्य पुर्नगठन के सम्बन्ध में, मेरी यही भावना है । त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया गया कोई आश्चर्य की बात नहीं है । आश्चर्य तो इस बात पर है कि वहां के कांग्रेसी भी इससे बहुत प्रसन्न हुये हैं । मैं भी इसे ठीक ही समझता हूं कि क्योंकि वहां स्थायी मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा सकता था, परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी कभी ऐसी परिस्थितियां हों तब निर्वाचन किये जाने चाहियें । इसी से लोगों को यह शिक्षा मिलेगी कि उन्हें स्थायी मंत्रिमंडल का चुनाव करना चाहिये । इसमें कई कठिनाइयां तो होंगी परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि मंत्रिमण्डल को तोड़ कर निर्वाचन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दिये जायें । इस प्रकार लोकतन्त्र को सुस्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार पर चर्चा की जाती है पर वह ज्यों का त्यों चल ही रहा है । मैं मानता हूं कि इसे दूर करने में बड़ी कठिनाइयां हैं । इस सम्बन्ध में जो नये नियम बनाये गये हैं वे बहुत ही अच्छे हैं । इनके अनुसार भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर तुरन्त विभागीय कार्यवाही करके दण्ड देने के आदेश दे दिये जाते हैं । यह बहुत अच्छी व्यवस्था है क्योंकि पहले इस प्रकार की कार्यवाही करने में कई वर्ष लग जाते थे । परन्तु हमें देखना यह है कि क्या इस लम्बी अवधि को घटाया गया है या नहीं ।

एक और बहुत अच्छी बात यह की गई है कि यह निश्चय किया गया है कि बेईमान लोगों को ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये । जहां स्वविवेक से काम लेना पड़ता है । परन्तु स्वविवेक से हीन तो कोई पद नहीं है, और फिर यह कैसे जाना जाये कि कोई व्यक्ति बेईमान है या नहीं । राजाजी के मतानुसार यह जानने के लिये जनता के छः पक्षपात हित व्यक्तियों की राय लेना पर्याप्त होगा । परन्तु अभियुक्त की सहायता करने वाले व्यक्ति, दल के सदस्य और मंत्रिगण पदाधिकारियों के काम में हस्तक्षेप करते हैं । यहां तक कि कानूनी कार्यवाही में भी हस्तक्षेप किया जाता है । उदाहरणतः मान-हानि के हस्तक्षेप अपराध बनाने के लिये जब दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया जा रहा था तो लोक-सभा में खलबली मच गई थी । हमें आश्वासन दिया गया था कि यदि आरोप लगाये जायेंगे । तो सम्बधित मंत्रिगण अपने अपराधी न होने का प्रमाण देंगे, परन्तु कितनों ने ऐसा किया है ? जब कभी आरोप लगाये जाते हैं, कांग्रेस दल स्वयं एक न्यायालय बन कर उस आरोप की जांच करता है और उसे निरपराध प्रमाणित कर दिया जाता है । यदि ऐसे ही करना है तो देश में न्यायालयों की क्या आवश्यकता है ।

मैं चाहता था कि हमें दण्ड प्रक्रिया संहिता सम्बन्धी वे आंकड़े दिये जाते जिन से पता चलता कि न्याय कितना शीघ्र, बिना अधिक खर्च और विलम्ब के किया जाता है । इन्हीं प्रयोजनों से दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया था । हम चालान पेश करने की कार्यवाही की अवधि घटाना और संक्षिप्त सुनवाई के क्षेत्राधिकार को विस्तृत करना चाहते थे । साक्षियों के उपस्थित न होने से कई मुकदमें फाइलों में पड़े रहते हैं । उन साक्षियों के विरुद्ध जो सम्मनों का पालन नहीं करते कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

अस्पृश्य व्यक्तियों के लिये छात्र वृत्तियों, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं और नियुक्तियों की प्रतिशतता की व्यवस्था किये जाने से मैं सहमत हूं । चाहे इस विषय में केवल लोक-सभा में भाषण ही दिये जाते हैं परन्तु हमें चाहिये कि केवल विद्यार्थियों और विशेष वर्गों के लिये ही नहीं बल्कि सामूहिक रूप से न लोगों की अयोग्यताओं और कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाये । इस प्रयोजन के

लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ९० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस राशि का वितरण करने की बजाये कुछ विशेष स्थानों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये, कुछ बस्तियां बनाई जायें जहां कम आय वाले, पिछड़े हुये और अस्पृश्य इकट्ठे रहें और उन लोगों के बच्चे इकट्ठे खेलें, कूदें और उन को अलग न रखा जाये । उन्हें सबजियां और फल पैदा करने और दूध का सम्भरण करने का काम सौंपा जाये ताकि लोगों को अनिवार्यतः उनसे वस्तुयें खरीदनी पड़ें । सभी सामुदायिक परियोजनाओं में यह प्रयोग किया जाना चाहिये ।

†**श्री वेंकट्रामन** (तंजोर) : विरोधी दल के सदस्यों को प्रसन्न होना चाहिये कि विचाराधीन प्रतिवेदन में उनके बहुत से सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं ।

प्रेस आपत्तिजनक सामग्री सम्बन्धी विधि से लोक-सभा के सदस्यों, जनता और प्रेस में यह डर पैदा हो गया था कि इस से संविधान को लोकतन्त्रात्मक ढंग में कार्यान्वित करने में बाधा पड़ेगी और प्रेस पर लगाये गये प्रतिबन्धों के वापस ले लिये जाने की मांग की गई थी । स्वर्गीय डा० एस० पी० मुकर्जी ने भी यह आशंका प्रकट की थी कि इससे हमारा राज्य फासिस्ट राज्य बन जायेगा । परन्तु गत चार वर्ष में देखा गया कि विरोधी पक्ष का डर व्यर्थ ही था । मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जिस अधिनियम की इतनी कटु आलोचना की गई थी उसे जनवरी १९५६ से व्यपगत हो जाने दिया गया है । मुझे विश्वास है कि प्रेस अपना कार्य इस ढंग में करता रहेगा जिस से कि इस प्रकार की कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

गृह-कार्य मंत्रालय की मांगें प्रस्तुत करते समय प्रायः निवारक विरोध अधिनियम की बड़ी आलोचना की जाती थी । परन्तु विचाराधीन वर्ष में इसका भी बहुत कम प्रयोग किया गया है । ३१ दिसम्बर, १९५५ तक जिन व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया उनकी संख्या नगण्य है । कुछ लोगों का कहना था कि राजनैतिक दलों और कार्मिक संघों के कार्यकर्त्ताओं को निरुद्ध करने के लिये ही इसका प्रयोग किया जायेगा । परन्तु निरुद्ध किये गये व्यक्तियों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई सदस्य नहीं है । कार्मिक संघों के आये नेताओं को निरुद्ध किया गया है जिनमें से सात बम्बई के और एक पश्चिमी बंगाल का है । अन्य राज्यों ने इसके अन्तर्गत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया । यह विधान भी एक प्रकार से अप्रचलित ही रहा ।

सुरक्षा नियमों के राष्ट्रीय परित्राण के अन्तर्गत १९५१ में दस व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी और १९५२–५५ में ऐसे केवल दो मामले थे जिन में से एक छोड़ दिया गया था और दूसरे का अभी निबटारा नहीं हुआ है । इस प्रकार गृह-कार्य मंत्रालय ने एक भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया ।

गृह-कार्य मंत्रालय ने अन्य गतिविधयों के सम्बन्ध में भी जो कार्य किये हैं उसके लिये वह बधाई का पात्र है । मेरे आदरणीय मित्र श्री गाडगिल ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के साथ किये जाने वाले व्यवहार की कुछ बुराइयों का उल्लेख किया । सरकार तो केवल इतना ही कर सकती है कि एक कठोर विधान बना कर संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड दे और अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया जा चुका है । अब अस्पृश्यता निवारण के सन्देश को जनता तक पहुंचाने और उसे व्यवहार में लाने का काम राजनैतिक दलों का है । मेरे मित्र ने एक-दो मामलों को लेकर गृह-कार्य मन्त्रालय की आलोचना की है, परन्तु श्री गाडगील जैसे व्यक्तियों का ही यह कर्त्तव्य है कि वे प्राधिकारियों का ध्यान ऐसे मामलों की ओर आकर्षित करें और विधान को लागू करने में और संविधान के सिद्धान्तों का उल्लंघन करने वालों को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वेंकट्रामन]

दण्ड दिलाने में सहायता दें । यह हर नागरिक का कर्त्तव्य है । आलोचना इस हद तक तो उचित है कि कड़े दण्ड नहीं दिये जाते हैं और न्यायालयों के प्रशासन में बड़ी ढ़ील है परन्तु ऐसे मामले पेश ही नहीं किये जाते हैं ।

†**श्री एन० राचय्या** (मैसूर–रक्षित – अनुसूचित जातियां) : माननीय सदस्य मुझे एक भी गांव ऐसा बतायें जहां अस्पृश्यता नहीं है । वे कुछ मामले सरकार के ध्यान में ला सकते हैं ।

†**श्री वेंकट्रामन** : हम स्वीकार करते हैं कि अस्पृश्यता है । इसी को दूर करने के लिये तो विधान बनाया गया है । अन्यथा इसकी क्या आवश्यकता थी हम स्वीकार करते हैं कि हमारी साधारण जनता में यह दोष है हम दूसरों की प्रशंसा नहीं करते हैं । उदाहरण के लिये आप देखेंगे कि अफ्रीका के संविधान में गोरे व्यक्तियों को उत्तम माना गया है ।

†**श्री एन० राचय्या** : यह बात अस्पृश्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है । हम सभी हिन्दू हैं । गोरे और काले का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री वेंकट्रामन** : मैं तो केवल दृष्टिकोण का अन्तर बताना चाहता हूं । हमारी सरकार इसे सामाजिक जीवन की एक बुराई स्वीकार करती है और इसे दूर करने का प्रयत्न करती है जबकि अन्य प्रकार की सरकारें इसे ठीक समझती हैं ।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : माननीय सदस्य ने हमारी सरकार की तुलना दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ करके उसके वर्तमान व्यवहार को उचित बताने का प्रयत्न किया है ।

†**श्री वेंकट्रामन** : खेद है कि मुझे गलत समझा गया है । बल्कि मैं तो यह कह रहा था कि हमारी सरकार संसार की अन्य सरकारों से अच्छी है, क्योंकि वह एक तथ्य को स्वीकार करती है और उसे दूर करने का प्रयत्न करती है ।

†**श्री वेलायुधन** : वह हिन्दू सरकार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किस बात का झगड़ा है ? क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार की बुराई ही करे ? जब यहां यह तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती है तो माननीय सदस्यों को यह कहने का भी अधिकार है कि सरकार ने बड़े प्रशंसनीय कार्य किये हैं । और अन्य देशों की सरकारों के साथ इसकी तुलना भी की जा सकती है ।

†**श्री वेलायुधन** : इस बात पर मैं आप से सहमत हूं कि सरकार ने कई अच्छे कार्य किये हैं परन्तु माननीय सदस्य और बात कह रहे थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भाषण देते समय कोई भी सदस्य एक की नहीं बल्कि सभी सदस्यों की बातों का उत्तर देता है । यदि श्री वेलायुधन ने यह बात नहीं कही तो श्री वेंकट्रामन की टिप्पणी उनपर लागू नहीं होती ।

†**श्री वेलायुधन** : मैं स्वीकार करता हूं कि इस सरकार ने हरिजनों की जितनी भलाई की है उतनी कोई सरकार नहीं कर सकती । माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सरकार ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है । वह तो हिन्दू पुराण पंथीपन को उचित सिद्ध कर रह थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वेंकट्रामन** : मैं तो यह कह रहा था कि हमारी सरकार और अन्य देशों की सरकारों में बहुत अन्तर है क्योंकि हमारी सरकार अपनी जनता और अपने संविधान के दोषों का अनुभव करती है और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करती है। माननीय सदस्य ने गलतफहमी के कारण मेरी आलोचना की है।

हमारी राज्य की नीति का एक और निर्देशक तत्व मद्यनिषेध है। मेरा विचार है कि मद्य-निषेध की नीति को अपनाने से हमारी अर्थ व्यवस्था सुधर सकती है और जीवन स्तर उच्च हो सकता है। इसीलिये संविधान में इसका उल्लेख किया गया है।

मद्रास राज्य में मैंने देखा है कि मद्यनिषेध के कारण श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। मजूरी बढ़ाने से भी अधिक लाभ इसके द्वारा हुआ है। पहले जितनी मंजूरी बढ़ाई जाती थी वह सब मदिरा पर ही खर्च होती थी परन्तु अब उससे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में प्रयोग किया जाता है। इससे लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने में भी सहायता मिलती है।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अनुच्छेद ४७ के अन्तर्गत एक समिति नियुक्त की गई है और उसने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अन्य राज्यों में भी मद्यनिषेध लागू करे।

हमारे संविधान का तीसरा सिद्धान्त न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है। सरकार को इतना इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। नागरिकों की स्वतन्त्रता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। इसी कारण हम इसकी मांग करते आये हैं।

संविधान बनाये जाने से पूर्व ही मद्रास में यह कार्यवाही आरम्भ कर दी गई थी और वहां यह व्यवस्था ठीक प्रकार चल रही है। इस विषय में कोई शिकायत नहीं है।

हमारे प्रशासन में प्रशासनिक सेवाओं का बड़ा महत्व है और इनके लिये नियुक्तियां, चुनाव और भर्ती संघ लोक-सेवा आयोग करता है। संघ लोक-सेवा ने अपने पांचवें प्रतिवेदन में केवल एक ऐसे मामले का उल्लेख किया है जिसमें सरकार ने आयोग की सिफारिश को नहीं माना है। वह भी इस प्रकार हुआ कि विज्ञापन में प्रारम्भिक वेतन १,००० रुपये वेतन बताया गया था परन्तु वास्तव में वेतन १,५०० रुपये दिया गया था। आयोग ने कहा कि यदि पहले यह बताया जाता तो सम्भव था कि कोई अधिक योग्य व्यक्ति मिल सकता था। अतः पुनः नियुक्ति की जाये। इसे स्वीकार नहीं किया गया था।

सरकारी कर्मचारियों के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। केन्द्रीय सेवाओं में देश के कोने-कोने से लोग नियुक्त किये गये हैं पहले उन्हें विशेष रियायत टिकटों की सुविधा दी जाती थी। सरकार को चाहिये कि कम से कम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये यह सुविधा फिर से जारी कर दी जाये।

†**श्री पी० एन० राजभोज** (शोलापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह-मंत्री जी ने हरिजनों की पूछताछ मिटाने के लिये बिल पेश किया और कानून बना कर बहुत कुछ कार्य किया है इससे हमें बहुत संतोष है। मेरे भाई वेंकट्रामन ने अभी कहा था कि हमारे काका साहब जो कहते हैं उसे अमल में क्यों नहीं लाते। ऐसे बहुत से एम० पी० हैं जो हमारे बारे में पोलीटिकल (राजनैतिक) हैसियत से बात करते हैं। बहुत से लोग हमारे दलित वर्ग के सवाल को अपने-अपने लाभ के लिये उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सवाल को मानवता की दृष्टि से उठाने की जरूरत है। बहुत से लोग पोलीटिकल दृष्टि से हमारे बारे में यह कहते हैं कि यह होना चाहिये और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पी० एन० राजभोज]

वह होना चाहिये । यह मैं मानता हूं कि पर्वतीय सत्याग्रह के समय हमारे लिये काका साहब ने कुछ काम किया था । लेकिन जैसा कि आज हमारे भाई वेंकट्रामन जी ने कहा है, हमें तब संतोष होगा जब कि एम० पी० लोग यदि हम पर कहीं अत्याचार हो तो उस सम्बन्ध में कोर्ट (न्यायालय) में आकर हमारी मदद करें । लेकिन ऐसा तो कोई करता नहीं । ऐसा करने को ही तो आवश्यकता है । इसलिये मैं अपील करता हूं कि जब-जब हम दलित वर्ग वालों पर अत्याचार हो, मारपीट हो, जुल्म हो तो जनता को कोर्ट में जाकर हमारी सहायता करनी चाहिये । मैं तो गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि हमको अपना इस अत्याचार से बचाव करने के लिये सरकार की तरफ से लीगल एण्ड (विधि सम्बन्धी सहायता) दी जाये । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से सरकारी मुकदमों में सरकार की तरफ से सरकारी वकील काम करता है, इसी तरह से अछूतों के मामलों में हमारी मदद करने के लिये होम मिनिस्टर साहब हमको वकील की सहायता दें, जिससे कि गरीब हरिजन अपना बचाव कर सकें ।

बारह-तेरह बरस तक मैंने अछूतों के प्रति होने वाले अत्याचारों के खिलाफ और उनकी स्थिति सुधारने के लिये क्रांतिकारी भाषण दिये और बार-बार कहा कि यह होना चाहिये, वह होना चाहिये । लेकिन मैंने अनुभव कर लिया कि झगड़ा करने से कोई काम नहीं हो सकता, जो काम होगा वह प्रेम से, शांति से और सहयोग से होगा । अब मैं चाहता हूं कि सब के सहयोग से हमारे दलित जाति वालों का सावल जल्दी से जल्दी हल किया जाये । यह मैं मानता हूं कि इस दिशा में बहुत काम हो चुका है लेकिन अभी बहुत होना बाकी है ।

कुछ लोग कहते हैं कि हरिजनों की अलग बस्तियां बसायी जायें, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा करने से हमारा सवाल हल नहीं होगा । अगर आप महारों की, चमारों आदि की अलग-अलग बस्तियां बसा देंगे तो इससे प्रश्न हल नहीं होगा । हम तो यह चाहते हैं जहां ब्राह्मण, बनिये और ठाकुर रहते हैं उन्हीं की बस्तियों के बीच में हमको रहने की जगह मिलनी चाहिये । यदि ऐसा हो जाय तो हमारा छूतछात का सवाल जल्दी हल हो जायेगा । लेकिन ऐसा नहीं होता । हम हर वक्त अलग-अलग नहीं रहना चाहते । हम तो चाहते कि इससे यह छूतछात की गुलामी जल्दी से जल्दी दूर हो । कुछ लोग स्वार्थवश यह कहते हैं कि हमको जो रिजर्वेशन (रक्षण) मिला हुआ है वह बन्द कर दिया जाये । हम भी सदा के लिये रिजर्वेशन नहीं चाहते । हम तो केवल यह चाहते हैं कि जब तक दलित वर्ग वाले शेष हिन्दू समाज के बराबर नहीं आ जाते तभी तक यह रिजर्वेशन रखे जायें, बाद को समाप्त कर दिये जायें । लेकिन जब तक वह अवस्था नहीं आ जाती हमको रिजर्वेशन की जरूरत है । लेकिन कुछ लोग, जिनको कि इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, वे चाहते हैं कि यह खत्म हो जाये ।

हिन्दुओं का और अछूतों का सम्बन्ध इतना निकट का है कि हम उनसे अलग नहीं रह सकते । इस तरह से हमारा सवाल नहीं हल हो सकता । हमको तो सब का सहयोग चाहिये । हम जानते हैं कि आप सब लोग चाहते हैं कि दलित लोगों का सवाल जल्दी हल हो, लेकिन इसके लिये आपको सब को सहयोग देना होगा । तभी यह सवाल हल हो सकता है ।

बहुत से लोग हमारे दलित वर्ग के भाइयों को मुसलमान, ईसाई आदि बना कर और उनका धर्म परिवर्तन करके उनको हिन्दुओं से अलग करत हैं । लेकिन धर्म बदलने से उनका आर्थिक प्रश्न तो हल नहीं हो सकता । मैं यह स्वीकार करता हूं कि जिसको धर्म बदलने की इच्छा हो वह अपना धर्म बदल सकता है, इसका उसे पूरा अधिकार है । लेकिन किसी हरिजन को मुसलमान बनाने से या ईसाई बनाने से उसका आर्थिक लाभ तो कुछ नहीं होता । हम हजारों वर्षों से हिन्दू समाज में रहते चले आ रहे हैं । यह मैं मानता हूं कि हिन्दू समाज में रहने में हमें कई प्रकार का दुःख है । अभी जाति-पांति का मसला

हल नहीं हुआ है । आज कांग्रेस का जमाना है जो कि ब्रिटिश के जमाने से बहुत भिन्न है । अंग्रेज लोग हमसे लाभ उठाते थे । उन्होंने जिन्ना साहब को अपने साथ लेकर हिन्दुस्तान में पाकिस्तान का झगड़ा खड़ा करवा दिया । इसी तरह से हममें से भी कुछ लोग थे जिनको उन्होंने अपने साथ कर लिया था और जिनके द्वारा वे लाभ उठाते थे । लेकिन हमारी सरकार ने इस रवैये को बदलने की कई प्रकार से कोशिश की है । वह हमारे लिये नौकरियों के मामले में, वजीफों के मामले में, और जमीन के मामले में बहुत कुछ कर रही है । उसने हमारे बचाव के लिये कानून भी बनाया है । लेकिन जब तक अफसर लोग और पबलिक पूरा कोओपरेशन (सहयोग) नहीं देंगे तब तक हमारा सवाल पूरी तरह से हल नहीं होगा । आप देहातों में जाइये और जिलों में जाइये तो आपको हमारी सच्ची अवस्था का पता लगेगा ।

जहां तक नौकरियों का सवाल है, हमको क्लर्कों की और दूसरी छोटी नौकरियां तो मिल जाती हैं लेकिन हमको गजटेड पोस्टें (घोषित नौकरियां) मिलने में बड़ी दिक्कत पेश आती है । यह मैं मानता हूं कि उन जगहों के लिये मैरिट (योग्यता) की आवश्यकता है । लेकिन इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक अधिकारी लोग ज्यादा सहानुभूति प्रकट नहीं करेंगे तब तक हमारा नौकरी का सवाल पूरी तरह से हल नहीं हो सकता । यह मैं मानता हूं कि नौकरियां मिलने से हमारी छूतछात नहीं मिट जायेगी । लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें लाभ हो सकता है । इससे हमारे मुसलमान भाई और ईसाई व एंग्लो भाई लाभ उठा रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाती हैं । इसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में वे विशेष रूप से हमारी ओर ध्यान दें । यह म मानता हूं कि जब से हमारे होम मिनिस्टर साहब आये हैं वे बराबर बड़े प्रेम और सहानुभूति हमारी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते रहे हैं । वे हैदराबाद में और यहां दिल्ली में भी महरों और चमारों को की बस्ती में स्वयं गये और उनकी दशा को देखा । अभी तक ऐसा कोई होम मिनिस्टर नहीं आया जिसने हमारे लिये इतना कष्ट उठाया हो जितना कि वह इतना बुढ़ापा होते हुये भी उठा रहे हैं । मैं जानता हूं कि उनकी पूरी सहानुभूति हमारे साथ है । लकिन यदि हिन्दू समाज के लोग और अधिकारी लोग हमारे लिये कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा ।

अभी मैंने रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में देखा है कि पब्लिक सरविस कमीशन (लोक सेवा आयोग) ने ६०९३ लोगों को अफसरों की जगहों के लिये बुलाया । लेकिन उनमें हमारे पांच आदमी भी नहीं लिये गये हैं । मैं नहीं समझ सकता कि इसका क्या कारण है । हम लोगों में योग्य आदमी मौजूद हैं, बी० ए० है, बी० ए० एल० एल० बी० हैं, बी० काम० हैं, बैरिस्टर हैं । हमारे अन्दर काफी पढ़े लिखे लोग हैं । मैं चाहता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब हमारे लोगों को डाइरेक्टली एपांयट (सीधे नियुक्त) करें ।

इसके अतिरिक्त कांस्टीट्यूशन में यह भी लिखा हुआ है ।

"अनुसूचित व आदिम जातियों के सदस्यों के दावों पर विचार किया जायेगा ।"

कांस्टीट्यूशन में हमारे हितों की रक्षा के लिये कई बातें लिखी हुई हैं लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे अधिकारीगण उन हिदायतों को अमल में लायें और मेरी प्रार्थना है कि अगर ग्रेड (श्रेणी) १ , या २, सर्विसेज (सेवाओं) में जितना हमारा कोटा (अभ्यंश) होना चाहिये वह पूरा नहीं होता है तो हमे उस कोटे को पूरा करने के लिये रिजर्वेशन करना चाहिये और ग्रेड १ और २ सर्विससेज में भी क्लेरिकल सर्विस की तरह आपको पर्सेंटेज (प्रतिशशता) रखना चाहिये । मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि आज तो हमारे पढ़े लिखे भाइयों को ऊंची नौकरियां मिलने लगी हैं और उत्तर प्रदेश और मद्रास क सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि वहां पर हमारे भाई लोग कलक्टर्स और डी० एस० पीज० बने हैं इससे पहले शेड्यूल्ड कास्ट का सब इन्सपैक्टर तक मिलना मुश्किल होता था । आज तो हम देखते हैं

[श्री पी० एन० राजभोज]

कि हमारे शेडयूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) के पढ़े लिखे लोग सरकारी विभागों में नौकरियां पा रहे हैं लेकिन जितनी नौकरियां हमारे लोगों को मिलनी चाहियें वह अभी नहीं मिल रही हैं और उसके लिये हम अपनी सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं और रो रहे हैं और जाहिर है कि रोये बगैर तो मां भी अपने लड़के को दूध नहीं देती । हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सर्विससेज में ऊंची जगहों पर शेडयूल्ड कास्ट के भाइयों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय । पुलिस विभाग, पब्लिक सर्विस कमिशन तथा और भी जितने सरकारी विभाग हैं उनमें शेड्यूल्ड कास्ट को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय ।

स्कालरशिप्स् (छात्र वृत्तियों) के बारे में मेरा निवेदन है कि यह तो ठीक है कि हमारे हरिजन भाइयों को सरकार की ओर से वजीफे दिये जाते हैं लेकिन वजीफे देने के साथ ही सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) पाने के बाद वे लोग बेकार न रहें और उन्हें नौकरी मिल जाय ।

हरिजनों को अनिवार्य शिक्षा दिये जाने की इस समय बहुत आवश्यकता है । अनिवार्य शिक्षा दलित वर्ग के लोगों को जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिये ताकि हमारे आदिवासी और हरिजन भाई जल्द से जल्द शिक्षित हो सकें और अपने को उन्नत बना सकें ।

इसके अलावा जहां-जहां बंजर जमीन ह वह हरिजन भाइयों को मिलनी चाहिये और खेती करने के लिये आर्थिक सहायता और औजारों का प्रबन्ध सरकार की ओर से होना चाहिये । जब तक हरिजनों की आर्थिक अवस्था नहीं सुधरती है तब तक हरिजन लोग आगे नहीं बढ़ सकते और दूसरी जातियों का मुकाबला नहीं कर सकते । हम देखते हैं कि आज भी देहातों में अछूतों को जितना सहयोग अन्य जातियों के लोगों से मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है ।

जैसा मैं पहले भी कई अवसरों पर निवेदन कर चुका हूं और आज फिर उस मांग को दुहराता हूं कि जिस तरह सरकार ने रेफ्यूजीज (शरणार्थियों) के मसले को हल करने के लिये एक अलग वजारत (मंत्रिमंडल) बनाई और उस वजारत ने रेफ्यूजीज पर लाखों और करोड़ों रुपये सर्फ किये, उसी तरह गृह-मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि हम हरिजनों और गिरिजनों की कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने के लिये एक अलग डिपार्टमेंट (विभाग) या सेप्रेट (अलग) मंत्रालय खोलें जिसका कि सिर्फ यही काम हो । मेरा कहना है कि जब सरकार रेफ्यूजीज के लिये करोड़ों रुपये खर्च कर सकती है और मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं तब हमारे लोगों के लिये जो कि पिछले हजारों वर्षों से रफ्यूजी हैं और निराश्रित हैं, एक अलग से विभाग या मंत्रालय क्यों नहीं खोला जा सकता । इसलिये मेरा सझाव है कि आप हरिजनों की समस्या को हल करने के लिये एक अलग मंत्रालय खोलें ।

जहां तक कि हरिजनों को रिजरवशन दिये जाने का सम्बन्ध है मेरा कहना यह है कि पांच वर्ष तो अब खत्म हो चुके हैं लेकिन जो हमारा लक्ष्य था वह अभी पूरा नहीं हो पाया है इसलिये यह उचित होगा कि अगर यह रिजरवेशन बढ़ा कर दस वर्ष के लिये कर दिया जाय ।

हमारे आर्थिक प्रश्न, जमीन, शिक्षा और दूसरे प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल करने के लिये मरी प्रार्थना है कि एक अलग मंत्रालय नहीं तो कम से कम एक विभाग तो अवश्य ही खोलना चाहिये जो इन सब सवालों को हल करें ।

कुछ दिन पहल जब मैं अमरीका गया था तो मैंने देखा कि वहां पर अभी तक नीग्रोज (हब्शियों) का सवाल पूरा नहीं हो पाया है, उनकी बस्तियां अलग-अलग हैं और रंगभेद की नीति पर बर्ती जाती है । इसके विपरीत अपने देश में मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है कि अस्पृश्यता निवारण के लिये

यहां पर कानून बने हुये हैं। हरिजनों को जमीनें मिलती हैं और उनको नौकरियों में भी स्थान दिया जा रहा है और संसद् व विधान मंडलों में हमारे हरिजन लोग मेम्बर्स (सदस्य) बन रहे हैं और यह सरकार निरन्तर हमारे हित चिन्तन में लगी हुई है। महात्मा गांधी ने कहा भी था कि हरिजन हमारे भाई लोग हैं और अगर यह हमारे कंधे के ऊपर भी चढ़ें और डा० अम्बेडकर हमें गाली भी दे तो हमें चुपचाप सहन करना चाहिये और हमें उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिये जो हमने उनके साथ पुराने जमाने में किया है। आज यह बड़े संतोष का विषय है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकराज में हमारे उद्धार के लिये सरकार द्वारा प्रयत्न हो रहा है।

शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये एक अलग मंत्रालय या विभाग बनाने के अतिरिक्त जो शेडयूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स् के कमिश्नर (आयुक्त) हैं उनको और ज्यादा पावर देनी चाहिये और क्लकटर्स को भी ज्यादा पावर (शक्ति) देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स (राज्य सरकारों) से भी यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि रिपोर्टों में जो सिफारिशें की जाती हैं और प्रान्तीय सरकारों से जो उम्मीद रखी जाती है, वे उसको पूरी करने की भरसक करें और जाहिर है कि बिना उनके सक्रिय सहयोग के जितने भी आप यहां से कानून बना लें या रिपोर्टों में कमिश्नर्स सिफारिश कर दें, हरिजनों की समस्या और उनकी विविध कठिनाइयां हल नहीं होने वाली हैं।

मुझे पूरी आशा है कि जमीन के सम्बन्ध में शिक्षा के सम्बन्ध में और अन्य जितनी भी कठिनाइयां आज विद्यमान हैं वे धीरे-धीरे दूर हो जायेंगी और उनको दूर कराने के लिये हमें सरकार से प्रेम और शांति से कहना है और अपील करना है और आपने भूतकाल में देखा कि महात्मा गांधी ने इस अस्पृश्यता निवारण के काम को प्रेम और शांति से काफी हद तक आगे बढ़ाया और मुझे खेद के साथ इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ता है कि १४ वर्ष तक मैंने कांग्रेस और सवर्ण हिन्दुओं को बहुत कुछ गालियां दी और बुरा-भला कहा और लड़ाई झगड़ा और मारपीट तक की लेकिन उससे मेरे हाथ में कोई विशेष चीज नहीं आई.....

†**श्री जांगड़े** (बिलासपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उस वक्त आप भटक गये थे।

†**श्री पी० एन० राजभोज** : ठीक है, मैंने समझ लिया है कि किसी को गाली देने से काम नहीं चलेगा और मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अब से हरिजनों के उद्धार के वास्ते मैं सरकार से प्रेम, सत्य और अहिंसा को आधार मान कर लड़ूंगा और अगर कोई उन पर जुल्म होगा तो अहिंसात्मक सत्याग्रह भी कर सकता हूं लेकिन इतना मैं जरूर समझ गया हूं कि गाली-गलौज और दूसरी प्रतिक्रियावादी हरकतों और गैर जिम्मेदाराना कामों से यह समस्या हल होने वाली नहीं है और इसलिये मैंने हरिजनों के उद्धार के लिये प्रेम, शांति और सत्य अहिंसा के मार्ग को चुना है और वह मार्ग है:

"उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।"

खाली गवर्नमेंट को गाली देने और भगवान से प्रार्थना कर लेने से हमारा काम पूरा होने वाला नहीं है।

अन्त में मैं और अधिक न बोल कर गृह-मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो कुछ सुझाव अपने भाषण के दौरान रखे हैं, उन पर ध्यान देंगे और हमारी जो अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं उनको हल करने का प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा—पूर्व) : श्रीमान्, त्रिपुरा के कई प्रश्नों की ओर माननीय गृह-मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने और मेरे मित्र श्री बीरेन दत्त ने कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उन बातों की ओर ध्यान दे रहे होंगे ।

प्रारम्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना हमारा घोषित लक्ष्य है । यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है तो उससे निश्चय ही देश को काफी लाभ होगा किन्तु सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है और उसकी जो योजनायें हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये उत्सुक नहीं है । हमें जन शक्ति का पूर्ण उपयोग करना चाहिये किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार बहुत पीछे है और जनता के प्रति उसका रवैया मैत्रीपूर्ण नहीं वरन् आदेशात्मक है ।

प्रजातन्त्र का एक वृहद् पैमाने पर विस्तार किये बगैर जनता की रचनात्मक शक्ति का उपयोग करना सम्भव नहीं है । इसके लिये नौकरशाही की शक्ति को समाप्त करना होगा किन्तु खेद की बात है कि आये दिन जनता के नगरीय और प्रजातांत्रिक अधिकारों पर आक्रमण ही किया जा रहा है ।

बम्बई के गोलीकांड की प्रारम्भिक जांच करना भी सरकार ने अस्वीकार कर दिया है । महाराष्ट्र की जनता का दृष्टिकोण गलत नहीं है और मेरा तो ख्याल है कि बम्बई नगर के बारे में उसका जो दावा है वह पूर्णतः न्यायोचित है । यह अत्यन्त खेद की बात है कि हमारी सरकार उसकी जायज मांग को लाठियों और गोलियों से दबा रही है ।

अब मैं त्रिपुरा के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । सदन को स्मरण होगा कि त्रिपुरा के रतचारा नामक स्थान में जो नृशंस घटनायें हुई थीं उनकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिये पिछली बार मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था । श्री दातार ने पुलिस की कार्यवाही का समर्थन किया था और पुलिस पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार नहीं किया था । तदन्तर मैंने स्वयं वहां जाकर देखा और पीड़ित ग्रामीणों से मुझे काफी कुछ सुनने को मिला । वहां कोई तीस मकान जला दिये गये थे, लोगों को यातनायें दी गई थीं और उनकी सम्पत्ति को पुलिस अधिकारियों ने लूट लिया था । महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था और बलात्कर की भी कुछ घटनायें हुई थीं । उस क्षेत्र की छः या सात महिलाओं ने ३५ मील पैदल चल कर जिलाधीश से पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत की थी किन्तु वापिस आने पर पुलिस ने उनके साथ फिर वही व्यवहार किया । वहां एक खेत में धान पका खड़ा था । किन्तु पुलिस ने उसे काटने नहीं दिया । मैंने कुछ मजदूर एकत्रित करके उस धान को कटवा कर वहां के लोगों को दे दिया था । किन्तु पुलिस बाद में उस धान को भी उठा ले गई । त्रिपुरा और विशेषकर आदिम जातियों के साथ सरकार का व्यवहार इस प्रकार है ।

अब मैं आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के प्रश्न को लेता हूं । सरकार ने कुछ कार्यवाही की है और कुछ करने का आश्वासन दिया है । मुझे खेद है कि जो कुछ किया गया है वह अपर्याप्त है । अभी बहुत कुछ किया जाना है । अनुसूचित और आदिम जातियों के बारे में जो प्रतिवेदन गत वर्ष प्रकाशित किया गया था उस पर चर्चा करने का प्रयत्न भी गृह-मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया था । गृह-मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते हैं किन्तु आदिम और अनुसूचित जातियों को विश्वास नहीं होगा ।

नागा जाति के लोग उपद्रव कर रहे हैं और उसे शांत करने के लिये सरकार सैनिक बल का प्रयोग कर रही है । सम्भव है कि वह गलती पर हों किन्तु सरकार को अस्त्र प्रयोग के स्थान पर कोई अन्य तरीका अपनाना चाहिये था । मेरा ख्याल है यदि आप उन्हें वृहत्तर स्वशासन अधिक और

†मूल अंग्रेजी में

अधिकार प्रदान कर दें तो उनका आन्दोलन समाप्त हो जायेगा । कतिपय बातों में उनका दृष्टिकोण गलत हो सकता है किन्तु उनकी कुछ शिकायतें न्यायोचित हैं और उनके प्रश्नों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये । उनके प्रश्नों को शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा हल करने से ही भारत की प्रतिष्ठा में अधिकाधिक वृद्धि होगी ।

त्रिपुरा में हम पिछले कई वर्षों से प्रशासन सम्बन्धी सुधारों की मांग करते रहे हैं । हम चाहते हैं कि मुख्यायुक्त के पद को और परामर्शदाता शासन को समाप्त कर दिया जाये । हम उक्त राज्य में उत्तरदायी शासन आरम्भ किये जाने की मांग करते हैं किन्तु सरकार ने हमारी मांगों को जान बूझकर अमान्य किया है । हम त्रिपुरा में ग्राम-पंचायतों की मांग करते हैं और सभी पुराने कानूनों में संशोधन चाहते हैं किन्तु इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है । अब ग्राम-पंचायत समितियां अभिज्ञात निकाय नहीं है । यदि ऐसा है तो त्रिपुरा में यह व्यवस्था जारी किये जाने में कौन सी दिक्कत है ? मैं गृह-मंत्री और उनके मंत्रालय से पूछता हूं कि त्रिपुरा में प्रशासन की नौकरशाही व्यवस्था को कायम रखने में उन्हें क्या आकर्षण है ?

आदिम जातियों का प्रश्न बहुत बड़ा और साथ ही अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है । इस सम्बन्ध में मैं यह कह दूं कि सरकार द्वारा इस प्रश्न की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सरकार की आंखों में आदिम जनता अत्यन्त निर्धन, निरक्षर और निर्धन है और सम्भवतः उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली नहीं है कि उसे सुना जा सके । यही कारण है कि सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण है ।

अब मैं झूमिया सम्बन्धी प्रश्न को लेता हूं । वहां कोई एक लाख से भी अधिक व्यक्ति चलती-फिरती खेती में लगे हुये हैं । इन सभी आदिम जाति झूमियों के पुनर्वास के लिये कुछ राशि मंजूर तो की गई है किन्तु वह पर्याप्त नहीं है । सरकार द्वारा इनके पुनर्वास के लिये जो रीति अपनाई जा रही है वह भयंकर है । सरकार स्थानीय लोगों से कोई सहयोग नहीं ले रही है और न सरकार के अधिकारी ही जनता के सुझावों पर ध्यान देते हैं । लोगों की शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं । सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिलाधीशों और परामर्शदाताओं ने कई बार सार्वजनिक सभाओं में यह कहा है कि जो व्यक्ति कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं उन्हें पुनर्वास के लिये कोई राशि नहीं दी जायेगी । साथ की वह यह भी कहा करते हैं कि जो व्यक्ति कांग्रेस का समर्थन करेंगे या कांग्रेस दल के सदस्य बनेंगे उन्हें पुनर्वास के लिये धन राशि दी जायेगी ? उनका यह कथन केवल कथन मात्र नहीं है किन्तु वह उसे व्यवहार में भी लाते हैं । जिन की विचारधारा कांग्रेस से भिन्न होती है उन्हें सताया जाता है । उनके आवेदनों की उपेक्षा कर दी जाती है । इस प्रकार की बातें वहां हो रही हैं । सरकार अपने संगठन का विस्तार बल प्रयोग से कर रही है और मेरा निवेदन है यदि आप इस प्रकार की कार्यवाही को, जो कि आदिम जातियों के हितों और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, जारी रखते हैं तो उससे त्रिपुरा की जनता की हानि होगी ।

इसी सिलसिले में मैं सत्र न्यायालयों के कुछ निर्णयों का निर्देश करता हूं । मैं त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में १९५४ में सुनी गई अपील संख्या ५ का निर्देश कर रहा हूं । इस मामले में कोई दो सौ आदिम जन गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से एक व्यक्ति पुलिस की हवालात में मर गया । विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय में कहा है कि "सब बातों पर विचार करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियोक्ता गवाह संख्या १, रजनीमोहन विद्यारत्न ने किसी भी प्रकार से, सम्भवतः उन कांग्रेस-जनों की सहायता से, जो कि ग्राम निर्वाचन में दोनों स्थानों में हार जाने के कारण अपीलार्थी से अत्यन्त असंतुष्ट थे, कब्जा करने का प्रयत्न किया था," आगे उन्होंने कहा है कि, "यह स्पष्ट है कि अभियोक्ता गवाह संख्या १०, श्री सचिन्द्र लाल सिंह के साथ पूर्ण विचार-विमर्श करने के बाद ही अपीलार्थी का नाम लिया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सचिन्द्र लाल सिंह चुनाव में हार जाने के कारण अपीलार्थी से असन्तुष्ट है ।"

[श्री दशरथ देव]

उक्त निर्णय १६-१२-१९५४ को दिया गया था। श्री सचिन्द्र लाल सिंह परामर्शदाता और त्रिपुरा राज्य कांग्रेस समिति का अभी कुछ दिनों पहले तक अध्यक्ष भी था।

एक और मामला राज्य बनाम प्रमोद रंजन दास गुप्ता और अन्य है, जिसमें एक उम्मीदवार और हमारे गिरफ्तार किये गये कम्यूनिस्ट कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध मामला चलाया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय देते हुये कहा है कि, "इस मामले में आठ अभियोक्ता गवाहों की जांच की गई किन्तु कोई प्रत्यक्षतः मामला भी सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिये इस मुकदमे को खारिज किया जाता है और उन व्यक्तियों को मुक्त किया जाता है।"

इस तरह से वहां विरोध को सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा दबाया जा रहा है।

अब मैं किराये के प्रश्न को लेता हूं। हमारे गृह-मंत्रालय ने त्रिपुरा में संचित किराया, जोकि लगभग २७ लाख रुपये था, रद्द कर दिया था। उस समय गृह-मंत्री द्वारा यह आश्वासन भी दिया गया था कि १९५२ के बाद से किराया किश्तों में वसूल किया जायेगा। किन्तु कृषकों को पुनः सताया जा रहा है और उनकी जमीन ली जा रही है। उनके लिये इतना किराया एकदम देना असम्भव है इसलिये मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कम से कम वह त्रिपूरा में स्थित सरकारी अधिकारियों को उक्त किराया किश्तों में वसूल करने और कृषकों को बेदखली के नोटिस न देने के आदेश जारी करें।

अन्त में एक और बात की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आर्षित करता हूं। यह आदिम जातियां उन जंगलों में रहती हैं जहां वन्य पशुओं की संख्या काफी है। प्रतिवर्ष कोई सौ से अधिक व्यक्ति शेर तथा अन्य पशुओं द्वारा मार डाले जाते हैं। १९४७ और १९४८ में सरकार ने आदिम जातियों के पास जितनी बन्दूकें थीं वह जब्त कर ली गई थीं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि उन लोगों की सुरक्षा को देखते हुये उन्हें वह बन्दूकें लौटा दी जायें।

अन्त में माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि मेरे और श्री बीरेन दत्त के कटौती प्रस्तावों के जरिये जो प्रश्न उठाये गये हैं उन पर वह विचार करेंगे।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारी बाग-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं, आपने मुझे जो यह अवसर बोलने का दिया, उसके लिये आभारी हूं। मुझे याद है कि एक बार आपने कहा था कि आभार नहीं मानना चाहिये क्योंकि यह हमारा अधिकार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अधिकार भी जल्दी प्राप्त नहीं होता है, इस वास्ते मैं आपका आभार मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था यह कैसी बात है कि जो बोले बुरा ही बोलें, और कोई भी गवर्नमेंट की तारीफ न करे? यह बात आपने कही थी बात यह है कि मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे वह आंख दे जिससे सरकार में भला ही देख सकूं। मैं परमात्मा से वह काम भी मांगता हूं कि मेरे कान ऐसे हों जिनसे मैं गवर्नमेंट के केवल यश को सुनूं। लेकिन क्या यह सौभाग्य मुझे इस जीवन में प्राप्त होगा, या नहीं, यह कहना मुश्किल है। मैं इस बात को भी मानता हूं कि बार-बार कोसने ही से, बार-बार सरकार को गाली बकते रहने ही से, कुछ कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन आप भी मानेंगे कि जो सच बात है उसे तो कह ही देना चाहिये। एक ही बात को कितने ही आदमी कितने ही दृष्टिकोणों से देखते हैं। मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि आपकी तरह और, और लोगों की तरह मेरा जीवन भी देश सेवा में ही व्यतीत हुआ है और मैं समझता हूं कि आज जो सरकार बनी है, उसके बनाने में आपका भी और मेरा भी हिस्सा है। इस बात को लोगों को मानना चाहिये।

लेकिन कहना पड़ता है कि बहुत विषयों में जो होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इस समय गृह विषय पर वार्ता हो रही है। हम इस देश के अखबारों में पढ़ते हैं और सब जगह सुनते हैं कि हमारी

वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन मैं गृह-मंत्री जी से और उनके सहायक मंत्री जी से यह कहे देता हूं कि इस देश के अन्दर जो होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। यह तो अच्छा है कि रूस हमारा मित्र बन गया, हो सकता है कि अमरीका भी हमारा मित्र हो जाये, या सारे संसार के देश हमारी सरकार के मित्र हो जायें। लेकिन जब तक भारतवर्ष के अन्दर किसी भी भारतवासी के हृदय में सरकार के प्रति असंतोष है, उस समय तक सरकार को समझना चाहिये कि यह अवस्था उचित नहीं है। सरकार का कर्त्तव्य है कि सबसे पहले अपने देश वासियों को प्रसन्न करे, उनको संतोष दे, और यही संतोष सरकार का बल है। लेकिन बड़े दुःख और लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि सरकार को ये सुन्दर बातें सूझ नहीं रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से मैं सरकार को वह आंख दिला सकूं कि उनको ये बातें सूझने लग जायें।

अभी यहां नागा हिल्स में जो उपद्रव हो रहा है उसके बारे में कहा गया। लेकिन अब मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूं वह दिल्ली के तख्त के पास का ही विषय है। मैं राजस्थान की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां इस समय बड़ा हल्ला हो रहा है। वहां के कई लाख निवासी जो कि भू-स्वामी कहलाते हैं, आज आन्दोलन किये हुये हैं। उस सम्बन्ध में जो सरकार को करना चाहिये था वह नहीं हो रहा है। जब यह विषय शुरू में श्रीमान् पन्त जी के सामने गया था तो उन्होंने पंच बन कर एक फैसला दिया था। यदि उसके मुताबिक कानून बना होता तो आज इतना बड़ा आन्दोलन न खड़ा होता।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आज चार-पांच लाख भू-स्वामियों ने बड़े संकल्प के साथ आन्दोलन शुरू किया हुआ है, और उनके आन्दोलन का लक्ष्य केवल यही है कि "हमें भी जीने दो"। वे इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। कानून के जरिये ऐसा ही काम होना चाहिये कि सबका भला हो। हो सकता है कि किसी के खिलाफ कोई बात हो, लेकिन किसी का घात तो नहीं करना है। आज इन चार-पांच लाख भू-स्वामियों के पास कोई रोजगार नहीं रह गया है। पहले ये लोग राजा महाराजाओं के यहां नौकरी करते थे, बड़े-बड़े जागीरदारों के यहां नौकरी करते थे। लेकिन उनके चले जाने से उनकी वे नौकरियां तो जाती रहीं। जो लोग फौज में काम करते थे वे फौज से हटा दिये गये। इस तरह से उनकी नौकरियां बिल्कुल जाती रहीं। इसके अतिरिक्त उनके पास जागीरें थीं। ये लोग स्वयं खेती नहीं करते थे। इनकी सारी जमीन टिनेन्ट्स (किसानों) के पास बंटाई पर रहती थी और इनको तिहाई या चौथाई पैदावार मिल जाती थी जिससे उनकी परवरिश होती थी। लेकिन जागीरदारी रिजम्पशन कानून पास हो जाने के बाद उनको जमीनों से कुछ नहीं मिलता, और जो जमीन हजारों लाखों बरस से उनके परिवारों में चली आ रही थी, और जिसको वे अपना समझते थे, और जिस जमीन की बदौलत वे जीते थे, जिस जमीन के लिये उनके बाप दादों ने खून बहाया था, वह जमीन आज उनकी नहीं है। कानून का ऐसा मकसद नहीं होना चाहिये। यह ठीक है कि जो लोग जमीन जोत कर अपना जीवन बिताते हैं उनको भी अपना हक मिलना चाहिये, लेकिन और लोगों को मार दिया जाये यह तो ठीक नहीं है। मेरे एक मित्र ने इस बारे में मुझ से कहा था कि उनको कत्ल कर देना चाहिये। मैंने उनको उत्तर दिया कि अगर तुम में ताकत है और अगर तुम धर्म समझते हो तो उनको कत्ल कर दो लेकिन उनको भूखों मत मारो। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यही है कि गृह-मंत्री जी ने एक निर्णय दिया था जिसके मुताबिक अगर कानून बनता तो न यह आन्दोलन चलता और न इस तरह की विपत्तियां उन लोगों के ऊपर आतीं। लेकिन उस निर्णय के मुताबिक कानून नहीं बना। गृह-मंत्री का जो फैसला था उसके खिलाफ, कई लोगों के षड्यंत्र से, दूसरे ढंग का कानून बन गया जिसके कारण भूस्वामियों पर बड़ी विपत्ति आई हुई है। इसी कानून के कारण यह आन्दोलन शुरू हुआ है।

[बाबू रामनारायण सिंह]

अभी हाल में जब हमारे गृह-मंत्री जी बीकानेर गये हुये थे तो वहां की सरकार ने न मालूम क्या-क्या उनके कान में भर दिया कि गृह-मंत्री जी ने भी एक बयान दे दिया कि भू-स्वामी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उनको ठीक काम करना चाहिये। मैं भी उस समय जयपुर गया हुआ था। पांच तारीख को वहां पर एक भारी सम्मेलन हुआ और मैं ही उसका सभापति था। मैंने वहां की दशा को स्वयं देखा है। मैं कहता हूं कि इस प्रश्न को सरकार को हल करना पड़ेगा। यह मानवता का तकाजा है कि सरकार इस विषय में पड़े और न्याय के साथ उस पर विचार करे। मैं समझता हूं कि इस विषय में राजस्थान की सरकार का भरोसा करना भूल होगी। राजस्थान की सरकार कैसी सरकार है, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहे देता हूं कि जिस वक्त हम लोग अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे और सारे देश में आन्दोलन चल रहा था, उस समय राजस्थान में कोई आन्दोलन नहीं हुआ। उस समय हम में से लाखों आदमियों ने कष्ट उठाया, तरह-तरह से देश की सेवायें कीं। ऐसे लोग आज हमारे राज्यों में मंत्री बने हुये हैं और सरकार बनाये हुये हैं। यद्यपि ऐसे ऐसे त्यागी और देशभक्त लोग भी ठीक रास्ते पर नहीं हैं पर यह तो संतोष है कि वे तपे-तपाये लोग हैं और उनसे कुछ आशा की जा सकती है। दुर्भाग्य से राजस्थान में आन्दोलन नहीं हुआ और ऐसे लोग मैदान में नहीं आये। अब वहां पर जो लोग शासन चला रहे हैं न उन्होंने देश का कोई काम किया है और न उन्होंने देश भक्ति की परीक्षा ही दी है। संयोग-वश जब देश स्वतन्त्र हुआ और राजा लोगों का राज्य गया तो वहां पर कुछ लोग कांग्रेस के नाम से निकल पड़े और उन्हीं लोगों के हाथ में सरकार दे दी गयी। इसमें कोई शक नहीं है कि शासन का काम दुनिया में सबसे अधिक कठिन काम है। इसलिये जो देश में चुने हुये लोग हों, जो सबसे अधिक पवित्र हों, जो सबसे अधिक ईमानदार हों, यह काम उन लोगों के हाथ में जाना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में यह बात नहीं हो रही है। दलबन्दी की वजह से जिस-तिस के हाथ में सरकार चली गई है और वे लोग शासन कर रहे हैं जो कि शासन के योग्य नहीं हैं। तो मैं गृह-मत्री जी से यहां पर कहे देता हूं कि अगर वे इस मामले को तय करना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की कोई बात न मानें। वे लोग ऐसे नहीं हैं कि जिनकी बात मानी जाये। या तो गृह-मंत्री जी स्वयं वहां जायें या अपने आदमियों को जांच पड़ताल करने के लिये भेजें और वहां के लोगों के साथ न्याय करें। यह भू-स्वामियों का आन्दोलन कई मास से चल रहा है, और मैं उनकी तरफ से कहे देता हूं कि इस आन्दोलन का केवल लक्ष्य यही है कि "हमको भी जीने दो"। इसके सिवा इस आन्दोलन का और कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि इतना तो सरकार को करना ही होगा। योग्य जीविका के अभाव में कुछ लोग चोरी डकैती में लग गये हैं। यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन "नेसेसिटी नोज़ नो लाज़"। जब आदमी भूखों मरने लगता है तो क्या नहीं करता।

यहां पर भू-स्वामी आन्दोलन जिस संकल्प के साथ और जिस उमंग के साथ चलाया जा रहा है उसमें सरकार को आगे बढ़कर देखना होगा। इस आन्दोलन के करने वालों के विरुद्ध वहां की जो पुलिस है वह बहुत जुल्म कर रही है और उनके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आ रही है। इन आन्दोलनकारियों में ज्यादातर राजपूत लोग हैं जो कि सेना में काम कर चुके हैं और मार्शियल रेस (सैनिक जाति), के हैं, वे लोग अब तक अहिंसात्मक रीति से काम ले रहे हैं लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर पुलिस उन पर अपना जुल्म करना नहीं रोकेगी तो यह लोग चाहते हुये भी अहिंसात्मक नहीं रह सकेंगे और आप समझ सकते हैं कि अगर अहिंसात्मक नहीं रहेंगे तो क्या होगा और यह उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि क्या-क्या हुआ। और इस सबके लिये जवाब देह वहां की सरकार होगी और यहां की यह सरकार होगी जो यह सब जानने पर भी चुप-चाप बैठी रही और उसने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अगर कोई अप्रिय चीज हो जाती है तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी वहां के लोगों पर नहीं होगी जो कि दुखी होकर और भूख के मारे व्याकुल होकर यह अहिंसात्मक

आन्दोलन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस मामले को अपने हाथ में ले और आवश्यक जांच पड़ताल कराये और ऐसा नियम बनाये जिस से कि वहां के लोग जो कि आन्दोलन कर रहे हैं उनके साथ न्याय किया जाय और उनके भी जीने का प्रबन्ध रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करने की कृपा करें।

बाबू रामनारायण सिंह : मुझे कहना तो अभी बहुत कुछ था लेकिन अब थोड़ा-सा हरिजनों के सम्बन्ध में कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मुझे हरिजनों के साथ पूरी पूरी सहानुभूति है लेकिन अभी जो मैंने अपने एक मित्र श्री राजभोज की स्पीच सुनी कि उनके १४–१५ वर्ष लड़ने के बाद तो कुछ नहीं हुआ लेकिन पता नहीं तीन-चार महीने से जबसे वे कांग्रेस सरकार के साथ हो गये हैं, तब से उनको क्या-क्या मिल गया है, मुझे तो पता नहीं है, वे ही जानें कि उनको क्या मिल गया है। यह ठीक है कि आज सरकार ने अस्पृश्यता निवारण के लिये अधिनियम बना दिया है लेकिन उसके सम्बन्ध में जनता में आन्दोलन क्या हो रहा है ? मेरी समझ में उस दिशा में सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है और मैं समझता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि सरकार को जनता का सहयोग हासिल करके देश में एक ऐसा वायु मंडल पैदा करना चाहिये जिससे हरिजनों के दिल में यह विश्वास जम जाय कि वे किसी से हीन नहीं हैं और सबके बराबर हैं और जो अब तक हरिजनों को छोटा समझते रहे हैं वे भी यह समझने लग जायें कि हरिजन उनसे छोटे नहीं हैं और वे हमारे बराबर हैं और हमारे भाई हैं, इस तरह की भावना हमें देश भर में पैदा करनी चाहिये।

कभी-कभी प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) महोदय या सरकारी पक्ष के कुछ और लोग इस तरह की बात कह दिया करते हैं कि हम इस तरह के कामों में सब वर्गों और सब लोगों का सहयोग चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आपकी इस सहयोग की मांग में तनिक भी सच्चाई है तो वह बड़ी खुशी का विषय है लेकिन सरकार की ओर से जो यह सहयोग की मांग की जाती है वह थोथी है। सरकार के साथ सहयोग करने में कौन आदमी अपनी इज्जत नहीं समझता और कौन आदमी सहयोग देने में अपना लाभ नहीं समझेगा लेकिन सहयोग कहते किसको हैं, सहयोग के माने यह तो नहीं हैं कि जो सरकार कहती जाय वह दूसरे लोग करते चले जायें, भले ही वह ठीक हो या गलत हो। सहयोग के माने तो यह हैं कि जिनका हम सहयोग चाहते हैं उनको पूरी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के साथ और एक बराबरी का भाव रखते हुये सहयोग देने का अवसर मिले। सहयोग के माने यह नहीं हैं कि जैसे टांगें में घोड़ा जुता रहता है और टांगा वाला उसको अपनी सम्पत्ति समझता है और जिधर चाहे उसको मोड़ कर ले जा सकता है तो वह बेचारा घोड़ा जो टांगें में जुता हुआ है वह कोई सहयोग थोड़े ही करता है, बल्कि वह तो लाचार है और उसकी अपनी इच्छा का कोई सवाल नहीं उठता है, इसी तरह से सरकार या कोई मंत्री इस तरह का घोड़े का सा सलूक करना चाहते हों और यह समझते हों कि हिन्दुस्तान उनकी जायदाद हो गई है और जैसे उनकी मर्जी हो लोग उनके कहने के अनुसार चलें तो यह तो होने को नहीं है। मैं कहता हूं कि सरकार को देश हित के कामों में सहयोग देने के लिये हर एक देशवासी आतुर है और हर कोई सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है लेकिन सबका सच्चे मानों में सहयोग पाने के लिये सरकार में ईमानदारी होनी चाहिये और अकल होनी चाहिये। खाली सहयोग-सहयोग चिल्ला देने से काम नहीं बनने वाला है और मैं कहता हूं कि आपको आज नहीं तो कल जनता का सहयोग लेना होगा और जनता का सहयोग प्राप्त किये बिना आप उन बड़े-बड़े कामों को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे सकेंगे। आपको इस सहयोग को प्राप्त करने के लिये देश में जो दलबंदियां विद्यमान हैं, उनको खत्म करना होगा। जब तक दलबन्दी हमारे बीच में रहेगी और जब तक दलबन्दी की सरकार रहेगी तब तक न्याय होना सम्भव नहीं है.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो माननीय सदस्य को सभापति महोदय चेअरमैन के साथ सहयोग करना ही होगा।

बाबू रामनारायण सिंह : बहुत अच्छा, आपके साथ सहयोग करके मैं अपनी जगह पर बैठ जाता हूं ।

†**श्री मोहन लाल सक्सेना** (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी) : गृह-मंत्रालय से सम्बन्धित विषयों में से मैं केवल दो-तीन का निर्देश करूंगा किन्तु उससे पूर्व मैं बम्बई में हुई घटनाओं की जांच क लिये की गई मांग के, जिसे अनेक बार दुहराया गया है । बारे में कुछ कहता हूं । इस सदन में एक से अधिक बार यह मांग की गई है और उसका विरोध ही किया गया है । हम किस बात की जांच चाहते हैं इसके बारे में कुछ शब्द कहूंगा । मान लीजिये कि एक प्रसिद्ध परिवार है और उसमें किसी गड़बड़ी के फलस्वरूप उसके कुछ सदस्य कोई ऐसी बात कर बैठते हैं जिससे परिवार की बदनामी होती है । ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ? क्या आप सर्वप्रथम यह प्रयास नहीं करेंगे कि परिवार की प्रतिष्ठा को कायम रखा जाये और परिवार के सदस्यों के परस्पर सम्बन्ध अच्छे बने रहें । बाद में आप जांच करके यह पता लगा सकते हैं कि कौन-सी बातें गलत थीं और उन्हें सुधारने के लिये आप आवश्यक कार्य-वाही कर सकते हैं । किन्तु मेरा ख्याल है कि इस अवस्था में जांच का दुराग्रह एक गलत बात है । क्योंकि यह घटनायें हुई हैं इसे हम सभी जानते हैं और कोई उसे अस्वीकार नहीं कर सकता है । आप कहेंगे कि इन घटनाओं के लिये समूची जाति पर दोष लगाया जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आता है कि दोष कौन लगा रहा है । सरकार, प्रधान मंत्री, गृह-मंत्री और सरकार की ओर से अन्य प्रवक्ताओं ने इस सदन में और बाहर भी कई बार यह कहा है कि बम्बई में जो अवांछनीय घटनायें हुई उनके लिये कोई एक जाति विशेष जिम्मेवार नहीं है । उन्होंने महाराष्ट्रियनों की देशभक्ति, स्वार्थत्याग और स्वातन्त्र्य संग्राम में उनके योगदान का समादर किया है । हमने यह कभी नहीं कहा कि समूची जाति ने गलती की है, तो फिर जांच के लिये इतना जोर क्यों दिया जा रहा है ? मान लीजिये कि जांच के बाद यह पाया भी जाता है कि कुछ समाज विरोधी तत्वों ने किसी जाति विशेष को बदनाम करने के लिये यह कार्य किये थे तो उसका क्या परिणाम होगा ? उससे समूचे देश की प्रतिष्ठा कम होगी क्योंकि देश की कुल प्रतिष्ठा उस देश के विभिन्न जातियों की प्रतिष्ठा से ही मिल कर बनती है । और इसीलिये प्रधान मंत्री ने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया है और इसके बाद भी जांच की मांग बार-बार की जा रही है । मेरा ख्याल है कि श्री दशरथ देव ने भी आज उस मांग का समर्थन किया है । मैं ऐसे सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ समय तक धैर्य रखें । यदि कुछ कहा गया है या कोई सत्य है तो उसे अधिक समय तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है । मेरी राय में दोष हम सभी का है किन्तु सर्वप्रथम हमें देश की प्रतिष्ठा को देश के अन्दर और बाहर भी बनाये रखना है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दो जातियों के परस्पर सम्बन्धों को बनाये रखना है । बाद में हम यह देख सकते हैं कि दोष किसका था और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या किया जाना चाहिये।

अब मैं राजनीतिक पीड़ितों के प्रश्न को लेता हूं । गृह-मंत्रालय के प्रतिवेदन के पृष्ठ १७ पर राजनीतिक पीड़ितों के लिये क्या किया जा रहा है इसका वर्णन दिया गया है । जो व्यक्ति सेवा में थे और जिन्हें राजनीतिक विचारों के लिये नौकरी छोड़नी पड़ी थी उन्हें क्षतिपूर्त्ति दी गई है । इसके बाद कहा गया है कि राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के पक्ष में सरकार है किन्तु सहायता गैर-सरकारी निधियों से दी जानी चाहिये । इस नीति पर पुनः विचार किया गया था और वह इस बात पर अडिग है कि सहायता गैर-सरकारी निधियों से दी जानी चाहिये । सम्भवतः आपको स्मरण होगा कि राज्यों में राजनीतिक पीड़ितों को और कहीं-कहीं उनके आश्रितों को सार्वजनिक निधियों से निवृत्ति-वेतन या किसी अन्य प्रकार से सहायता दी गई है और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अनचित बात नहीं है । सार्वजनिक निधियों से कोई सहायता नहीं दी जानी चाहिये इसे स्वीकार कर लेना एक ऐसी बात को स्वीकार करना है जिसका समर्थन मैं नहीं कर सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मेरा इस कार्य से सम्बन्ध रहा है और इस कारण मैं कई राजनीतिक पीड़ितों के सम्पर्क में आया हूं। मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूं जहां उचित चिकित्सा के अभाव में परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई। यह घटना पूर्वी बंगाल के एक युवक की है। वह मेरे साथ बनारस जेल में राजबन्दी था। मेरा ख्याल है कि १९५२ में उसने मुझे सूचित किया था कि उसे क्षय हुआ है। मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को उसकी परिस्थिति से अवगत कराया था और उन्होंने उक्त युवक के क्षय चिकित्सालय में प्रवेश की व्यवस्था कर दी थी। मैं उस मामले की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान भी दिला चुका हूं जिसमें एक नव-युवक के, जो कि राजनैतिक पीड़ित था और कई वर्ष जेलों में रह चुका था, परिवार के किसी सदस्य को उचित चिकित्सा सहायता न मिल सकी थी और जिसकी पत्नी, मां और दो लड़कियां मौत का शिकार हो गई थीं। अन्त में वह स्वयं मर गया और केवल सात वर्ष का एक लड़का छोड़ गया। मैं समझता हूं कि राजनैतिक पीड़ितों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिये निःशुल्क चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना राष्ट्र का कर्त्तव्य है। मेरे विचार में तीन लाख रुपये की राशि को, जिसे गृह-कार्य मंत्री अपने सविवेक के अनुसार व्यय करेंगे, अलग रखने की बजाय, यदि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार राजनैतिक पीड़ितों और उनके परिवारों की निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने की व्यवस्था करें, तो यह अधिक अच्छा होगा। राज्य सरकारों को उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध भी करना चाहिये।

कुछ राजनैतिक पीड़ित ऐसे हैं, जिनके कोई सम्बन्धी नहीं हैं और जो इस संसार में बिल्कुल अकेले हैं। माननीय गृह-कार्य मंत्री लखनऊ के एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी आयु ८७ वर्ष की है। मैं सुझाव दूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के लिये सरकार को देश में स्थान स्थान पर विशेष घर बनाने चाहिये, जैसा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिये होते हैं। ये लोग वहां रह सकते हैं और इनकी देखभाल राज्य को करनी चाहिये। ये घर ऋषिकेश जैसे पहाड़ी स्थानों पर जहां इमारतें कम किरायों पर मिल सकती हैं, बनाये जा सकते हैं।

हम अपनी सफलताओं और परियोजनाओं के सम्बन्ध में बहुत गर्व से बातें करते हैं किन्तु राजनैतिक पीड़ितों को यह मालूम नहीं है कि स्वतन्त्रता के बाद देश में क्या काम हुआ है। उनके पास उन स्थानों तक यात्रा करने के लिये पैसा नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे लोगों को, जिनके पास यात्रा के लिये पैसा नहीं है और जिनकी आयु ५० से अधिक है, सारे भारत की एक बार यात्रा करने के लिये एक निःशुल्क रेलवे पास दिया जाना चाहिये, ताकि वे स्वयं देख सकें कि उनके बलिदानों का क्या फल निकला है।

अब मैं वार्धक्यावकाश प्राप्त व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति और वार्धक्य की आयु वाले व्यक्तियों की सेवा की अवधि बढ़ाने के प्रश्न को लेता हूं। इस सम्बन्ध में नियम यह है कि ये सुविधायें केवल वैज्ञानिकों या प्रविधिविज्ञों के मामले में दी जानी चाहिये। गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से मालूम होता है कि ऐसे ६०० व्यक्तियों में से, जिन्हें पुनः नियुक्त किया गया है या जिनकी सेवा की अवधि बढ़ाई गई है, केवल २४५ प्रविधिविज्ञ या वैज्ञानिक थे। मेरा निवेदन है कि इस समय जबकि बेकारी इतनी फैली हुई है, वार्धक्यावकाश प्राप्त व्यक्तियों को पुनः नियुक्त करना या वार्धक्य की आयु वाले व्यक्तियों की सेवा की अवधि बढ़ाना बिल्कुल अवांछनीय है। यदि आप चाहें तो प्रविधिविज्ञों और वैज्ञानिकों के मामले में वार्धक्य की आयु ६० वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। मंत्रि-मंडल ने यह निर्णय किया है कि वार्धक्य की आयु वाले किसी व्यक्ति की सेवा की अवधि न बढ़ाई जाये और न सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को पुनः नियुक्त किया जाये। देखा गया है कि इस नियम का प्रायः उल्लंघन किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इसका सख्ती से पालन किया जाये।

†**श्री सी० आर० अय्युण्णि** (त्रिचूर) : गृह-कार्य मंत्रालय ने जिस प्रकार त्रावनकोर-कोचीन की समस्या को हल किया है, उसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं । आप जानते हैं कि पिछले सात वर्षों से इस राज्य में कोई स्थाई मंत्रि-मंडल नहीं बन सका है । इसके फलस्वरूप प्रशासन का स्तर बहुत गिर गया है । किसी राजनैतिक दल का बहुमत न होने के कारण अब मंत्रि-मंडल की हार हो गई है और शासन राष्ट्रपति ने सम्भाल लिया है । गृह-कार्य मंत्रालय ने वहां एक सलाहकार भेज दिया है । मुझे हर्ष है कि यह सलाहकार एक ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रशासन आदि का बहुत अनुभव है । लोगों की कठिनाइयां जानने के लिये हाल में उसने समूचे राज्य का दौरा किया है और सब बड़े-बड़े आदमियों से भेंट की है । उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि प्रशासन अच्छी तरह से चलाया जायेगा । वहां के प्रशासन के बारे में, मैं केवल एक उदाहरण देता हूं । मान लीजिये कोई व्यक्ति सचिवालय में एक प्रार्थना-पत्र देता है । जब तक कि वह स्वयं फाइल का पीछा न करे, वह एक मेज से दूसरी मेज तक नहीं भेजी जाती है । मैंने दो-तीन वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित किया था, किन्तु अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । यदि इस अवस्था में गृह-कार्य मंत्रालय हस्तक्षेप न करता, तो राज्य का सत्यानाश हो जाता । मैं गृह-कार्य मंत्रालय के हस्तक्षेप को उचित समझता हूं, क्योंकि वहां कोई भी दल स्थायी मंत्रि-मंडल नहीं बना सकता था । हमें आशा है कि सलाहकार सब दलों के साथ न्याय करेगा ।

कुछ दिनों में केरल राज्य बन जायेगा । यह भारत का सबसे छोटा राज्य होगा किन्तु इस की जनसंख्या बहुत अधिक होगी । वहां की सबसे बड़ी समस्या शिक्षितों और अशिक्षितों की बेकारी है । बेकारी दूर करने का एक मात्र उपाय यह है कि वहां प्रविधिक और प्रौद्योगिकीय शिक्षा के लिये स्कूल और संस्थायें खोली जायें । बेकार शिक्षित व्यक्ति इन संस्थाओं से प्रविधिक (टेकनिकल) शिक्षा प्राप्त कर के भारत के किसी भाग में जा सकते हैं और अपनी जीविका कमा सकते हैं । अगला पग यह होगा कि सरकार वहां कुछ कारखाने खोले । ये कारखाने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार खोल सकती है । किन्तु इस विषय में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को काफी सहायता दे सकती है । यदि इस राज्य के लोगों को रोजगार प्राप्त करने के उपयुक्त अवसर दिये जायें, तो इस राज्य की सारी समस्या दूर हो जायेगी । सलाहकार की नियुक्ति से समस्या के सुलझ जाने की आशा हो गई है । इसलिये कोई निश्चित कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिये । प्रविधिक स्कूल खोल कर वहां के युवकों को प्रविधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाये और उनको रोजगार मिल जाने पर इस राज्य की समस्या हल हो जायेगी ।

मेरी अगली बात उपनिवेशन के बारे में है । वहां के लोग किसी भी स्थान पर जाकर रहने के लिये तैयार है, परन्तु इस शर्त पर कि उन्हें वहां उचित रूप से बसने के अवसर दिये जायें । वे लोग समझदार हैं और काम करने के लिये तैयार हैं और उनमें भ्रष्टाचार भी नहीं है । मेरा निवेदन है कि इस विषय में केन्द्रीय सरकार को पहल करनी चाहिये और लोगों को ऐसे अवसर देने चाहिये ताकि वे बाहर जाकर कृषकों या प्रविधिक कर्मचारियों के रूप में काम करके अपनी जीविका कमा सकें ।

†**श्री जे० आर० मेहता** (जोधपुर) : मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार के अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर निर्देश करना चाहता हूं । इस समस्या से हम सभी परिचित हैं । समाचार पत्रों, विधान सभाओं, समितियों आदि में प्रति दिन इसकी चर्चा होती है लगभग सभी राज्यों में भ्रष्टाचार विरोधी विभाग है और गृह-कार्य मंत्रालय में एक प्रशासनिक सजगता विभाग स्थापित किया गया है, जिसका कार्य केन्द्रीय मंत्रालयों और प्रशासनिक विभागों में भ्रष्टाचार का पता लगाना और उसे रोकना है । यह संसद् भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम में पांच बार संशोधन कर चुका है । इन सब बातों से प्रकट होता

†मूल अंग्रेजी में

है कि हम इस बुराई को दूर करने के लिये बहुत उत्सुक हैं। किन्तु देखना यह है कि हमें किस हद तक सफलता मिली है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों के होते हुये भ्रष्टाचार अब भी प्रचलित है और हमारा सब से बड़ा शत्रु है।

कुछ लोगों की राय है कि जब तक समूचे समाज का नैतिक स्तर ऊंचा न हो और सामाजिक जीवन में पवित्रता न आये, सेवाओं से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। यह बात कुछ हद तक अवश्य सही है कि सेवाओं के नैतिक स्तरों और हमारे सामान्य सामाजिक स्तरों में सीधा सम्बन्ध है, परन्तु क्या हम उस समय तक जब तक कि समाज के नैतिक स्तर ऊंचे न हो जायें चुपचाप बैठ कर भ्रष्टाचार के दूर होने की प्रतीक्षा करते रहेंगे। मेरे विचार में समाज और सेवायें एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और सेवाओं के भ्रष्टाचार का प्रभाव समाज के नैतिक स्तरों पर भी पड़ता है, और यह प्रभाव और भी बढ़ेगा जबकि सरकार अपने कार्य का क्षेत्र बढ़ा रही है और अपना व्यय भी बहुत बढ़ा रही है।

पूछा जायेगा कि आखिर इस का इलाज क्या है? मेरा निवेदन है कि हमें अपने सम्पूर्ण दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें इस बात पर आग्रह करना चाहिये कि पदाधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी ऐसे हों कि उन पर किसी प्रकार का शक न किया जा सके और जहां भी कोई युक्तियुक्त शक पैदा हो, तो सन्देह का लाभ संदिग्ध पदाधिकारी को नहीं बल्कि समाज को मिलना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि हमें उन कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही करनी चाहिये, जिनके बारे में मालूम हो या शक हो कि वे बेईमान या भ्रष्ट हैं। उन कर्मचारियों को जो भ्रष्टाचार के कारण बदनाम हैं, तुरन्त पदच्युत कर देना चाहिये, या कम से कम उनकी सेवायें समाप्त कर देनी चाहिये। यदि प्रत्येक राज्य से आधे दर्जन पदाधिकारी चुन लिये जायें और उन्हें संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा दंड दिया जाये, तो आप देखेंगे, कि इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। आजकल देश में यह स्थिति है कि वे व्यक्ति भी जो अपनी ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध है, यह समझते हैं कि उनकी ईमानदारी का कोई लाभ नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि ईमानदार पदाधिकारियों के प्रति न्याय करने के लिये, हमें भ्रष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध अधिक कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। ताकि सेवाओं के स्थायित्व के बहाने राष्ट्र के हितों को हानि न पहुंचे।

मेरा सुझाव एक यह भी है कि हमारे प्रधान मंत्री या गृह-कार्य मंत्री एक सम्मेलन बुलायें जिसमें मंत्री, विभागों के अध्यक्ष, सचिव और सब सेवाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हों और उन्हें ईमानदार रहने का उपदेश दें। मुझे आशा है कि प्रशासन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

मैं एक शब्द कर्त्ता लोगों के बारे में कहना चाहूंगा। इनमें तथाकथित सार्वजनिक कार्यकर्त्ता और मंत्री सम्मिलित हैं और इनके व्यवहार से सेवाओं पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चूंकि केन्द्र और राज्यों में कांग्रेस ही सत्तारूढ़ है, इसलिये मैं कांग्रेस हाई कमांड से अपील करूंगा कि वह कर्त्ता लोगों से ईमानदार बनने के लिये अनुरोध करे।

अब मैं राजस्थान में चल रहे भू-स्वामी आन्दोलन का उल्लेख करूंगा। सम्भवतः बाबू रामनारायण सिंह ने भू-स्वामियों का प्रश्न उठाया था। माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जयपुर में क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन से आन्दोलन एकाएक अधिक जोरदार हो गया जबकि केवल एक दिन में ३,००० भू-स्वामियों को गिरफ्तार किया गया। आज का समाचार है कि राज्य विधान-सभा के सम्मुख एक भद्दा प्रदर्शन किया गया और अध्यक्ष महोदय ने सभा की मानहानि के अपराध में कई भू-स्वामियों को जेल भेज दिया। किन्तु इस सभा में और बाहर ऐसे बहुत थोड़े सदस्य हैं जो इस आन्दोलन की पार्श्व भूमिका, उसके उद्देश्य और उपद्रव की सम्भावनाओं को ठीक-ठीक समझते हैं। भू-स्वामियों का आन्दोलन मुख्यतः उस वर्ग से सम्बन्धित है जिसके पास छोटी-छोटी

[श्री जे० आर० मेहता]

जमीनें हैं। उस वर्ग में अधिकतर राजपूत होने के कारण यह आन्दोलन मुख्यत: एक राजपूत आन्दोलन है। वर्तमान काश्तकारी विधियों से काश्तकार एकाएक जमीन का मालिक बन गया और छोटा जागीरदार या भू-स्वामी बेदखल कर दिया गया। इस प्रकार उसे न केवल अपनी जमीन से, बल्कि जमीन में लगाये गये रुपयों से भी हाथ धोना पड़ा है। भू-स्वामियों की सच्ची शिकायत यह है। यह दुर्भाग्य की बात है कि और अनेक प्रश्न इसके साथ जोड़ दिये गये हैं और ऐसा होना अनिवार्य है क्योंकि अनेक लोग स्थिति से फायदा उठाने के लिये आतुर रहते हैं। अत: मेरा इतना ही निवेदन है कि उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये। जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम में खुद-काश्त जमीन के लिये उपबन्ध है किन्तु हमें बताया गया है कि उन गांवों में जहां ये लोग रहते हैं, कोई खुद-काश्त जमीन नहीं है। उनके पास एक परम्परा से जो जमीनें थीं वे एकाएक उनके हाथ से निकल गयीं और इसलिये अधिकारियों तथा विशेषकर गृह-मंत्रालय से मेरी अपील है कि वे इस प्रश्न पर समझदारी से विचार करें। इस आन्दोलन को दबाने का परिणाम यह होगा कि शांति तथा व्यवस्था पर बहुत घातक प्रभाव पड़ेगा। एक ओर तो हम भू-दान आन्दोलन चला रहे हैं और बे-जमीन लोगों को जमीन दिला रहे हैं जबकि दूसरी ओर हम जमीन वाले लोगों से जमीनें छीन रहे हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। भू-दान आन्दोलन चलाने वाले लोगों से मेरी अपील है कि वे उन गांवों में जाकर वहां प्रयोग करें और वहां शायद उन्हें अधिक जमीनें मिल सकेंगी। इस तरह से आपको बे-जमीन भू-स्वामियों की मांगें पूरी करनी चाहिये। यदि वह सम्भव न हो और उन्हें अन्यत्र जमीनें देनी हों, तो वे मुफ्त या मामूली लगान पर दी जानी चाहिये। इन लोगों से एक मुरब्बा जमीन के लिये ५,०००, ७,०००, या १०,००० रुपये देने के लिये कहा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इतना धन देना इनकी शक्ति के बाहर है और यदि उन्हें अन्यत्र कहीं पुनर्वासित करना हो, तो ऐसी कीमत पर उन्हें जमीन दी जानी चाहिये जो वे दे सकें।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : मैं भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के स्थायी निवास के सम्बन्ध में पृष्ठ २४, पैरा ३८ का निर्देश करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मेलन १९५३ में यह तय किया गया था कि विभाजित परिवारों के पुन: एकीकरण के लिये सुविधायें दी जायें और आलोच्च वर्ष में ऐसी सुविधायें पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को मूलरूप से दी गयी हैं। आगे पैरा ३९ में कहा गया है कि पारपत्र नियमों के अधीन अपराधों के लिये दंडित पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का प्रत्यावर्तन जारी रखा गया है। मैं इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, किन्तु खास कर वर्तमान स्थिति देखते हुये सरकार को सावधान रहने के लिये सचेत करना चाहता हूं। भारत आने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के बारे में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इतने वर्षों के बाद और इन दिनों में उनका भारत आना उपद्रव का कारण बन सकता है और देश के बड़े हितों के लिये हानि-कारक भी हो सकता है। इन लोगों को भारत में बसने के लिये स्थायी पारपत्र देने के विषय पर हमें देश की सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से विचार करना होगा। प्रतिवेदन के पृष्ठ २३० में कहा गया है कि कच्छ में ग्राम-प्रतिरक्षा-दल बनाने की कार्यवाही की जा रही है। मैं माननीय गृह-मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि पाकिस्तान ने छादबेट क्षेत्र पर अपना दावा कायम किया है। इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये हमें केवल ग्राम प्रतिरक्षा दल बनाकर ही सन्तुष्ट न हो जाना चाहिये। मेरी राय में वहां कुछ सेना बराबर रखी जाये क्योंकि जनता को हमें यह विश्वास दिलाना है कि सीमा प्रदेशों की रक्षा के लिये सरकार प्रत्येक सम्भव कार्यवाही कर रही है।

मैं श्री मोहन लाल सक्सेना से इस विषय में सहमत हूं कि राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के लिये सरकार को कुछ करना चाहिये। कुछ राज्य सरकारों ने इस विषय में कुछ किया भी है। कुछ

†मूल अंग्रेजी में

लोग यह कह सकते हैं कि अपने ही लोगों की सहायता के लिये कांग्रेस दल की यह चाल है। मैं सभी दलों से यह कहूंगा कि इस विषय में किसी एक दल का प्रश्न नहीं है। १९०७ से या उसके पहले भी, जिन लोगों ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लिया और उन्हें हानि उठानी पड़ी, उन्हें चाहे वे किसी भी दल के हों, इस सहायता के अधीन लाया जाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये रखी गयी ३ लाख रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है। जिन लोगों को अभी पुनर्वासित नहीं किया गया है या जो अब भी पीड़ित हैं उन सभी का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

कुछ राज्यों ने विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को कुछ सहायता दी है किन्तु सिन्ध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त के विस्थापित राजनीतिक पीड़ितों को कोई सहायता नहीं मिल पायी है क्योंकि कोई राज्य उन्हें अपना नहीं मानता। सरकार इन पर भी सहानुभूति से विचार करे। मैं नहीं जानता कि सहायता देने में सरकार कौन-सी प्रक्रिया अपनाती है और मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के आय-व्ययक में रखी गयी धनराशि राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के लिये किस प्रकार खर्च की जाने वाली है।

पूर्ववक्ता ने सरकार में भ्रष्टाचार और कार्यकुशलता के अभाव का निर्देश किया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हमारी सब से बड़ी शिकायत यह थी कि वह जनता की सरकार नहीं थी। अब आत्म-वलोकन का समय आ गया है। महात्मा गांधी की हत्या के पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक संकल्प पारित किया था जिस का यह आशय था कि जनता की सेवा के कुछ तरीके ढूंढने के उद्देश्य से अब आत्मावलोकन का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी वास्तव में जनता के सेवक हों।

प्रतिवेदन के पृष्ठ १११ में कहा गया है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में, योजना आयोग ने सरकारी सेवाओं में ईमानदारी और निष्पक्षता लाने के लिये प्रशासनिक सुधारों के रूप में कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और उस आशय के आदेश भी जारी किये गये हैं। फिर, प्रशासनिक सजगता विभाग भी हैं। ये आदेश ठीक हैं किन्तु हम किस प्रकार उन्हें कार्यान्वित करते हैं, यह मुख्य बात है।

श्री मोहनलाल सक्सेना ने अतिवयस्क पदाधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश किया है। मैं कृषि मंत्रालय के एक बड़े पदाधिकारी को जानता हूं जिन्हें श्री मोहनलाल सक्सेना ने एक विशेष रियायत दी थी और इस बात के बावजूद कि शरणार्थी के तौर पर उन्हें दिल्ली राज्य में खेती की जमीन प्राप्त करने का कोई अधिकार न था, उन्हें दिल्ली में जमीनें दी गयीं। उस पदाधिकारी ने भोपाल में भी जमीनें प्राप्त कीं। मैंने संसद् में इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी पूछा था और मुझे वचन दिया गया था कि जांच की जायगी। किन्तु अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। यदि हम इसी प्रकार नियमों का पालन करें, तो इस तरह स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी। अतः हमें यह देखना होगा कि हम जो कुछ सिखाते हैं, उसे हम स्वयं कार्यान्वित करें। आदेशों का उचित रूप से पालन किया जाये, इस ओर ध्यान देने के लिये हमें प्रत्येक सम्भव तरीके का उपयोग करना चाहिये। हम चाहें जो आदेश जारी करें, हमें ईमानदार और उत्साहपूर्ण रहना चाहिये। मंत्रालयों के उच्च पदाधिकारी बाहरी प्रभाव के कारण यदि नियमों का उल्लंघन करें तो उन नियमों से हमें कोई लाभ न होगा। मैं जानता हूं कि श्री दातार ने शरणार्थियों को चार-पांच रियायतें दी हैं और सिंध तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त के विस्थापित व्यक्तियों के सेवा-निवृत्ति वेतन का प्रश्न भी निबटा दिया है। किन्तु भ्रष्टाचार दूर करने के लिये उन्हें दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, चाहे वह कितना ही ऊंचा पदाधिकारी और किसी भी विषय से क्यों न सम्बद्ध हो। फिर निष्काम्य सम्पत्ति का प्रश्न है। मुझे प्रतिदिन शिकायतें मिलती रहती हैं कि महा-अभिरक्षक (कस्टोडियन जनरल) अपना काम नहीं करते और पिछले दो साल

[श्री गिडवानी]

से ३० या ४० मामलों में कोई निर्णय नहीं दिये गये हैं। माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे महा-अभिरक्षक के विभाग की कार्यपद्धति की जांच करें। सेवा निवृत्त और अति वयस्क पदाधिकारियों का मुझे बड़ा दुखद अनुभव है। जीवन के उत्तरार्ध में वे यहां आकर गरीब कर दाता के भरोसे मोटा बनना चाहते हैं। मुझे श्री दातार और पंडित पन्त में पूरा विश्वास है और यदि वे कृत निश्चय हों तो वे वास्तव में वांछित परिवर्तन ला सकते हैं और वर्तमान स्थिति सुधार सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** गृह-मंत्रालय के अधीन विभिन्न मांगों से सम्बन्धित कुछ ऐसे चुने हुए कटौती प्रस्ताव नीचे दिये गये हैं जिन्हें कि सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी गई है :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या
५१	५३६ से ५४०, ६१७, ८४३, ८९६, ८९७ ८९८, ९२४ से ९२९, ११४८ से ११५३
५२	८९९
५३	९००, ९०१, ९०२
५४	६६०, ६६१, ६६२, ९०३
५६	९०४
५७	५४१
५९	४८८ से ४९५, ४९७ से ५०५, ५४६
६०	३०, ३४, ३५, ३६, ३८ से ४२, ४५ से ४८, ५०, १२९, १३५, १३६, १३७, १७९ से १९२, २२२ से २४४, २४९, से २६८, ५०६, ६१८ से ६३३, ६६३, ६६४
६१	९०५
६२	८४७, ९०६, ९०७, ९०८, ११५४, ११५५

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
५१	श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर-रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)	नागा राष्ट्रीय परिषद् के प्रति सरकार का रवैया तथा नागा हिल, आसाम में पुलिस कार्यवाही।	१००
५१	श्री रिशांग किशिंग	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों को संशोधित करने वाले विधान को पुरःस्थापित करने में देरी।	१००
५१	श्री रिशांग किशिंग	अनुसूचित आदिम जातियों के रीति रिवाजों, सभ्यता तथा आर्थिक जीवन को सुरक्षित रखने में असफलता।	१००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	आधार कटौती	कटौती राशि (रुपयों में)
५१	श्री रिशांग किशिंग	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सुधार के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाई गई विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित न करना।	१००
५१	श्री रिशांग किशिंग	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के आरक्षण की तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में भरती के लिये शिक्षा अर्हताओं में छूट देने की आवश्यकता।	१००
५१	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के डाक कार्यों के प्रबन्ध में पुलिस का हस्तक्षेप।	१००
५१	श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल)	पिछड़े वर्ग आयोग प्रतिवेदन की सिफारिशों को कार्यान्वित न करना।	१००
५१	श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़)	गुप्तचर विभाग के कार्य संचालन में अपटुता।	१००
५१	श्री यू० एम० त्रिवेदी	गुप्तचर विभाग के पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि।	१००
५१	श्री यू० एम० त्रिवेदी	दांडिक न्यायालयों में न्याय प्रशासन की अपटुता।	१००
५१	श्री देवगम (चैबस्सा-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)	पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन में देर।	१००
५१	श्री देवगम	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त तथा प्रादेशिक सह-आयुक्तों को अधिक अधिकारों को देने की आवश्यकता।	१००
५१	श्री देवगम	बाहरी व्यक्तियों द्वारा आदिम जाति व्यक्तियों के शोषण को रोकने में असफलता।	१००

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
५१	श्री देवगम	आदिम जाति कल्याण विभाग में नियुक्ति के लिये आदिम जातियों के अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को अधिमान देने की आवश्यकता ।	१००
५१	श्री देवगम	आदिम जातियों के लोगों द्वारा गैर-आदिम जातियों के लोगों को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता ।	१००
५१	श्री देवगम	आदिम जातियों के कल्याण के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित न करना ।	१००
५१	श्री बूवराघस्वामी (पैरम्बलूर)	पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों के प्रकाशन में अनावश्यक देरी ।	१००
५१	श्री बूवराघस्वामी	केन्द्रीय सरकार के विभागों में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्ति देने की नीति ।	१००
५१	श्री बूवराघस्वामी	प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	१००
५१	श्री एन० बी० चौधरी (घाटल)	निवारक निरोध अधिनियम का संचालन ।	१००
५१	श्री एन० बी० चौधरी	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भरती पर उचित ध्यान न देना ।	१००
५१	श्री एन० बी० चौधरी	मनीपुर तथा त्रिपुरा जैसे राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना न करना ।	१००
५२	श्री यू० एम० त्रिवेदी	रूस के प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर सरकारी आतिथ्य संगठन द्वारा व्यय ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
५३	श्री यू० एम० त्रिवेदी	दिल्ली पुलिस दल द्वारा उर्दू का लगातार प्रयोग।	१००
५३	श्री यू० एम० त्रिवेदी	दिल्ली की गुप्तचर पुलिस द्वारा राजनैतिक दलों के नेताओं का पीछा करना।	१००
५३	श्री यू० एम० त्रिवेदी	दिल्ली पुलिस दल में भ्रष्टाचार की वृद्धि।	१००
५४	श्री रिशांग किशिंग	उच्च पुलिस पदाधिकारियों तथा साधारण पुलिस सिपाही के वेतन क्रम में बड़ी असमानता।	१००
५४	श्री रिशांग किशिंग	पुलिस के सिपाहियों को जन सेवक के रूप में प्रशिक्षण न देना।	१००
५४	श्री रिशांग किशिंग	गुप्तचरों तथा पुलिस के सिपाहियों द्वारा विरोधी दल के राजनैतिक कार्यकर्ताओं का पीछा करना।	१००
५४	श्री यू० एम० त्रिवदी	आबू पुलिस प्रशिक्षण कालिज में पुलिस पदाधिकारियों की प्रशिक्षण पद्धति।	१००
५६	श्री यू० एम० त्रिवेदी	भारतीय राजाओं के सम्बन्धियों को भत्ता देना।	१००
५७	श्री रिशांग किशिंग	अन्दमान तथा नीकोबार द्वीप समूह में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की आवश्यकता।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	मनीपुर के मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रसिद्ध व्यावसायिक केंद्रों में, आदिम जातियों के व्यक्तियों लिये बाजारों का निर्माण।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	मनीपुर के आदिम जातियों के सरदारों को लाल कंबल का पारितोषिक देने की नीति।	१००

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
५९	श्री रिशांग किशिंग	राज्य के पुलिस विभाग में अधिक पहाड़ी व्यक्तियों की भरती की आवश्यकता।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	इम्फाल में आदिम जाति विद्यार्थियों के लिये छात्रावास का न बनाया जाना।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	तामेंगलोंग पर्वतीय उप-खंड के बाढ़ पीड़ित निवासियों को वस्तुओं तथा धन दोनों प्रकार की शीघ्र सहायता में वृद्धि।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	तामेंगलोंग उप-खंड में कोढ़ रोग रोकने के लिये प्रभावोत्पादक कार्यवाही करने की आवश्यकता।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	इम्फाल नगर में नल के पानी का अपर्याप्त सम्भरण।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	मनीपुर में, उचित भूमि बन्दोबस्त नीति की आवश्यकता।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	मनीपुर के गांवों में पंचायत अधिनियम को लागू न करना।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	आदिम जाति कल्याण निधि की अपर्याप्तता तथा राज्य सरकार द्वारा इसका अनुचित प्रयोग।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	भूतलक्षी प्रभाव से १-४-१९५० से मनीपुर सरकार के सभी विभागों में आसाम के वेतन क्रम लागू करने की आवश्यकता।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	आदिम जातियों के लिये मुफ्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	लम्फेल पट क्षेत्र में ४०० भूमिहीन किसानों का 'बट्टा' रद्द करना।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
५९	श्री रिशांग किशिंग	मनीपुर सरकार के विभिन्न विभागों में, पर्याप्त संख्या में पर्वतीय व्यक्तियों की नियुक्ति न होना।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	मनीपुर के आदिम जातीय तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में विकास योजनायें लागू न होना।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	मनीपुर में बेकारी की समस्या।	१००
५९	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में अमरपुर की रेवा-सरमा घाटी में आदिम जाति पुनर्वास के लिये आरक्षण।	१००
५९	श्री रिशांग किशिंग	मनीपुर में मुख्यायुक्त प्रशासन को समाप्त करना तथा निर्वाचित विधान सभा की स्थापना करना।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम)	त्रिपुरा राज्य कर्मचारियों का प्रतिकर भत्ता बढ़ाने की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा के समाहर्तृ कार्यालय तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में अल्प-संख्यकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	पर्वतीय क्षेत्रों के आदिम जाति तथा पिछड़े वर्गों की जनता को नागरिक स्वतन्त्रताओं की गारंटी देने की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	अल्प-आय वर्ग आवास योजना के अधीन ऋण देने की व्यवस्था करने वाले नियमों की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा राज्य में भूमि सुधार लागू करने की आवश्यकता।	१००

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में पंचायत पद्धति लागू करने की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	पश्चिमी बंगाल के संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम को त्रिपुरा में लागू करने की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में विधान-सभा पुरःस्थापित करने की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	सार्वजनिक सभाओं के लिये अगरतल्ला नगर में पब्लिक पार्क की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	अगरताला नगर में टाउन हाल की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	महिला खाद्य परिषद् की त्रिपुरा शाखा को भूमि का एक प्लाट देने की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	प्रशासन की सभी शाखाओं, विशेषतया समाहर्ता के कार्यालय तथा न्यायालयों में भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	दल कार्य के लिये थानों का प्रयोग न करने की आवश्यकता।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	उन आदिम जाति व्यक्तियों, जिन्होंने त्रिपुरा के ककराबान क्षेत्रों में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया है, को यह गारंटी देने की आवश्यकता कि उनको दुबारा वहां से नहीं हटाया जायेगा।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	उन व्यक्तियों को भूमि देने की आवश्यकता जिनकी भूमि अगरतल्ला नगर के चारों तरफ बांध निर्माण के लिये ले ली गई थी।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६०	श्री बीरेन दत्त	अगरताला, त्रिपुरा के बट-ताला बाजार के मामले को निबटाने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री बीरेन दत्त	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जैसी त्रिपुरा की अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं को क्रियाकारी बनाने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के आदिम जाति व्यक्तियों के के लिये खास भूमि के आरक्षण को हटाना ।	१००
६०	श्री दशरथदेव	त्रिपुरा में लोक तन्त्रीय प्रशासन को शीघ्र स्थापित करना ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	बिना विलम्ब के त्रिपुरा सरकार की वर्तमान मंत्रणा परिषद् को हटाना ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	पुनर्वास निदेशालय में भ्रष्टाचार उन्मूलन की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	उच्च सरकारी कर्मचारियों द्वारा, त्रिपुरा की सहकारी समितियों में पदेन सभापतित्व तथा मंत्रित्व पद धारण करने की प्रथा को रोकने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	अनुसूचित आदिम जाति तथा पिछड़े वर्ग के शीघ्र विकास के लिये निर्वाचित आदिम जाति सदस्यों का त्रिपुरा में आदिम जाति कल्याण बोर्ड बनाने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के आदिम जातियों की विकास परियोजनायें बनाने के लिये त्रिपुरा के विभिन्न आदिम जाति संगठनों के प्रतिनिधियों की एक तदर्थ समिति बनाने की आवश्यकता ।	१००

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के सरकारी खास भूमि को आदिम जाति के झूमियों के पुनर्वास के लिये आरक्षित करने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा की आदिम जाति जनता को भूमि बन्दोबस्त की व्यवस्था में अत्यधिक देरी ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के नेलकाटा तथा चैलेन्टा क्षेत्र में आदिम जातियों के झूमियों के पुनर्वास की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा की अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में सरकार की नीति ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में बन्दूकों के स्वामियों को बन्दूकें वापस न देना ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	आदिम जाति के व्यक्तियों को बन्दूक की अनुज्ञप्तियां देने में उदारता की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	जिस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में अधिकांशतः आदिम जाति जनता रहती हो वहां गैर-आदिम जाति जनता को पुनर्वासित अथवा स्थापित न किया जाय ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के निवृत्ति प्राप्त कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन के मामले शीघ्रता से निबटाने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को घरेलू काम में लगाने की प्रथा को रोकने की आवश्यकता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६०	श्री दशरथ देव	झूमियों के पुनर्वास के लिये प्रत्येक खंड में आदिम जाति कल्याण कार्यालय को स्थापित करने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	आदिम जाति कल्याण विभाग में आदिम जातियों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाये ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा की आदिम जातियों की समस्याओं के लिये अलग निदेशालय स्थापित करने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	भूमि बन्दोबस्त में अत्यधिक देरी के कारण झूमियों को कठिनाई ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	कृषि योग्य खास भूमि का उचित सर्वेक्षण तथा त्रिपुरा के आदि मजातीय झूमियों तथा भूमिहीन विस्थापित व्यक्तियों तथा भूमिहीन खेतिहरों की जनगणना करने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के तेलिया मूरा बांध के पुनर्निर्माण की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के तेलिया मूरा के निकट बांध में हुई हानि के सम्बन्ध में आदिम जाति तथा विस्थापित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की शीघ्र जांच की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	अभाई नगर अगरताला आदिम जाति जनता द्वारा स्थापित आदिम जाति बोर्डिंग हाउस को आवश्यक सरकारी सहायता न देना ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	रात्रि कक्षाओं में भी त्रिपुरा के सरकारी स्कूल के अध्यापकों को कालिज में अध्ययन न करने देने की नीति ।	१००

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के सरकारी स्कूल के उन अध्यापकों को, जो इस वर्ष विश्वविद्यालय की परीक्षा देना चाहते थे, छुट्टी न देने की नीति ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में नलकाटा तथा चेलन्टा में गैर-आदिम जाति विस्थापित व्यक्तियों के उपनगर बनाने का अनौचित्य ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	नलकाटा तथा चेलन्टा में भूमि बन्दोबस्त ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	दरिया बगमा (उदयपुर) के मुसलमान किसानों के लिये भूमि बन्दोबस्त ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	आदिम जाति झूम जनता के पुनर्वास के लिये अमरपुर में भूमि आरक्षण की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	मोटर कारों के पुर्जों का संभरण करने के लिये अगरताला में सरकारी भांडार-गृह खोलने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	अगरताला की यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में पेचारथाल के निकट पाई गई कोयले की खानों के सम्बन्ध में उचित जांच करने की आवयश्कता।	१००
६०	श्री दशरथ देव	कंचनपुर के आदिम जाति व्यक्तियों तथा स्वस्ति समिति के बीच भूमि झगड़े को निबटाने में असफलता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	जिरानिया सामुदायिक परियोजना अस्पताल का विस्तार तथा आदिम जाति महिलाओं को धात्री विद्या का ज्ञान कराने की व्यवस्था ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में अक्सर मोटर दुर्घटनायें ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा की मध्य वर्गीय महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिये काम व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में आयकर विभाग का कार्य-संचालन ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	हल चलाने की ऋतु आने से पूर्व विस्थापित व्यक्तियों को कृषि ऋण को उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	उपनगरों की सहकारी समितियों के कार्य संचालन की पूर्ण जांच कराने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	नलकाटा तथा चेलन्टा में आदिम जाति झूमियों के पुनर्वास की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	आदिम जातियों से गैर-आदिम जातियों को भूमि हस्तांतरण पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के शिक्षा निदेशालय में अभद्रता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	आदिम जाति क्षेत्रों में स्थापित, गैर-सरकारी हाई स्कूलों को पर्याप्त सहायता दने में असफलता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा की आदिम जाति जनता के पुनर्वास के लिये त्रिपुरा में अमरपुर खंड की समस्त खास भूमि को रक्षित करने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	कइपेंग आदिम जाति के उन व्यक्तियों, को, जिन्होंने वास्तव में कृषि के लिये भूमि का दावा किया था, आम्पी के निकट तुइदू बांध पर बसाने की असफलता ।	१००

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में कैलासहर के रामराबसा से पुलिस कैम्प हटाने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	रतचरा तथा भूरातालें में पुलिस का दमनचक्र ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में स्थित रतचरा के स्थान पर हुई घटनाओं की सार्वजनिक जांच करने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	सिंचाई कार्य के लिये भैरागी पाड़ा के किसानों को सहायता न देना ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में अगरताला कलचरा तथा अगरताला सोना नुरा सड़कों के निर्माण में अनुपयुक्त ईंटों के प्रयोग को रोकने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	गांव की सड़कों के निर्माण के लिये गांव वालों को धन की सहायता देने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में गैर-सरकारी आदिम जाति बोर्डिंग हाउसों को आवश्यक सहायता न देना ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	देहाती क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को वेतन के भुगतान में अनियमितता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में कैलासहर के भसमारा उप-नगरों की सहकारी समितियों के कार्यसंचालन की जांच की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	आदिम जाति शरणार्थियों को धन की सहायता तथा अन्य सहायता न देना ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में निहालचन्द्र नगर के विस्थापित व्यक्तियों की दशा ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६०	श्री दशरथ देव	गत वर्ष बड़े तूफान से बुरी तरह से पीड़ित निहालचन्द्र नगर के शरणार्थियों में सहायता वितरण में कदाचार ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा राज्य में झूम पुनर्वास के कार्य में शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में आदिम जाति क्षेत्रों में स्थापित प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम एक आदिम जाति अध्यापक की व्यवस्था ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	समाज शिक्षा सेवा में आदिम जातियों के व्यक्तियों को भरती न करना ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के गैर-सरकारी स्कूलों को पर्याप्त सहायता देने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में आदिम जाति विद्यार्थियों के लिये प्राथमिक शिक्षा तक त्रिपुरा भाषा को माध्यम बनाने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के आदिम जाति क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने को रोकने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	देहाती क्षेत्रों में आदिम जातीय जनता द्वारा चलाये गये गैर-सरकारी स्कूलों को ले लेने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के शिक्षा निदेशालय द्वारा समाज शिक्षा सेवा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा की पुलिस सेवा में आदिम जाति के व्यक्तियों को अधिमान्यता ।	१००

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा भाषा के विकास के लिये त्रिपुरा में त्रिपुरा भाषा विकास आयोग स्थापित करने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा भाषा के विकास के लिये निधि का आवण्टन ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के देहाती क्षेत्रों, जिनमें आदिम जातियों की जनता विशेष रूप से रहती हो, में हाई स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के खण्डीय मुख्य कार्यालयों में आदिम जाति विद्यार्थियों के लिये और छात्रावासों की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	देहाती क्षेत्रों, विशेषतया आदिम जाति क्षेत्रों की स्कूल प्रबन्धक समिति के सम्बन्ध में त्रिपुरा शिक्षा निदेशालय का दृष्टिकोण ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के देहाती क्षेत्रों की स्कूल प्रबन्धक समितियों को मान्यता देने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	रामकृष्ण महाविद्यालय कैलासहर (त्रिपुरा) को पिंड-राशि में सहायता देने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	अगरताला में प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	परीक्षा में बैठने के लिये शिक्षा निदेशालय के अधीन अध्यापकों को छुट्टी देने की व्यवस्था ।	१००
६०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के देहाती क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों की छतें आदि बनाने के लिये टीन मुहैया करने की आवश्यकता ।	१००
६१	श्री यू० एम० त्रिवेदी	नीमच में केन्द्रीय रक्षित पुलिस की भरती की नीति का अननुमोदन ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६२	श्री गाडिलिंगन गौड़	आंध्र राज्य के नलामल वन में चेनचों के पुनर्वास तथा आदिम जाति क्षेत्र की दशा सुधारने के लिये पर्याप्त ऋण तथा वित्तीय सहायता न देना ।	१००
६२	श्री यू० एम० त्रिवेदी	पूत प्रयोजनों के लिये आवण्टित अपर्याप्त धनराशि ।	१००
६२	श्री यू० एम० त्रिवेदी	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के विभाग में कुप्रबन्ध ।	१००
६२	श्री यू० एम० त्रिवेदी	राजस्थान के लिये एक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति प्रादेशिक सह-आयुक्त की व्यवस्था न होना ।	१००
६२	श्री बूवराघस्वामी	हिन्दी को सरकारी भाषा बनाने की नीति ।	१००
६२	श्री बूवराघस्वामी	पिछड़े वर्गों की जनता को उनकी जन-संख्या के अनुसार, भारतीय प्रशासन सेवा में उचित प्रतिनिधित्व न देना ।	१००

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री सी० सी० शाह** : (गोहिलवाड-सोरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने जो मुझे आज बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ । गृह-कार्य मंत्रालय लोक सेवाओं तथा लोक सुरक्षा के दो महत्वपूर्ण विषयों की देख रेख करता है । इधर इसे राज्य मंत्रालय और राज्यों के पुनर्गठन के दो और महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे जा चुके हैं । ऐसे समय में जब कि 'ख' और 'ग' राज्यों को समाप्त किया जा रहा है । उन्हें गृह-मंत्री की योग्य तथा अनुभवी वरद मंत्रणा मिल सकी है यह उनके लिये सौभाग्य का विषय है । राज्यों के संकलन का जो कार्य प्रारम्भ किया गया था अब राज्यों के पुनर्गठन के साथ उसकी पूर्णाहुति पड़ रही है । अब 'क' 'ख' और 'ग' राज्यों का भेद भाव समाप्त हो रहा है । वास्तव में शुरू में हमें केन्द्र के अधीक्षण की कुछ आवश्यकता भी थी । किन्तु अब सात वर्ष बीत जाने पर आज हम सरदार पटेल के राज्यों के बीच समता लाने के स्वप्न को पूरा हुआ देखना चाहते हैं ।

किन्तु इन राज्यों के पुनर्गठन से कुछ नई वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं । क्योंकि जब 'ख' राज्यों का एकीकरण किया गया था उस समय उनके और संघ के बीच भिन्न-भिन्न वित्तीय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० सी० शाह]

समझौते हुए थे। उसके अनुसार 'ख' राज्यों को अपने 'राजस्व' का कोई विशेष भाग, जो केन्द्र के विषय में था, केन्द्र को देना पड़ता था और केन्द्र उन्हें अपने संग्रह में से विकास कार्यों के लिये कुछ राशि देता रहता था। प्रत्येक राज्य का भिन्न-भिन्न करारनामा होता था। किन्तु जब पहला वित्त आयोग नियुक्त हुआ था तो उसने केन्द्रीय आयकर तथा उत्पाद शुल्क के संग्रह में से जो भाग (ख) राज्यों को देने की सिफारिश की थी वह बहुत अपर्याप्त था। इसलिये श्री गाडगिल की अध्यक्षता में एक विशेष सहायता समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने 'ख' राज्यों के राजस्व की पूर्ति करने के लिये प्रतिवर्ष उन्हें ४ करोड़ रुपये देने की सिफारिश की थी। मेरा विनम्र निवेदन है कि अब राज्यों के पुनर्गठन के उपरान्त भी कुछ समय तक के लिये उन राज्यों को यह सहायता पूर्ववत् मिलती रहनी चाहिये विशेषकर सौराष्ट्र को।

हमें इस समय केन्द्र से दो प्रकार के अनुदान मिलते हैं। राज्य पुनर्गठन विधेयक के पैरा ३५ में उनका उल्लेख किया गया है। और यह उपबन्ध किया गया है कि १९५६-५७ के लिये यह अनुदान पूर्ववत् मिलते रहेंगे। हम इसके लिये सरकार के बड़े कृतज्ञ हैं, किन्तु यह अनुदान सौराष्ट्र, मध्य भारत, पेप्सू आदि पिछड़े हुए तथा दक्यानूसी अर्थव्यवस्था के राज्यों के लिये अभी कुछ और वर्षों तक मिलते रहने चाहियें।

†**श्री बी० दास** (जाजपुर-क्योंझर) : वित्त आयोग यह काम करेगा।

†**श्री सी० सी० शाह** : हां, वर्तमान वित्त आयोग यह काम करेगा मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है : किन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसे यह ध्यान रखना चाहिये कि पिछले आयोग की सिफारिशें कितनी अपर्याप्त रहीं और कैसे फिर सरकार को एक विशेष समिति नियुक्त करके ४ करोड़ रुपया और देना पड़ा। अतः अब आयोग को यह ध्यान रखना चाहिये कि राज्य पुनर्गठन के कारण 'ख' राज्यों के विकास में किसी प्रकार की बाधा न पड़े।

सौराष्ट्र ने तो अपनी रेलों, बन्दरगाहों और सीमा शुल्क आदि से प्राप्त सभी आय केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है, इस प्रकार उसे बहुत से राजस्व से वंचित होना पड़ा। और इधर केन्द्रीय सरकार ने जब राजस्थान और मध्य भारत को विकास के लिये क्रमशः १५० लाख तथा ४६ लाख रुपया ऋण दिया है, सौराष्ट्र ने कोई ऋण देने के लिये नहीं कहा है। सौराष्ट्र को संघ के करार के अनुसार प्रतिवर्ष २७५ लाख रुपये मिलते हैं। केन्द्रीय सरकार ने वह राशि १९५५-५६ और १९५६-५७ में भी देने को कहा है। किन्तु मेरा अनुरोध है कि यह राशि आगामी योजना काल म अर्थात् १९५९-६० तक मिलती रहनी चाहिये। हम ने अपने पैरों पर खड़े होने का भी बहुत प्रयास किया है। हम ने आन्तरिक ऋणों द्वारा २०० लाख रुपये तथा १२५ लाख रुपये की दो राशियां एकत्रित की हैं। किन्तु यह सब धन विकास के लिये थोड़ा पड़ता है। जबकि हमारे यहां प्रति वर्ष इतने बड़े राजस्व की कमी पड़ती रही है। अतः यह अनुदान अभी जारी रहने चाहिये। अभी सौराष्ट्र को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा सिंचाई आदि विकास कार्यों पर बहुत कुछ धन खर्च करना है।

मैं गृह-मंत्रालय को, जिस ढंग से उसने राज्यों के पुनर्गठन के मामले को सम्भाला है, उसके लिये प्रफुल्ल हृदय से बधाई देता हूँ। गृह-मंत्री की दूरदर्शिता तथा योग्यता के बिना यह कार्य इतनी सरलता से नहीं हो सकता था जितना कि यह आज दिखाई दे रहा है, आज हम एक ऐसे स्तर पर पहुँच गये हैं जहां पर यह दीखने लगा है कि इस मंत्रालय का परिश्रम अब मधुर फल लाने वाला है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय मंत्री (श्री दातार)** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी गृह-कार्य मंत्रालय की पिछले वर्ष की गतिविधियों पर बड़ा दिलचस्प और बृहत वाद विवाद हुआ है। उसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव

†मूल अंग्रेजी में

हमारे सामने रखे गये हैं और कई बार हमें सुन्दर शब्दों में साधुवाद भी दिया गया है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि माननीय सदस्यों ने हमारी भारी भरकम रिपोर्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा है और हमारी राष्ट्र के प्रति तुच्छ सेवाओं की इतनी सराहना की है।

वैसे तो बड़े सुझाव रखे गये हैं; किन्तु मैं कुछ सामान्य प्रकार के सुझावों को ही लूंगा। पहले मैं सेवाओं को लेता हूँ। मेरे मंत्रालय को भारत सरकार के अधीन सभी केन्द्रीय सेवाओं का लेखा जोखा करना पड़ता है जिस में अखिल भारतीय सेवायें भी आ जाती हैं। मैं इन के सम्बन्ध में दिये गये बहुमूल्य सुझावों के प्रति अपना स्पष्टीकरण रखने का प्रयास करूँगा।

कल डा० कृष्णास्वामी ने यह कहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिये भिन्न-भिन्न स्तर पर भर्ती की जानी चाहिये न कि केवल एक ही प्रारम्भिक स्तर पर जिसमें कि केवल विश्वविद्यालयों से आने वाले नवीन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जो कि जीवन में भी बिल्कुल पहली बार ही प्रवेश करते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि हम तो पहले ही विभिन्न स्तरों पर भर्ती कर रहे हैं। किन्तु फिर भी स्वभावतः हमें प्रारम्भिक स्तर पर भी बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है और क्योंकि वे कालिजों से नए-नए निकले हुए होते हैं अतः उनका एक नया दृष्टिकोण होता है। और वे देश के लिये कई नई आशाएं ले कर आते हैं जो कि वे अपनी लम्बी सेवा के अर्से में प्रतिफलित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से हमें आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के लिये सर्वोत्तम तथा कुशलतम व्यक्ति मिल रहे हैं और कुछ ही वर्षों में सभा को यह पता लग जायेगा कि जब ये लोग ज़िलों में जाकर प्रशासन का कार्य करेंगे तो यह देश के लिये कितने लाभप्रद सिद्ध होंगे। अतः हमें इन नवयुवकों को ही अधिकतर स्थान देने पड़ते हैं।

किन्तु विभिन्न स्तरों पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमें सरकारी कामों के लिये यह भी दखना पड़ता है कि नए उत्साह तथा मेधा के साथ-साथ इन लोगों में कुछ अन्य अर्हताएं भी होनी चाहियें जैसे एक विशेष प्रकार का अनुभव तथा निर्णय की परिपक्वता आदि। इसलिये हमने विभिन्न स्तरों की भर्ती के लिये पृथक् नियम बनाये हुए हैं। जहां तक भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय आरक्षी सेना का सम्बन्ध है हम ने यह नियम बनाया हुआ है कि संघ तथा राज्यों में २५ प्रतिशत स्थानों की पूर्ति नीचे से पदोन्नति द्वारा ही की जाय। इस कोटा में प्रान्तीय सरकार की सेवा में कार्य कर रहे अन्य राज्य कर्मचारी भी आ जाते हैं। उनकी अर्हताओं का ध्यान रखा जाता है फिर धीरे-धीरे उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भारतीय प्रशासन तथा आरक्षी सेवा में ले लिया जाता है।

जहां तक राज्य सरकारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का सम्बन्ध है वे एक विभिन्न आयुवर्ग के होते हैं। वे दो कारणों से लिये जाते हैं। एक तो वे अनुभवी होते हैं। इसलिये उनका प्रतिनिधान बड़ा आवश्यक होता है। दूसरे उनका निर्णय भी बड़ा परिपक्व होता है। और आजकल हमें ऐसे अधिकारियों की ही विशेष आवश्यकता है। क्योंकि भारत को शीघ्र अति शीघ्र कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये अधिकारियों को बड़ी-बड़ी जटिल समस्याओं पर निर्णय करना पड़ता है, यही कारण है कि भारतीय प्रशासन तथा आरक्षी सेवा में राज्य कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है। हमारे पास आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० में २१८ व्यक्ति ऐसे हैं जो राज्य सरकारों की सेवाओं में से लिये गये हैं.....

†**श्री पुन्नूस** (आल्लपि) : क्या वे नौजवान हैं अथवा राज्यों में से लिये गये बूढ़े व्यक्ति हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार**: वे नवयुवक नहीं हैं किन्तु उन्हें बूढ़ा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि इस शब्द में कुछ कटाक्ष सा भास होता है।

†**श्री वेलायुधन** : इतने बूढ़े जितने कि स्वयं माननीय मंत्री हैं!

†**श्री दातार** : वे आयु में बढ़ गये होते हैं और आयु में बढ़ना भी एक गुण होता है।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : पक्के किन्तु ज्यादा पक्के नहीं।

†**श्री दातार** : सरकार सदा इस बात का ध्यान रखती है। वह परिपक्व मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को ही लेती है। बड़ी आयु के कारण अत्यधिक परिपक्व मस्तिष्क वाले व्यवितयों को नहीं लिया जाता है।

आई० पी० एस० ७४ व्यक्ति राज्य सरकारों के हैं।

इसके अतिरिक्त इस उद्देश्य से कि केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों को भी पता लगता रहे कि जिलों में कैसे प्रशासन हो रहा है उन्हें विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के लिये ज़िलों में भेजा जाता रहता है। इसी प्रकार हम प्रायः राज्य सरकारों से भी अधिकारियों को केन्द्र में बुलाते रहते हैं।

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर) : जिस अधिकारी का श्री गिडवानी ने ज़िक्र किया है वह कहां से लिया गया था?

†**श्री दातार** : यदि माननीय सदस्य कुछ सबर करें तो मैं इस थोड़े से समय में जितने प्रश्नों का सम्भव हो सकेगा उत्तर दूंगा।

अतः जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार से भर्ती करते रहते हैं अथवा अन्य सरकारी कर्मचारियों को बुलाते रहते हैं। खास तौर पर ऊंची सेवाओं के लिये।

इस के बाद यह कहा गया है कि अंग्रेजी राज्य के दौरान में हमारे आई० सी० एस० और आई० पी० एस० के अधिकारियों ने अपना एक विशेष वर्ग बना लिया था। सम्भव है कि यह सच हो। किन्तु जहां तक वर्तमान व्यवस्था का प्रश्न है, मैं उन माननीय सदस्यों से, जिन्होंन कड़ी आलोचना की है, निवेदन करूँगा कि देश के प्रजातांत्रिक वातावरण तथा प्रशासन के प्रजातांत्रिक वातावरण का हमारे पदाधिकारियों पर बड़ा अच्छा असर पड़ा है; और यहां तक कि भारतीय असैनिक अधिकारी तथा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी यह समझने लगे हैं कि उन्हें इस नये और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अधीन काम करना है जिसके अधीन जनता ही स्वामी है न कि वे लोग। इस लिये मैं सभा से यह निवेदन करूँगा कि अधिकारीगण भी अपने आप को नयी व्यवस्था के अनुकूल ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं। सम्भव है कि कुछ अवस्थाओं में यह प्रक्रिया धीमी चल रही हो। साथ ही हम इस बात के लिये भी उत्सुक हैं कि हमारे अधिकारी न केवल कार्य कुशल हों, बल्कि जनता के विचारों का भी आदर करने वाले हों और यथासम्भव वे अपना आर्य निरंकुश प्रशासन के अधीन न कर प्रजातांत्रिक प्रशासन के अधीन करें जहां कि उन्हें सदैव जनता के सम्पर्क में रहना होगा।

जहाँ तक इन दोनों पहलुओं का सम्बन्ध है, हम यथा शक्ति इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य के दुर्वह कार्यों को करने के लिये केवल सर्वोत्तम प्रकार के अधिकारी ही लिये जायें। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि हमें पूरी तरह पता है कि उच्च स्तर पर केवल सर्वोत्तम प्रकार के अधिकारियों की ही आवश्यकता है इससे भी अधिक सभी स्तर के अधिकारियों

†मूल अंग्रेजी में

को यह समझना चाहिये कि उन्हें प्रजातांत्रिक संगठन के अधीन कार्य करना है। जहां तक कार्य का सम्बन्ध है, उन्हें पूर्णतः कार्य कुशल और जनता के विचारों का आदर करने और उनसे सम्पर्क रखने वाला होना चाहिये।

इस विशेष बात पर कुछ अन्य सुझाव भी दिये गये और वे सेवाओं का एकीकरण करने से सम्बन्धित थे। मैं सभा को यह याद दिलाऊंगा कि पिछले आठ या नौ कार्यव्यस्त वर्षों के बीच एकीकरण के प्रश्न पर विभिन्न स्थितियों में विचार किया जा चुका है। जहां तक राज्यों के एकीकरण का प्रश्न है, पहिले सेवाओं का एकीकरण हुआ। तब कुछ अंशों तक भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का एकीकरण किया गया। अब राज्यों के पुनर्गठन से आगे एक और समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से राज्य पुनर्गठन विधेयक में विशेष रूप से उल्लिखित उपबन्धों पर ध्यान देने का निवेदन करूँगा, जिसके अनुसार हमारी इच्छा सेवाओं का एकीकरण करने की है और जैसा कि मैंने सभा को दो तीन दिन पूर्व ही बताया था कि हम सरकारी नौकरों के, चाहे वे अखिल भारतीय सेवा में हों अथवा राज्य सेवाओं में, उचित और वैध अधिकारों का उस सीमा तक संरक्षण करना चाहते हैं। जहां तक उनका संरक्षण वैध हो। इसलिये अन्तिम विश्लेषण से सभा को यह ज्ञात होगा कि यदि मैं गलती नहीं करता हूँ तो राज्य पुनर्गठन विधेयक के खंड १०९ के अधीन, राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में भी कुछ अधिकार केन्द्र के अधीन रक्षित रखे गये हैं।

यदि हम बहुत से अधिकारियों की स्वेच्छित, उत्साहपूर्ण और कुशल सेवा चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि उनके वैध हितों की रक्षा की जाय और सारी अनिश्चित बातों व निलम्बित मामलों को समाप्त कर दिया जाय। मैं आपको यह बता दूँ कि भारत सरकार में, रेलवे कर्मचारियों को भी मिलाकर १५ लाख कर्मचारी हैं। जब हमें इतनी विशाल संख्या से काम लेना होता है तो हमें यह देखना होता है कि वे उपयुक्त ढंग से काम करें और हमें यह भी देखना होता है कि उनकी सेवाओं की शर्तें अच्छी हों।

अस्थायी सरकारी नौकरों का जिक्र किया गया था। मैं सभा को यह बता दूँ कि इस प्रश्न पर, इस सभा तथा राज्य सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है, यह बात स्वीकार करनी होगी कि कुछ विभाग स्वभावतः ही अस्थायी प्रकार के हैं। ऐसे भी अवसर आते हैं जबकि पहले तो हमें अधिकारियों की किसी प्रयोजन के लिये नियुक्ति करनी होती है और फिर यह देखना पड़ता है कि यह विभाग अथवा कार्य जारी रहे अथवा नहीं। इसलिये इस बात को स्वीकार करना होगा कि कुछ सीमा तक कुछ अधिकारियों तथा सरकारी नौकरों और अधिकारियों को अस्थायी आधार पर रहना होगा। मैं लोक-सभा में यह बता चुका हूँ कि वित्त मंत्रालय इस आशय का एक परिपत्र जारी कर चुका है कि यदि किसी विभाग को अधिक समय तक रहना है, तो उसके ८० प्रतिशत सरकारी नौकरों को स्थायी बना दिया जाय। अन्यथा स्वभावतः ही हमें कई बातों पर विचार करना पड़ेगा, अस्थायी अधिकारियों को, यदि उनका विभाग अस्थायी है तो, अस्थायी ही रहना पड़ेगा। मैं सभा को यह बता दूं कि इतने पर भी सरकार ने यह देखने में बहुत सावधानी से काम लिया है कि इन अधिकारियों के वैध हितों तथा आशाओं को यथोचित रूप में पूरा किया जाय। उक्त प्रयोजन के लिये हमने १९४९ में एक विशेष आदेश जारी किया था जिसके अनुसार उन्हें अर्द्ध स्थायी अधिकार प्राप्त हो गये। इसलिये यह मानना होगा कि सभी अस्थायी सरकारी नौकर सही अर्थों में अस्थायी नहीं हैं। अस्थायी नौकरों को भी स्थायी व अस्थायी स्थिति के बीच के कुछ अधिकार मिलते हैं। यदि उन्होंने तीन वर्ष तक सन्तोष जनक काम किया हुआ है तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिसके परिणाम बाद को मिलते हैं। इस प्रकार आप को ज्ञात होगा कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की है।

[श्री दातार]

अति वयस्क अधिकारियों की सेवा की अवधि में वृद्धि तथा उनकी पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ कहा गया था। यह सच है कि सामान्यतया अधिकारियों को अति वयस्कता की आयु तक पहुँचने पर निवृत्त होना पड़ाता है, किन्तु स्थिति की आवश्यकता पर भी ध्यान देना होता है। मैं सभा को यह बता दूँ कि कई मामलों में तो तत्काल एक सक्षम अधिकारी क स्थान पर काम करने वाल एक अनुभवी अधिकारी का मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, किन्तु जो काम वह कर रहा है उसे तो नहीं रोका जा सकता। दो प्रकार के विचार हैं जो कि एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। पहिला यह कि अतिवयस्क अधिकारियों को निवृत्त हो जाना चाहिये और इस प्रकार युवकों को उच्च सेवा का अवसर दिया जाना चाहिये। यह एक बात है; दूसरी बात यह है कि कई मामलों में उस स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रखना बहुत कठिन हो जाता है। यह 'क' के स्थान पर 'ख' की यंत्रिक स्थानपूर्त्ति नहीं होती है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, कई महत्वपूर्ण और टैक्नीकल मामले होते हैं जहां पर अच्छे लोगों का मिलना बहुत कठिन हो जाता है। कई ऐसी ऊंची नियुक्तियां होती हैं जहां पर काम अथवा सरकार द्वारा ली गई परियोजनाओं के हित में, यह आवश्यक है कि उक्त अधिकारियों को कुछ समय तक रहने दिया जाय। मैं सभा को यह बता दूं कि ऐसे सभी मामलों में, जहां ऐसे उच्चाधिकारियों को सेवा में लगाये रखा जाता है अथवा पुनर्नियुक्ति किया जाता है, पुनर्नियुक्ति आदि सदैव अल्पावधि के लिये यथासम्भव कम अवधि के लिये ही को जाती है और कई मामलों में तो सेवाकाल में वृद्धि अथवा पुनर्नियुक्ति के लिये गृह मंत्रालय को सहमति प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक होता है। जब मामले के सभी पहलुओं पर विचार करके, स्थिति की अत्यावश्यकता अथवा राष्ट्र की आवश्यकता के लिये यह आवश्यक समझा जाता है कि एक विशेष अधिकारी की सेवा जारी रहनी चाहिये तभी उसे जारी रखा जाता है। मैं यह भी बता दूं कि ऐसे मामलों को, जिन में पुनर्नियुक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक यहती है, संघ सेवा लोक आयोग के पास भेजा जाता है। ऐसे कई मामले हुए हैं जहाँ संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिये भी इन विशेष स्थानों के लिये किसी अच्छे व्यक्ति की सिफारिश करना अथवा सुझाव देना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग को भी पुनर्नियुक्ति से सहमत होना पड़ा। हम सदैव इन दो बातों का ध्यान रखते हैं (१) युवकों को अवसर दिया जाना चाहिये; और (२) जहां ऐसे अनुभव और परिपक्क निर्णय की आवश्यकता हो वहां नियमित रूप से नहीं अपितु मामले की विशेष स्थिति के अनुरूप कुछ अधिकारियों की या तो पुनर्नियुक्ति की जाये या उनकी सेवा की अवधि में वृद्धि की जाये। हम इन सिद्धांतों के अनुसार ही काम करते हैं।

अगले प्रश्न को लेने के पूर्व मैं उस बात की चर्चा करना चाहता हूँ जो श्री गिडवानी ने अपने भाषण के दौरान में दो अधिकारियों के बारे में कही। जहां तक इन दो अधिकारियों का प्रश्न है उन्होंने सभा के समक्ष मामले का एक पक्ष रखा है। मैं नहीं जानता कि यह मामले का यथार्थ पक्ष है। कुछ भी हो, यदि उनके पास कुछ जानकारी होती है तो मैं अवश्य तथाकथित आरोपों और कथनों की जांच करता। सभा क सदस्य के रूप में मैं जानता हूँ कि श्री गिडवानी न केवल संस्थाओं अथवा शरणार्थियों की ओर से मांग करते समय अत्यन्त सावधानी से काम लेते हैं अपितु जो कुछ उन्हें कहना होता है वह पूर्णतः संयत ढंग से कहते हैं। दुर्भाग्यवश आज कुछ आरोपों के आधार पर जो कि प्रथम दृष्टि में उन्होंने बिल्कुल सत्य मान लिये, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि उन्हें वास्तव में नहीं कहनी चाहिये थीं। मैं वचन देता हूँ कि इसके अलावा भी यदि वे बातें न कही जाती तो भी मैं इन दोनों अधिकारियों के मामले की जांच करता। मैं सभा को यह बता दूँ कि मुझे इन व्यक्तियों को न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सरकारी पदाधिकारी के नाते भी जानने का अवसर मिला है। और मैं जानता हूं कि ये दोनों अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहां

तक उन दो अधिकारियों में से एक का सम्बन्ध है, कृषि क्षेत्र में उनकी सेवायें इतनी महान् और मूल्यवान रही हैं कि जम्मू और काश्मीर की सरकार भी उनकी सेवाओं से लाभ उठाती रही है। इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूँगा कि वे हमारे अधिकारियों के सम्बन्ध में जब कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हों– कोई बात कहते समय सावधानी से काम लें। जहां तक दूसरे अधिकारी का सम्बन्ध है, वे एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। जहां तक मैं जानता हूँ, वे अपना कार्य बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। यदि किसी भी माननीय सदस्य को इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई सच्ची शिकायत हो तो मैं किसी भी पक्ष के माननीय सदस्य को तथ्य बताने के लिये आमंत्रित करता हूँ। मैं अवश्य इन मामलों पर गौर करूँगा। मैं श्री गिडवानी से इस बात से सहमत हूँ कि यथा सम्भव सच्चाई से काम करना ही पर्याप्त नहीं है। कई अवसर ऐसे आते हैं जब कि हमें कड़ाई से भी काम लेना पड़ता है। मैं उन्हें यह बता दूँ कि सरकार, जो कि अपने सहयोग से काम चला रही है, आवश्यकता पड़ने पर कड़ाई से काम लेती है और न केवल जनता के लिये अपितु अधिकारियों के लिये भी सदैव न्यायकारी है। इस बात की सदैव सम्भावना रहती है कि किसी मामले में अनुचित या अतिशयोक्तिपूर्ण जानकारी दे दी जाये। कुछ भी हो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कल्याणकारी राज्य के संस्थापन की सफलता इस सभा द्वारा सरकार को तथा सभी स्तरों पर कार्य पालिका पदाधिकारियों को दी जाने वाली सहायता के ऊपर निर्भर है। इसलिये हमें पूर्ण सहयोग की भावना रखने का प्रयत्न करना चाहिये। जब कभी कोई अधिकारी गलती करता है तो हम उसे दंड देंगे किन्तु मैं सभा से यह विनम्र निवेदन करूँगा कि एक दो उदाहरणों से ही हमें सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाल लेने चाहिये। हम यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी सफलता के लिये हमें जनता के सभी वर्गों—जिनमें हमारे अधिकारी शामिल हैं—का उत्साहपूर्ण सहयोग तथा सच्चे प्रयत्न की आवश्यकता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हम सदैव इन परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे।

अब मैं अगले विषय को लेता हूँ। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में है। उनकी स्थिति स्वभावतः बहुत नाजुक है। उन्होंने शताब्दियों तक अन्याय और अत्याचार सहे हैं, इसलिये जब कभी अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के कोई सदस्य हमारी कठोर आलोचना भी करते हैं, भले ही वह बिना कारण हो, मैं उनकी आलोचना को सलाह के रूप में ग्रहण करता हूँ क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उद्धार के लिये हमें यथाशक्ति प्रयत्न करना है। वे विभिन्न प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं।

जहाँ तक अनुसूचित आदिम जातियों का प्रश्न है, हमने उन्हें जंगलों में धकेल दिया है और उन्हें गिरिजन कहते हैं और वे निरंतर बनवास का कष्ट भोग रहे हैं। हमें उन्हें भारतीय समाज के मंच पर लाना है। हमें उन्हें अभीष्ट प्रकार से जीवन यापन करने देना है। हमें उनकी संस्कृति की रक्षा करनी है, क्योंकि उनकी संस्कृति बहुत ऊंची है। साथ ही उन्हें उन सारे अधिकारों व सुविधाओं के उपभोग का अधिकार है जो कि उन्हें एक भारतीय नागरिक के नाते मिलनी चाहिये। संविधान में भी यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार आदिम जातियों के कल्याण तथा आदिम जाति के क्षेत्रों में प्रशासन के सुधार के लिये प्रति वर्ष कुछ अनुदान देगी। इन स्वशासी परिषदों का भार वहन करने के लिये आसाम के पहाड़ी ज़िलों को बहुत बड़ा अनुदान दिया गया है। बहुत सी दूसरी चीज़े भी की जा सकती हैं।

जहां तक अनुसूचित जातियों का प्रश्न है, मेरी राय में उनकी नियोग्यता इनसे भी बढ़ कर है और उन्होंने अधिक कष्ट सहा है क्योंकि उनकी नियोग्यतायें असह्य थीं।

चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकारें हों, सभी सरकारों का यह कर्तव्य और विशेषाधिकार होगा कि वे न केवल उनके लिए अधिक अच्छी आर्थिक स्थिति की व्यवस्था करें बल्कि जिन

[श्री दातार]

सामाजिक निर्योग्यताओं से वे पीड़ित हैं उन्हें भी दूर करें। मैं मानता हूँ कि देश के देहाती भागों में अस्पृश्यता की यह बुराई अभी भी ज़ोरों पर है। हमें यथासम्भव इसे दूर करने के लिये कार्यवाहियां करनी होंगी। यहां पर भी हम विरोधी विचार धाराओं को देखते हैं या हमें उनका सामना करना पड़ता है। एक विचार धारा वाले लोगों का मत है कि हमें दंड विधियां बनानी चाहिए और अस्पृश्यता निवारण के लिये हमें दंड विधियां लागू करनी चाहिए। दूसरी ओर हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होती है कि ये निर्धन व्यक्ति, जिनकी जन संख्या प्रत्येक गांव में बहुत ही कम है, ऊंची जाति वाले लोगों की दया पर रहते हैं। इसलिये यदि आप अस्पृश्यता निवारण के लिये बहुत ही कठोर विधियां भी पारित कर दें तो उसका परिणाम यह होगा कि अन्य जातियों के लोगों में प्रतिक्रिया या खिचाव की भावना पैदा होगी और सम्भव है वे बदला लेने के लिये इन लोगों को अब जो जीने का अधिकार है उससे भी इन्हें इन्कार कर दें। इस लिये हमें गलतियां करने वालों को शान्तिमय तथा हृदयग्राही ढंगों द्वारा इन बातों से रोकना है और हमें उन्हें यह भी बताना है कि हिन्दुओं में समाज विरोधी तत्वों को यह समझ लेना चाहिये कि यदि वे समझाने से न माने तो उन्हें विधि के प्रवर्तन के आगे झुकना होगा। सरकार इस नीति पर चल रही है। हम चाहते हैं कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के उपबन्धों का कड़ा से कड़ा पालन किया जाय, भारत सरकार, राज्य सरकारों से इस ममाले पर बात कर रही है और हम अपनी ओर से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में यद्यपि यह राज्यों का एक विषय है तथापि हम विभिन्न राज्य सरकारों को प्रचार करने के लिये कुछ अनुदान भी दे रहे हैं, अस्पृश्यता एक अपराध है, यह समाज के विरुद्ध एक पाप है और इसका अन्त किया जाना चाहिये इस बात को कट्टर धार्मिक हिन्दुओं को समझाने के लिये और उनकी आत्मा को उभारने के लिये विभिन्न ढंगों के द्वारा हृदयग्राही प्रचार करने के प्रयोजन से प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं।

†**श्री वेलायुधन** : क्या इस राशि का उपयोग के स्थान पर दुरुपयोग नहीं हुआ है ?

श्रीमती खोंगमेन उठीं –

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय तब दूसरा प्रश्न पूछना चाहिये।

†**श्री दातार** : मैं अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दूंगा और उसके बाद अनुसूचित आदिम जातियों के प्रश्न का उत्तर दूंगा।

जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है हमारे पास जो प्रतिवेदन हैं उनसे मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि राज्य सरकारें अपना कार्य बड़ी ही खूबी से कर रही हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूँ कि कुछ अखिल भारतीय संस्थाएं यह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से कर रही हैं और हम उनकी सहायता भी करत रहे हैं।

†**श्रीमती खोंगमेन** : मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण के लिये एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या सरकार संविधान की छठी अनुसूची के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है।

†**श्री दातार** : सरकार के ऐसे किसी प्रस्ताव की बात मुझे मालूम नहीं है। यदि छठी अनुसूची में संशोधन किये जाने के लिये माननीय सदस्य के ठोस कारण हैं तो निश्चय ही मैं इस मामले पर विचार करूँगा और देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बता

---

†मूल अंग्रेजी में

दूं कि हम ज़िला परिषदों की सहायता के प्रयोजन से आसाम सरकार को अनुदान की भारी राशियां दे रहे हैं। कुछ मामलों में हम लगभग ४० लाख रुपया दे रहे हैं क्योंकि संविधान के अधीन जो घाटा हो उसे हमें पूरा करना होता है। यदि माननीय सदस्य की कोई शिकायतें हैं तो अच्छा यह होगा कि उन विशिष्ट बुराइयों और कमियों को देखा जाय कि वे क्या हैं और हम उन्हें दूर कर सकते हैं। केवल संवैधानिक विधि में ही परिवर्तन मात्र से यह सब सदियों पुरानी बुराइयां दूर नहीं की जा सकतीं और इनका अन्त नहीं किया जा सकता है।

†**श्री वेलायुधन** : अनुसूचित जातियों तथा अछूतों की अखिल भारतीय संस्थाओं को अनुदानों के सम्बन्ध में मैं प्रतिवेदन से जो कुछ समझ पाया हूँ वह यह है कि इसका उपयोग अस्पृश्यता निवारण के स्थान पर अधिकतर सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक संरक्षण के लिये किया गया है।

†**श्री दातार** : मेरे माननीय मित्र का विचार बिल्कुल ग़लत है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम ख्यातिपूर्ण तथा गौरवशाली अखिल भारतीय संस्थाओं से व्यवहार करते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि वास्तविक मतभेद है।

†**श्री दातार** : जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, वे भी पूरी तरह छानबीन करने के बाद निर्णय करती हैं या योजनाओं पर स्वीकृति देती हैं। इसलिये मेरे माननीय मित्र का जल्दी में यह निर्णय कर लेना उचित नहीं है कि अनुदानों का प्रचार के लिये उपयोग किया जा रहा है। वास्तव में हमने एक निर्बन्धन लगाया था जिसे एक अखिल भारतीय संस्था ने स्वीकार नहीं किया था। निर्बन्धन यह था कि इसे अस्पृश्यता निवारण के प्रचार के प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के प्रचार के योजन के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा। उन्हें केवल यही एक बात करनी होती है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जहां तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े हुये वर्गों का सम्बन्ध है, हम ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्य सरकारों को दी जाने वाली राशि बढ़ा कर ५८ करोड़ रुपये कर दी है।

†**श्री एन० राचय्या** : एक जानकारी सम्बन्धी प्रश्न है.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जितना अधिक विघ्न होगा उतना अधिक मंत्री का समय लगेगा और इस से सदस्यों को यह हानि होगी कि उनके लिये प्राप्त समय कम हो जायेगा।

†**श्री एन० राचय्या** : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि प्रशासन में और विशेष रूप से भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधान के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिया गया था उस का क्या हुआ है ?

†**श्री दातार** : मैं इस प्रश्न का कई बार उत्तर दे चुका हूं, परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक उच्चतम सेवाओं का सम्बन्ध है, हमें धीरे-धीरे कार्यवाही करनी है। संविधान के अनुच्छेद ३३५ में भी कहा गया है :

"प्रशासक कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार" मैं माननीय सदस्य को यह बतना चाहता हूं कि हमने भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के नियमों में कुछ उपबन्ध किये हैं जिसके अनुसार जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, हमने लोक सेवा संघ आयोग के स्वविवेक पर अधिकतर बात छोड़ दी है और इस के अधीन उन्हें स्वतंत्रता है कि वे जिस सीमा तक उचित समझें उस सीमा तक स्तरों को नीचा कर दें। इसलिये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

माननीय सदस्य देखेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है । मैं मानता हूं कि संख्या में यथासम्भव वृद्धि नहीं हो रही है परन्तु हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि शिक्षा सम्बन्धी उन्नति अभी और भी होनी है । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था, जहां तक इन आयोग व्यक्तियों का सम्बन्ध है उनके पास विश्वविद्यालयों की डिग्रियां होने के अतिरिक्त उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित होना भी अपेक्षित है ।

इसलिये मैंने कुछ संस्थाओं को सुझाव दिया है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आवेदकों को इस परीक्षा में बैठने के लिये प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर विचार करें । राज्य सरकारें और सम्भवत: केन्द्रीय सरकार भी इस बात पर विचार करेगी कि क्या इस प्रकार का कोई प्रयत्न किया जाना है क्योंकि केवल ऐसे ही प्रयत्न से उनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है । मैं लोक-सभा को बाता दूं कि हम चाहते हैं कि उनकी संख्या में वृद्धि हो, वे अधिक संख्या में लिये जायें क्योंकि उनकी संख्या लगभग सात करोड़ है इसलिये इस अनुपात से उनके उम्मीदवारों की संख्या भी अधिक हो । परन्तु हम तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि हमें ऐसे व्यक्ति न मिल जायें जो शिक्षा आदि की उच्चतम नहीं बल्कि न्यूनतम अर्हतायें रखते हैं । हमारी यह इच्छा है और हम ने एक नियम भी निर्धारित किया है कि संघ लोक सेवा आयोग को इस बात की छूट देनी होगी कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की सामान्य कार्य पूर्ति को देखें और फिर यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि वह उम्मीदवार साधारणतया प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा, यह नहीं कि वह सब से अच्छे ढंग से प्रश्नों का उत्तर देगा, क्योंकि हमें सर्वोत्तम उम्मीदवार मिल रहे हैं, तो वह उस उम्मीदवार को ले ले, इसलिये जब कभी भी ऐसे व्यक्ति इस सीमा के भीतर आते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से ले लिया जाता है, चाहे परीक्षा में उनका कोई भी स्थान (रैंक) क्यों न हो । हां, यह शर्त जरूर है कि उन्होंने न्यूनतम अपेक्षित अंक प्राप्त कर लिये हों । मुझे मालूम है कि एक विशिष्ट मामले में अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार का ६०वां स्थान (रैंक) था परन्तु उसे ले लिया गया था । वास्तव में हमने लगभग चालीस उम्मीदवार लिये थे परन्तु अनुसूचित जाति के इस विशिष्ट उम्मीदवार का ६०वां नम्बर था और फिर भी वह ले लिया गया ।

†**श्री वेलायुधन :** लिपिक के पद पर, अवसर-सचिव के पद पर नहीं ।

†**श्री दातार :** जी नहीं, भारतीय प्रशासन सेवा के लिये वह उम्मीदवार लिया गया था यही मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता था । माननीय सदस्य सदैव ग़लत जानकारी के आधार पर बोलते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदा कदा प्रश्न की अनुमति दी जा सकती है परन्तु अनिश्चित समय के लिये ऐसा नहीं हो सकता मंत्री के भाषण में बाधा न डाली जाय ।

†**श्री दातार :** हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी अधिकतम नहीं बल्कि न्यूनतम अर्हतायें हों, उसे ले लिया जायेगा, शर्त यह है कि लोक सेवा संघ आयोग ने उसकी सिफ़ारिश की हो ।

मैं लोक-सभा को बता देना चाहता हूं कि जब तक इस विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार यह चाहती है कि सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की संख्या में जितनी-जितनी जल्दी सम्भव हो वृद्धि हो ।

अब मैं एक ऐसे मामले की चर्चा करना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध आंग्ल-भारतियों से है । मेरे पास इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का एक पत्र है जिसके अनुसार मैंने देखा है कि अनुदान की राशि

---

†मूल अंग्रेजी में ।

में बिल्कुल भी कमी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुछ किया यह था कि उसने पक्ष धनराशि का उपबन्ध नहीं किया जो पहले पहले निश्चित की थी क्योंकि वह धनराशि, संविधान के अन्तर्गत, तीन वर्ष के पश्चात् दस प्रतिशत कम की जा सकती थी। इसलिये जो कुछ किया गया वह यह था कि वह धनराशि किसी हद तक कम कर दी गई परन्तु उस कमी से आंग्ल-भारतीय विद्यार्थियों के लाभ के लिये कतिपय आंग्ल-भारतीय संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदानों में कमी नहीं हुई।

वास्तव में, कुछ आंग्ल-भारतीय संस्थायें ऐसी थीं जो बन्द कर दी गई थीं। चाहे जैसा भी हो जहां तक उन संस्थाओं का सम्बन्ध है जिन्हें अनुदान प्राप्त करने का अधिकार था, उन्हें वही अनुदान दिया जा रहा है। इस कमी के परिणामस्वरूप जो कुछ किया गया है वह यह है कि बचत कम हुई है। आंग्ल-भारतीय संस्थाओं को प्रति वर्ष अनुदान देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ धनराशि निश्चित कर रखी थी और उसमें बचत इसलिये होती थी क्योंकि उनकी संख्या अधिक नहीं थी। अन्ततः छः संस्थायें बन्द कर दी गईं। चाहे जो भी हुआ आप देखेंगे कि धनराशि उतनी ही है; जहां तक विभिन्न निकायों के भुगतान का सम्बन्ध है वह राशि कम नहीं की गई है। इसलिये मेरे मित्र का उत्तर प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाना कि उसने किसी खास प्रयोजन से अनुदान कम किया है ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि जहां तक निर्धन विद्यार्थियों को अनुदानों का सम्बन्ध है, वे अनुदान वैसे ही बने रहेंगे चाहे अन्यथा निश्चित धनराशि कुछ भी हो।

जहां तक त्रिपुरा और मणिपुर का सम्बन्ध है, मुझे बहुत खुशी है कि त्रिपुरा के माननीय सदस्यों ने अपनी व्यथाओं का उल्लेख नहीं किया। वास्तव में वह व्यथाओं की एक सूची है और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो सबसे अधिक कटौती प्रस्ताव इस एक मद के सम्बन्ध में ही हैं और कुछ हद तक अन्य मदों के सम्बन्ध में भी जहां तक मणिपुर का सम्बन्ध है।

जहां तक भूमियों के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को संकेत करूंगा कि इन लोगों को उचित ढंग से बसाने के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को बहुतसा धन दे दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है और हमारी यह इच्छा है कि भूमियों के यथासंभव अधिक से अधिक परिवार ठीक तरह से बस जांय। संभव है कि इस साल में हम ६ लाख रुपये से भी अधिक का अनुदान दें और १५०० परिवार ठीक तरह बस जायें और वे जिस बुरे व्यवसाय में लगे हुए हैं उसे छोड़ दें।

अन्य बातों के सम्बन्ध में भी मैंने विभिन्न कटौती प्रस्तावों में उठाये गये समस्त मामलों की जांच की है और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि वहां का शासन हमारे सहयोग से अनुसूचित आदिम जातियों के जो कि त्रिपुरा की जनसंख्या के एक बड़े भाग का निर्माण करती हैं, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिये प्रत्येक आश्वासन कार्य करेगा। मैं कह सकता हूं कि मणिपुर के मामले में भी वही चीज की जा रही है।

अब मैं छोटे-छोटे मामलों पर आता हूं। संभवतः श्री राघवाचारी ने यह कहा था कि हमने संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता के परिणामों के सम्बन्ध में अभी तक अंक नहीं दिये हैं। मैं माननीय सदस्य को केवल इतना ही संकेत करूंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता को संशोधित रूप में १ जनवरी, १९५६ को ही लागू किया गया था और इसलिये इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि स्थिति क्या है।

फिर जहां तक अनुसूचित जातियों को विधि-सम्बन्धी सहायता का सम्बन्ध है, वह बम्बई में दी जा रही है। अभी भी ऐसे मुकदमों में जिनके पक्ष रूप में अनुसूचित जातियों के लोग हों उनको सहायता और सलाह देने के प्रयोजन के लिये बम्बई सरकार ने कुछ वकील नियुक्त किये हैं।

†**श्री सिंहासन सिंह** (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : परन्तु मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

†**श्री दातार** : मुझे मालूम नहीं है । फिर भी मैंने इस बात को नोट कर लिया है ।

मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूं कि जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के निर्धन व्यक्तियों का सम्बन्ध है उनको विधि सम्बन्धी सहायता के अभाव के कारण हानि नहीं होनी चाहिये । वह ऐसा मामला है जिसमें सरकार जो कुछ भी संभव होगा करेगी ।

माननीय सदस्य श्री गाडगील ने कहा कि एक जिले में एक स्थान पर विधि-जीवी संघ (बार एसोसिएशन) द्वारा एक अनुसूचित जाति के वकील को प्रवेश नहीं करने दिया ।

†**एक माननीय सदस्य** : सीतापुर में ।

†**श्री दातार** : मुझे सूचना मिली । इस खास मामले में, जहां तक विधि-जीवी संघ की बैठक का सम्बन्ध था, १०६ में से केवल ६० सदस्य उपस्थित थे । इसलिये जो संकल्प उन्होंने पास किया वह उनके विधान के शक्ति परस्तात घोषित कर दिया गया क्योंकि उसको दो तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं था । इस आधार पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी । हमें यह सूचना मिली है कि विधि जीवी संघ का सदस्य होने में उसकी असफलता का कारण वे परिस्थितियां थी जिनके कारण संकल्प अवैध हो गया, उसका अस्पृश्यता के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं था ।

†**श्री सारंगधर दास** (ढेंकानाल-पश्चिम कटक) : यह बात स्पष्ट नहीं हुई ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बात यह है कि १०६ सदस्य थे और संकल्प को प्रभावी बनाने के लिये दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी । केवल ६० ही सदस्य उपस्थित थे जो कि दो तिहाई से बहुत कम हैं ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या इसी कारण प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई ?

†**श्री दातार** : जी , हां । अस्पृश्यता के कारण ऐसा नहीं हुआ । हमारे माननीय सहयोगी को प्रविधिक या विधि सम्बन्धी त्रुटि के कारण प्रवेश नहीं दिया गया, अस्पृश्यता के कारण नहीं । जहां तक अस्पृश्यता के प्रश्न का सम्बन्ध है, उस संघ के सदस्य उसमें विश्वास नहीं करते हैं ।

इस तरह मैंने बहुत मुख्य-मुख्य बातों की चर्चा की । मुझे विश्वास है कि मंत्रालय के कार्यों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की जो अच्छी राय है उसकी पुष्टि आगे बोलने वाले सदस्य भी करेंगे ।

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी बातों का वर्णन न करके केवल मनीपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में ही विचार प्रकट करूंगा ।

मनीपुर राज्य के महाराजा के निधन के उपरान्त उसकी चार पत्नियों से जनित चार पुत्र उसकी गद्दी के दावेदार हैं, परन्तु उनमें से दूसरे पुत्र को भी अस्थायी रूप से गद्दी दे दी गई है जिसके कारण सारे राज्य में इसका विरोध किया जा रहा है ।

वैसे, मैं तो व्यक्तिगत रूप से राजाओं की नियुक्ति का विरोधी हूं और मैंने गत आय-व्ययक सत्र में इसी सभा में राजाओं को दी जाने वाली निजी थैली का घोर विरोध किया था । परन्तु यहां पर तो मैं केवल यही बता रहा हूं कि महाराजा के दूसरे पुत्र को गद्दी सौंप देने से सारे राज्य में इसका कितना विरोध हो रहा है । परम्परा के अनुसार तो प्रथम पुत्र को ही अधिकार दिया जाना चाहिये, परन्तु उसे इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है, इसीलिये वहां पर एक भयंकर आन्दोलन हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये इस सभा से मेरी प्रार्थना है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और इसे सुलझाने का प्रयत्न करे, क्योंकि मैं समझता हूं कि यही एक मंच है जहां पर हम इन बातों की चर्चा कर सकते हैं।

प्रथम पुत्र को गद्दी न देने का कारण यह बताया जाता है कि वह एक देहाती लड़की से उत्पन्न हुआ था। परन्तु वास्तव में वह विवाह हिन्दू विधि के अनुसार हुआ था जिसमें सभी प्रकार की रीतियों तथा संस्कारों का पूरा-पूरा अनुसरण किया गया था। परन्तु उसके दावे को ठुकरा दिया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इनके बारे में मंत्री महोदय से बातचीत करें। यह स्थान कोई ऐसा मंच नहीं है जहां पर इस प्रकार की बातों की चर्चा की जा सके। अतः वह इस अवसर का अनुचित लाभ न उठावें। यदि उन्हें राजा महाराजाओं के बारे में कुछ कहना है तो वह मंत्री महोदय से वैसा कह सकते हैं।

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : धोलपुर में भी ऐसा मामला था और उसका निर्णय एक आयोग द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मनीपुर के बारे में भी एक आयोग नियुक्त किया जाये। इसीलिये वहां की स्थिति को स्पष्ट करते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि अब जिस दूसरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया गया है, उसकी मां की राजा के साथ शादी दरबार द्वारा अमान्य घोषित कर दी गयी थी। इसके बारे में मनीपुर के दरबार ने ३-४-४२ के अपने संकल्प संख्या १० में स्पष्ट घोषित कर दिया गया था कि वह शादी मान्य न होगी। इसलिये दरबार की घोषणा को ठुकराया नहीं जा सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य कहना क्या चाहते हैं। हमें इन शादियों-वादियों से कोई लेन देन नहीं है। अतः आप अपना समय व्यर्थ न गवांये।

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : मनीपुर वलिय करार के अनुच्छेद संख्या ६ में राज्य की सभी प्रथाओं और परम्पराओं का उल्लेख है। संघ सरकार ने राज्य के उत्तराधिकार की प्रथा तथा विधि की रक्षा करने का वचन दिया है, परन्तु अब सरकार स्वयं ही उस विधि तथा प्रथा की उपेक्षा कर रही है।

†**श्री दातार** : मैं इस सभा को तथा अपने मित्र को बता देना चाहता हूं कि जहां तक मनीपुर की गद्दी के प्रश्न का सम्बन्ध है, मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है; सारे मामले की जांच करने के लिये एक न्यायिक पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है और फिर उसकी रिपोर्ट के बाद इस उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय किया जायेगा।

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : मुझे यह सुनकर अपार हर्ष हुआ है कि सरकार इस काम के लिये एक आयोग नियुक्त कर रही है। दूसरी बात जिसकी ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है मनीपुर राज्य का शासन। वहां पर व्यर्थ में ही साइकल-कर लगा रखा था। यद्यपि वहां पर कोई नगर पालिका नहीं हैं फिर भी वहां पर कई वर्षों तक साइकल-कर लगा रहा। बड़ी खुशी की बात है कि अब सरकार ने उस कर को समाप्त कर दिया है।

एक और बात यह है कि पिछले मुख्यायुक्त ने मनीपुर के राजनीतिक पीड़ितों की कठिनाइयों को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है; बड़े हर्ष की बात है कि अब गृह-मंत्रालय ने उनकी कठिनाइयां दूर की हैं।

एक और अन्य बात यह है कि महाराजा के समय में उन भूतपूर्व सरकारी पदाधिकारियों को निवृत्ति-वेतनों से वंचित कर दिया गया था जिन्होंने निर्वाचनों में भाग लिया था। अब गृह-मंत्रालय ने उन्हें फिर से निवृत्ति-वेतन देने की अनुमति दे दी है, परन्तु वे वेतन भूत लक्षी प्रभाव से दिये जायें तो लोग अत्यन्त प्रसन्न होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एल० जोगेश्वर सिंह]

इसके अतिरिक्त वहां पर लोक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाये ताकि जनता के मन में विश्वास हो। बिक्री-कर के सम्बन्ध में मैं नहीं समझ सका कि कर देने के लिये विक्रय-राशि की सीमा क्यों न बढ़ाई जाये। यह सीमा आसाम में ७५०० रुपये है परन्तु मनीपुर में ५००० रुपये है। अतः गृह-मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि मनीपुर की इस सीमा को बढ़ा दिया जाये, नहीं तो इससे निर्धनों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** (एलुरु) : श्री दातार के भाषण के पश्चात् मैं निश्चय नहीं कर पाया हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विषय में अधिक क्या कहूं। उन्होंने और माननीय पंत जी ने हरिजनों और गिरिजनों की ओर बहुत कुछ ध्यान दिया है, फिर भी मैं समझता हूं कि सरकार ने इस विषय की ओर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना आवश्यक है। सभा में जब कभी यह प्रश्न उपस्थित होता है तभी इसका उपहास किया जाता है और माननीय सदस्य इस पर गम्भीर रूप से नहीं सोचते। महात्मा गांधी ने हरिजनों की समस्या पर कितना अधिक बल दिया था। यदि भारत इसे हल नहीं कर सकता तो उसे उन्नत राष्ट्रों में कोई स्थान नहीं मिल सकेगा। एक ओर तो हम समाजवादी आधार और पंचशील की चर्चा करते हैं और दूसरी ओर देश के दलित वर्ग की ओर देखते भी नहीं। इस बात को हमें सभा में बार-बार कहना पड़ता है।

हरिजनों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, प्रथम तो वे जो खेतों में काम करते हैं, द्वितीय वे जो परम्परा से सफाई का काम करते चले आ रहे हैं और तृतीय वे जो जूते बनाने, चमड़ा कमाने आदि का काम करते हैं। सरकार को अस्पृश्यता निवारण-प्रचार के साथ इन जातियों के अनेक संतों के चलचित्र भी दिखाने चाहिये ताकि जनता को यह पता लग सके कि इन जातियों में कैसे-कैसे महात्मा पैदा हो चुके हैं।

केन्द्रीय सरकार हरिजनों के बच्चों की शिक्षा के लिये जो छात्रवृत्तियां दे रही है उसके हम अत्यन्त आभारी हैं। होनहार बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा के लिये विदेशों में भेजा जाना चाहिये। इससे देश का भविष्य उज्जवल होता है।

हरिजनों के आवास के लिये भी कुछ प्रबन्ध किया जा रहा है। गांवों में उनके मकान बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि उन के मकान गांव से अलग न हों अन्यथा हमारे देश में अस्पृश्यता का कभी अन्त न होगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरिजनों के लिये ८६००० मकान बनवाने की व्यवस्था की गई है। किन्तु, यदि सरकार की गति इतनी मन्थर रही तो हरिजनों के आवास के प्रबन्ध में कई शताब्दियां लग जायेंगी। आवास का उचित प्रबन्ध होने पर उनकी आधी समस्या हल हो सकती है।

हरिजनों को नौकरियों में प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। यह ठीक है कि संघ लोक-सेवा आयोग क एक सदस्य हरिजन हैं किन्तु राज्यों के आयोगों में भी ऐसा होना चाहिये। मैं ऐसे सैंकड़ों उदाहरण पेश कर सकता हूं जिनमें हरिजन उम्मीदवार अत्यन्त योग्य होने पर भी नौकरियों में भर्ती नहीं किये गये। विश्वविद्यालयों से हजारों हरिजन छात्र शिक्षित हो कर निकल रहे हैं और कम से कम रक्षित स्थानों पर उन्हें अवश्य ही रखा जाना चाहिये।

इसी प्रकार विदेशों में अनेक संसदीय शिष्ट मंडल जाते हैं और उनके लिये मैं यह अनुरोध करता हूं कि हरिजन सदस्यों को भी उचित स्थान दिया जाय।

अन्त में मुझे एक बात और कहनी है और वह यह है कि जिस प्रकार आदिम जातीय कार्यकर्ताओं का वार्षिक सम्मेलन किया जाता है उसी प्रकार हरिजन-कार्यकर्ताओं के भी वार्षिक सम्मेलन किये जाने

†मूल अंग्रेजी में •

चाहिये जिनसे विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान एवम् अनुभव का लाभ उठाया जा सके। अन्त में, मैं माननीय श्री पन्त और श्री दातार को धन्यवाद देता हूं जो देश से अस्पृश्यता-निवारण के कार्य में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं।

†**श्री पुन्नूस** : उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में श्री दातार ने हरिजनों सम्बन्धी आलोचना का यथोचित उत्तर देने का प्रयत्न किया है किन्तु अनेक बातों को वे टाल गये हैं और कुछ विषयों पर उन्होंने केवल सफेदीपोत दी है। वे कहते हैं कि देश का वातावरण अब बदल गया है और जनता का दृष्टिकोण भी बदल गया है किन्तु मैं समझता हूं कि वे किसी भ्रम में पड़े हुये हैं।

लोगों का ध्यान सदैव गृह-कार्य मंत्रालय की ओर होता है। सरकार के सारे कार्यों का अनुमान केवल इसी मंत्रालय के कार्यों को देख कर लगा लेते हैं। क्या सरकार यह कह सकती है कि जनता के अधिकारों की रक्षा की जाती है? क्या माननीय मंत्री हमारे सामने ऐसे आंकड़े दे सकेंगे कि देश में कितनी बार धारा १४४ लागू हुई है कितनी बार जनता पर लाठी चलाई गई है और कितनी बार गोली चलाई गई है? प्रधान मंत्री अनेक बार कहते हैं कि इतनी स्वतंत्रता अन्य किसी देश में नहीं है किन्तु वे यह तो भूल ही जाते हैं कि यहां कितने लोग प्रति वर्ष गोली के शिकार हो जाते हैं।

एक बार डाक्टर काटजू अपने भाषण में बारबार "विधि और व्यवस्था" शब्दों पर जोर दे रहे थे तब प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा कि मुझे ये शब्द पसन्द नहीं हैं। दूसरे दिन डाक्टर काटजू फिर वही "विधि और व्यवस्था" का राग अलापने लगे। जब उन्होंने मुड़ कर देखा कि प्रधान मंत्री विराजमान हैं तो फौरन अपने शब्द बदल कर "शान्ति" का प्रयोग करने लगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केवल शब्दों के परिवर्तन से समाज का वातावरण नहीं बदला करता। उदाहरण के लिये नागा पहाड़ियों के प्रश्न को लीजिये। सरकार ने उन के दमन के लिये सेना भेज दी है। यह तो वैसा ही एक काम है जैसा कि विदेशी सरकार किया करती थी। हमारी सरकार कहती है कि वे नागा लोग हिंसात्मक कार्य करते हैं किन्तु उनके प्रति हमारा ऐसा व्यवहार प्रशंसनीय नहीं है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : आप का क्या सुझाव है?

†**श्री पुन्नूस** : आप सुनिये तो सही। सरकार को उन से वार्ता प्रारम्भ करनी चाहिये। एक ओर गोआ की समस्या में तो हम अहिंसा को अपना रहे हैं और दूसरी ओर नागाओं का सिर काटने को तैयार हैं। ऐसा करने से विश्व में हमारा आदर घट जायेगा। नागाओं का झगड़ा तो आसाम सरकार से है अतः उसे समझा बुझा कर शान्त किया जा सकता है।

मेरे मित्र श्री वेंकटरामन का कहना है कि निवारक निरोध अधिनियम का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। यदि यह बात सही है तो इस अधिनियम को निरसित क्यों नहीं किया जाता है। वास्तव में बात यह है कि यह अधिनियम अधिकतर श्रमिकों पर लागू किया जाता है और जब कभी वे अपनी मांगें रखते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उदाहरण के लिये बर्दवान में श्री हुसैन का मामला ऐसा ही था जिस में श्री हुसैन को वहां के श्रमिकों में असन्तोष फैलाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था।

इस के बाद, कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में श्री दातार ने कहा है कि बहुत से स्थान अस्थायी होते हैं अतः सरकार उन के लिये कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं कर सकती। बहुत से विभाग ही अस्थायी होते हैं और उन में कोई भी व्यक्ति स्थायी पद पर नहीं होता। यदि ऐसा है तो सरकार इतनी अधिक संख्या में नौकर क्यों भर्ती करती है? इस से उन लोगों का हित भी नहीं होता है और प्रशासन का स्तर भी गिर जाता है। इसी प्रकार अतिवयस्कता के बाद भी अनेक अफसर अपने पदों पर कार्य करते रहते हैं। यह भी अनुचित है। इसके विपरीत प्रशासन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पुन्नूस]

संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा अयोग्य सिद्ध कर दिये जाने के बाद भी नौकर बने रहते हैं। ऐसा लगता है मानों संघ लोक सेवा आयोग को तो केवल मंत्रियों और सचिवों की करतूतें ढांकने के लिये बनाया गया है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार की ओर से सभी व्यक्ति आई० ए० एस० बना दिये गये जिन में एक को छोड़ कर सभी व्यक्ति कांग्रेसी मंत्रियों के निजी सचिव थे।

श्री राघवाचारी ने त्रावनकोर-कोचीन का उल्लेख करते हुये यह बात ग़लत कही है कि वहां कोई स्थायी सरकार बन पाई थी। १९५१ के चुनाव के बाद ११८ स्थानों में से केवल ४५ स्थान कांग्रेस को मिले। कुछ समय बाद जब वहां कांग्रेसी सरकार हार गई। दुबारा चुनाव की नौबत आई। फिर कांग्रेस को ४५ स्थान मिले और कांग्रेस की सहायता से प्रजा समाजवादी दल ने अपनी सरकार बनाई। वह भी नहीं चल सकी। उस के बाद कांग्रेस ने तामिलनाड कांग्रेस से मिल कर अपनी सरकार बनाई। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि वहां कोई सरकार स्थायी रूप से नहीं चली। १९५४ में जब वहां कांग्रेस मंत्रि-मण्डल असफल रहा तो राजप्रमुख ने विधान-सभा भंग कर दी थी और अब की बार भी कहा जाता है कि कांग्रेस की पराजय होने पर उन की ओर यही संकेत किया गया था। लोग इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि जब लोक-सभा ने राष्ट्रपति के शासन का अनुमोदन किया तो त्रावनकोर-कोचीन के कांग्रेसी सदस्य सभा में उठ खड़े हुये और इस की प्रशंसा में ताली पीटने लगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का समय पूरा हो चुका है।

†**श्री पुन्नूस :** मैंने सुना था कि गृह-कार्य मंत्री ने प्रयत्न किया था और वह चाहते थे कि वहां पर संविधान निलम्बित न किया जाये परन्तु उस राज्य के कांग्रेसी सदस्यों ने उन पर जोर डाला और वह राज्य, ऐसे समय जब कि वहां लोकतन्त्रीय सरकार की आवश्यकता थी, राष्ट्रपति के शासन में ले लिया गया।

†**श्री रघुबीर सहाय** (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व) : मेरे मित्र श्री मोहन लाल सक्सेना ने गृह-कार्य मंत्री का ध्यान राजनीतिक पीड़ितों की ओर दिलाया। यह निर्णय किया गया है कि ऐसे लोगों को सरकारी निधि से सहायता नहीं दी जायेगी। यह निर्णय अच्छा नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों ने देश के लिये अपना जीवन अर्पण कर दिया है और बहुत कठोर यातनायें सही हैं। उन्हें सरकारी सहायता दी जानी चाहिये। इस नीति का प्रभाव उत्तर प्रदेश सरकार जैसी अन्य सरकारों पर भी पड़ेगा जिन्होंने राजनीतिक पीड़ितों से सहायता के लिये आवेदन मांगे हैं। भय है कि ये सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये निर्णय का अनुसरण करेंगी और सहायता नहीं देंगी।

मैं सदैव भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की रचनात्मक आलोचना करता रहता हूं। हम भारतीय असैनिक सेवा के भी विरूद्ध थे परन्तु उन्होंने कुछ परम्परायें स्थापित की थीं और वे मन लगा कर कार्य करते थे। ऐसी परम्परायें भारतीय प्रशासन सेवा आदि ने स्थापित नहीं की हैं। वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वर्तमान वातावरण में काम करने की उनमें प्रवृत्ति नहीं है। वे नहीं जानते कि वे कल्याणकारी राज्य के लिये काम कर रहे हैं। बहुत से जिलाधीशों ने पंचवर्षीय योजना पर कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है। इन सेवाओं में काम करने वाले लोगों को इस योजना में निहित सिद्धान्तों का अध्ययन करना चाहिये और अपने-अपने ज़िलों में नई भावना फैलानी चाहिये।

जम्मू और काश्मीर सरकार तथा भारत सरकार में एक करार हुआ है जिस के अनुसार जम्मू और काश्मीर राज्य को १९५४ में २४२ लाख रुपये का वित्तीय अनुदान दिया जायेगा जो बाद के वर्षों में बढ़ा कर २५० लाख कर दिया जायेगा। उस राज्य को और अधिक सहायता दी जानी चाहिये। वे हमारे बड़े कृतज्ञ हैं तथा सन्तुष्ट हैं। वे भारत के साथ रहना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि हमारा जो रुपया जम्मू और काश्मीर में व्यय किया जाये उसका निरीक्षण भारत का नियन्त्रक महालेखा परीक्षक कर सके और उसके लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन हमारे सम्मुख रखे जायें ।

भारतीय प्रशासन सेवा आदि के स्कूल में जम्मू और काश्मीर के लोग भी लिये गये हैं । हमारे वरिष्ठ और अनुभवी पदाधिकारी भी वहां प्रतिनियुत किये जाने चाहिये ताकि वहां का शासन कुशलतापूर्वक चल सके । वहां के वरिष्ट पदाधिकारी भी भारत भेजे जाने चाहिये । प्रतिवेदन से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार ने डाकुओं को समाप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य भारत आदि राज्यों को विशेष पुलिस भेजी है । यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ६ करोड़ है फिर भी वहां बम्बई राज्य से, जहां की जनसंख्या ३ करोड़ है, पुलिस कम है । केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिये कहना चाहिये ।

दिल्ली में कुछ पुलिस पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से आये हैं । एक शिकायत प्राप्त हुई है कि एक पंजाबी पुलिस पदाधिकारी की, जिसमें पर्याप्त योग्यता नहीं है, और जिसका रिकार्ड भी खराब है, पदोन्नति कर दी गई है । माननीय मंत्री को दिल्ली में नियुक्त उत्तर प्रदेश पुलिस पदाधिकारियों की शिकायतें दूर करनी चाहिये ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि देश में पिछले दो-तीन वर्षों से अमन व शान्ति स्थापित होती जा रही है और जनता को १९४७-४८ में गृह-मंत्रालय से जो शिकायत थी, वह शिकायत अब दूर होती जा रही है । हमारे भाई जो विरोधी पार्टियों से तालुक रखते हैं, वे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा करते थे पर गत दो वर्षों से हम देख रहे हैं कि इस ऐक्ट का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है । इससे तथा देश में जो शान्ति और व्यवस्था कायम है उससे यही पता चलता है कि गृह-मंत्रालय अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर रहा है ।

जहां तक न्याय का सवाल है हम बहुत पहले से ही यह मांग करते आ रहे हैं कि इसे एक्ज़ीक्यूटिव से अलग कर दिया जाये । हम यह कहते आये हैं कि ज्यूडिशरी को एक्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाये । हमने बहुत से राज्यों में देखा है कि अभी तक भी न्यायालयों को एक्जीकूटिव से अलग नहीं किया गया है । यही हालत मध्यप्रदेश में है, यही यू० पी० में है और यही दूसरे राज्यों में है । इसको अलग न करने से केसिस के फैसले करने में बहुत देरी लगती है । इसलिये जितनी जल्दी से जल्दी हम ज्युडिशरी को एक्ज़ीक्यूटिव से अलग कर दें उतना ही अच्छा होगा ।

हमने यह भी देखा है कि दीवानी अदालतों में जिन्हें व्यावहारिक न्यायालय भी कहा जाता है, तथा फोजदारी न्यायालयों में जो न्याय है वह बहुत देर से दिया जाता है । कई-कई मुकदमे तो ऐसे हैं जिनके फैसले १५-१५ और २०-२० साल तक भी नहीं होते हैं । इसका क्या कारण है इसको मैं नहीं समझ पाया हूँ । मैं नहीं समझ पाया कि वे कौनसी ऐसी प्रणालियां हैं जिनके कारण हाईकोर्ट में भी यह मुकदमे १५-१५ साल तक पड़े रहते हैं । जब मुकदमों का फैसला होने में इतनी देर लग जाती है तो इसका नतीजा यह होता है कि "डिले डिफीट्स दी जस्टिस।" (विलम्ब से न्याय नहीं होता) । इस तरह से किस प्रकार हम यह आशा कर सकते हैं कि हमें न्याय मिलेगा । आपने सिविल प्रोसीजर कोड में जो संशोधन किये हैं या करना चाहते हैं, उनको मैंने पढ़ा है लेकिन मैं समझता हुं कि उनसे हमारी जो शिकायतें हैं, हमारी जो तकलीफें हैं वे किसी भी तरह कम होने वाली नहीं है । मैंने यह भी देखा है कि अदालतें कई बार बहुत ही उदार दृष्टिकोण रखती हैं, बहुत ही उदारता से काम लेती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि जो भी हम कानून बनाते हैं, जो भी

[श्री जांगड़े]

अधिनियम हम बनाते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वह पूरा नहीं होता है। मैंने कई मद्य-निषेध क केस देखे हैं जिन मुकदमों में कि बहुत ही उदार दृष्टिकोण लिया गया है। अगर एक आदमी २० पीपे शराब लेकर जाता हुआ पकड़ा जाता है तो उन पीपों को सील करने में २००, ४०० या हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ता है लेकिन अपराधी को केवल दो रुपया बतौर जुर्माने के सज़ा हो जाती है। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट की जो मद्य-निषेध नीति है वह कैसे सफल हो सकती है। मैं बम्बई की बात नहीं करता हूँ। वहां के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन दूसरी जगहों में मैंने इस चीज़ को देखा है और मैं प्रार्थना करता हूं सरकार ऐसे मामले में सख्त कदम उठाये और अपराधियों को भयोत्पादक दण्ड दिलाने का प्रयत्न करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो कानून भी हम बनायेंगे वह बेकार हो जायेगा। इसलिये हमें चाहिये कि हम ऐसे कानून बनायें जिनमें कि कम से कम दण्ड की व्यवस्था हो। न्यायालयों में मुकदमों का फैसला करनें में जो विलम्ब होता ह उस विलम्ब को भी दूर करने का हमें प्रयत्न करना चाहिये। मैंने देखा है कि हत्या के मुकदमे कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप को अपने ज़िले की बात बताता हूं कि अब जब कि शान्ति. और व्यवस्था कायम हो गई है तो भी १९४८–४९ के मुकाबले में जो हत्या के मुकदमे हैं वे बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं मैंने यह भी देखा है कि इन मुकदमों में ९९ परसेंट अपराधी छूट जात हैं। यह चीज़ मेरी समझ में नहीं आयी कि ये अपराधी छुट कैसे जाते हैं। जिन मुकदमों के निर्णय करन में देर लगती है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि हाईकोर्टस स्वायत्त-शासी हैं और उनके काम में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी स्वतन्त्र निकाय है और उसके काम में भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दोनों आती तो सरकार के अधीन हैं। व भी एक तरह से सरकार के ही अंग हैं। सरकार के तीन अंग हैं, पार्लियामेंट, एक्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी। हमें चाहिये कि इन सब में जहां कहीं भी कोई दोष है, तो उसे हम दूर करें। यह जो मुकदमों का निर्णय करने में ढील दी जाती है, और यह जो उदार दृष्टिकोण लिया जाता है इसका नतीजा यह हो रहा है कि अराजकता की भावना बढ़ती जा रही है। हमें सोचना है कि हम इस अराजकता की भावना को कैसे दूर करें और फिर सोच-विचार कर इसे दूर करने के प्रयत्न हमें करने चाहियें।

जहां तक नौकरियों का सवाल है, रेलवे जो है वह गृह-मंत्रालय के पूल में नहीं आता है। बाकी जितने भी मंत्रालय हैं वे सब इसके पूल में आते हैं। रेलवे में जो कंडिशंस आफ सर्विस (सेवा की शर्तें) हैं, जो प्रोमोशन रूल्स हैं, जो रिक्रूटमैंट रूल्स हैं वे डिफरेंट हैं। अभी माननीय मंत्री जी न कहा कि सैंट्रल गवर्नमेंट के मातहत १५ लाख कर्मचारी हैं जिनमें से तकरीबन साढ़े दस लाख केवल रेलवे मंत्रालय के अधीन हैं और वे किसी तरह से भी गृह-कार्य मंत्रालय के पूल के अन्दर नहीं आते हैं। इस तरह से केवल साढ़े चार लाख कर्मचारी ही गृह-मंत्रालय के अधीन आते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सारे ही इस मंत्रालय के अधीन आ जायें और इन सब की कंडिशंस आफ सर्विस (सेवा की शर्तों) में, प्रोमोशन रूल्स में और रिक्रूटमेंट रूल्स में एक रूपता आ जाये।

पिछले साल मैंने कहा था कि आप हर साल अनुसूचित आदिम जातियों की एनुअल कान्फ्रेंस करते हैं। लेकिन क्या कारण है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिस को भी इसमें शामिल नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों की एक कान्फ्रेंस हर साल सेमी गवर्नमेंट लेवेल सरकारी स्तर पर किया करें जिसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रालयों क प्रतिनिधि और गवर्नमेंट और सैमी-गवर्नमेंट आर्गेनाइज़ेशस के प्रतिनिधि भाग लिया करें। ये लोग आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं और अपनी कठिनाइयां और अपने अनुभव एक दूसरे को बतला सकत हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हरिजनों के लिये सारे हिन्दुस्तान में एक सी नीति अपनाई जा सकती है। ऐसा न करने से हरिजन

और बैकवर्ड क्लासिस (पिछड़े वर्गों) की क्या हालत है इस को दूसर नहीं जान पाते हैं। मेरे विचार में अगर एक ऐसी कान्फेंस आप बुलाया करें तो ज्यादा अच्छा होगा और आप का खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं होगा। इससे आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और हम हिन्दुस्तान में एक यूनिफाइड पालिसी हरिजनों के लिये, बैकवर्ड क्लासिस के लिये और शेड्यूल्ड ट्राइब्स क लिये चालू कर सकेंगे।

मैंने अपने भाषण में पहले भी एक बार कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स का जो सबजक्ट है, उसे कनकरेंट लिस्ट (समवर्ती सूची) में होना चाहिये न कि स्टेट लिस्ट (राज्य सूची) में। जो स्टेट्स हैं वे हरिजनों के प्रति उदासीनता बरतती हैं। हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सच्चे दिल से हरिजनों की उन्नति चाहती है। लेकिन बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर इन लोगों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सी स्टेट्स में तो मंत्रियों का रवैया इन लोगों के प्रति ऐसा रहा है जिससे कि इन लोगों को आगे बढ़ने में और उन्नति करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बनाये रखने के लिये यह चीज़ आवश्यक है कि इसे कनकरेंट लिस्ट में रखा जाए और कोई ऐसी पावर्स अपने हाथ में ले ली जायें जिनका उपयोग, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इनके प्रति उदासीनता बरते, तो उनके खिलाफ किया जा सके।

मैंने यह भी देखा है कि आपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरिजनों के लिये ९० करोड़ रुपया रखा है जिसमें से कोई ४५ करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। हम यह समझते हैं कि हरिजनों की उन्नति के लिये आपने जो रकम रखी है, वह बहुत कम है और इसको बढ़ाया जाये। इस रकम को हम नगण्य मानते हैं। यहां पर छुआछूत की बात की जाती है। मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आज विज्ञान ने प्रगति की है और जिस तरह शहरों का विकास होता जा रहा है और जिस तरह से संसार का चक्र चल रहा है कोई कितना भी प्रयत्न क्यों न करे छुआछूत को जड़मूल से नष्ट होने से रोक नहीं सकता है। जितनी देर तक हमार स्वर्ण भाई इसे कायम रखेंगे उतना ही उन्हें भी और हरिजनों को भी नुक्सान होगा। हरिजनों में अपने राइट्स (अधिकार) को हासिल करने के लिये ज्वाला भड़क उठी है और वे अपने अधिकारों को प्राप्त करके हीर होंगे और वे अब चुप बैठन वाले नहीं है। अगर हिन्दुओं के दिलों के दरवाज़े हरिजनों के लिये खुल जाते हैं तो फिर मंदिर चाहे हरिजनों के लिये खुलें या न खुलें हमें कोई परवा नहीं है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि हरिजनों की उन्नति के लिये और ज्यादा रकम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी जाये।

लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में अब मुझे कुछ कहना है। क्रिसचियंस (ईसाइयों) की लड़कियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन हरिजनों और आदिवासियों की लड़कियों में शिक्षा का बहुत अभाव है। हरिजनों में पढ़ी लिखी लड़कियों की तादाद एक परसेंट (प्रतिशत) भी नहीं है, यह ·०१ परसेंट है। चार जमायत पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों को मैं अनपढ़ लड़कियों के बराबर समझता हूं। आजकल हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्डस इतने गिर गए हैं कि एक मैट्रिक पास लड़का या लड़की यह भी नहीं जानता या जानती हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) कौन है और हमारा प्रैसिडेंट (राष्ट्रपति) कौन है। मैं चाहता हूँ कि लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाये और उनकी सैकिंडरी स्टेज तक की एजुकशन के लिये हम रुपये की व्यवस्था करें। अगर हमने ऐसा किया तो ही हम लड़कियों को एजुकेट (शिक्षित) करने में सहायक हो सकेंगे।

अभी हमारे श्री रघुबीर सहाय जी ने कहा था कि आई० सी० एस० आफिसर्स और आई० पी० एस० आफिसर्स आजकल की परिस्थितियों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। मैंने इस बात को अनुभव किया है। मैंने देखा है कि बहुत से अच्छे-अच्छे उम्मीदवार जो कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० की लिखित परीक्षाओं में ९० प्रतिशत और ७५ प्रतिशत, नम्बर प्राप्त करते हैं, वे

[श्री जांगड़े]

वाइ-वावोसी (मौखिक परीक्षा) की परीक्षा में पास नहीं होते। मालूम नहीं कि उन आई० सी० एस० और आई० पी० एस० अफसरों की क्या मेंटेलिटी (मनोवृत्ति) होती है, जो मौखिक परीक्षा लेते हैं, कि वे ऐसे अच्छे उम्मीदवारों को भी पास नहीं करते। न मालूम उनको गांधी टोपी पसन्द नहीं आती या उनकी धोती पसन्द नहीं आती, या वे उम्मीदवार बौने होते हैं इसलिये उनको नहीं लिया जाता। मैं समझता हूँ कि इस विषय में अब इन अफसरों को दृष्टिकोण बदलना चाहिये। उनको सादगी को खराब निगाह से नहीं देखना चाहिये और सादगी के कारण किसी उम्मीदवार को नुक्सान नहीं पहुंचाना चाहिये।

मुझे इस बात का व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर कोई आदमी किसी एम० पी० या एम० एल० ए० से पत्र लिखाकर किसी आई० पी० एस० आफिसर के पास ले जाता है तो वह उस पत्र को फाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि तुम पत्र क्यों लिखा कर लाये हो, हम यहां किस लिये बैठे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनता अफसरों के पास जाने में डरती है क्योंकि लोग जानते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होगी और अगर कोई जाता है तो उसको इस प्रकार डांट दिया जाता है और उसकी असली कठिनाई का इलाज नहीं किया जाता।

इसके अतिरिक्त मुझे एक बात और कहनी है। नई योजना के अनुसार बहुत से राज्य भाग 'क' राज्यों में विलीन हो जायेंगे। इन राज्यों में हरिजनों और आदिवासियों की हालत खराब है। उदाहरण के लिये मध्यप्रदेश का बहुत बड़ा प्रदेश बन जायेगा। उसमें हरिजनों और आदिवासियों की बहुलता रहेगी और वहां पर वस्तर का एक ऐसा इलाका है कि जहां पर अभी भी लोग वल्कल यानी पेड़ों की छाल पहनते हैं। यहां पर नेफा की बात कही जाती है और नागा हिल्स की बात कही जाती है। पर वस्तर का भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और यदि प्रगति की यही हालत रही तो ५० साल में भी वहां कोई बड़ा अन्तर नहीं आवेगा और जो हालत आज है वैसी ही हालत रहेगी। जब तक केन्द्रीय सरकार ऐसे इलाकों की ओर स्वयं ध्यान नहीं देगी उनकी उन्नति नहीं होगी। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार नये मध्यप्रदेश में ऐसे इलाकों की ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

छुआछूत का कानून बना उसको केन्द्रीय सरकार ने बड़ी सद्भावना से पास किया। लेकिन उस पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है। यह कानून एक जून से लागू हुआ। मैंने अगस्त या सितम्बर में यह जानने के लिये कि इस कानून पर कैसा अमल हो रहा है, अपने जिले के अफसरों के सामने कुछ छुआछूत के मामले पेश किये। पर मुझे से जिला जज और डी० एस० पी० ने कहा कि उनको नहीं मालूम कि कोई इस तरह का कानून पास हुआ है। अभी सन् १९५६ में मध्यप्रदेश के दुग जिले में मैं ने कुछ छुआछूत के मामलों की रिपोर्ट करायी तो वहां के डी० एस० पी० ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तान भर के लिये यह कानून पास किया होगा पर दुग के लिये नहीं किया होगा। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ। मैंने गृह-मंत्री जी को भी इसकी सूचना दी। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया लेकिन अभी तक बहुत से जिलों में यह कानून अमल में नहीं लाया जा रहा है।

अब मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे यहां कुछ लोग कम्युनल हेटरेड (साम्प्रदायिक घृणाभाव) फैला रहे हैं। इसका फल यह हुआ है कि मेरे जिले में एक साल में हरिजनों और सवर्ण हिन्दूओं के बीच पांच-पांच मर्डर हुए हैं। वहां के डी० एस० पी० को इसकी सूचना दी और मैंने गृह-मंत्री जी को भी यह बात बतायी थी। पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे लोगों में डर की भावना बढ़ती जा रही है।

मैं चाहता हूँ कि इन तकलीफों को बहुत जल्द दूर किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रिशांग किशिंग ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : तामिलनाड के किसी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया गया ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मेरा सुझाव है कि जिन सदस्यों को किसी मंत्रालय पर बोलने के लिये अवसर दिया जाना हो, उनकी सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी जानी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस बारे में माननीय अध्यक्ष से बात करूँगा और देखूंगा कि माननीय सदस्यों की कठिनाइयां कहां तक दूर की जा सकती हैं ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : उन सदस्यों को अवसर दिया जाना चाहिये जिनके राज्यों से किसी सदस्य ने भी वाद-विवाद में भाग न लिया हो ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री रिशांग किशिंग** : मैं नागा पहाड़ियों की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं .....

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मैं कह रहा था कि वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों की जो सूचियां तैयार की जायें वे प्रकाशित की जानी चाहिये अथवा वाद-विवाद के आरम्भ में पढ़ी जानी चाहिये अथवा नोटिस बोर्ड पर लगा दी जानी चाहिये जिससे वे जान सकें कि उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ सदस्य अपने नाम मेरे पास भेजते हैं । कुछ दल अपने उन वक्ताओं के नाम भेजते हैं जो दल या वर्ग की ओर से बोलने वाले होते हैं । मैं ऐसे सदस्यों की अधिमान्यक्रम में एक सूची बनाता हूँ और उनके नाम इस क्रम में रखता हूँ जिससे कि एक सदस्य दूसरे सदस्य का उत्तर दे सके ।

वाद-विवाद में केवल १०–१५ व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं । यदि सब के नाम घोषित कर दिये जायें तो सभा में गणपूर्ति ही न रहे । अतः मैं ४–५ सदस्यों के नाम एक बार में घोषित करता हूँ। यदि गणपूर्ति बनी रहे तो मुझे सबके नाम घोषित करने में आपत्ति नहीं है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : मैं चाहता था कि जिन सदस्यों को भाग लेने का अवसर मिलने की सम्भावना न हों उन्हें यदि पहले ही मालूम हो जाये तो वे पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि विभिन्न विषयों पर वाद-विवाद किया जा सकता है इस बारे में मैं सदस्यों से सुझाव लेने के लिये तैयार हूँ । सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि प्रत्येक विषय पर प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : मैं बताना चाहूँगा कि नागा राष्ट्रीय परिषद् द्वारा नागा पहाड़ियों में वर्तमान आन्दोलन कैसे प्रारम्भ किया गया था । आसाम के राज्यपाल श्री अकबर हैदरी और आसाम के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री गोपीनाथ बारडोलाई और नागा राष्ट्रीय परिषद् में एक दस वर्षीय करार मई, १९४७ में हुआ था । वे स्वतन्त्रता नहीं अपितु भारत के अधीन अधिकतम स्वायत्त शासन चाहते थे । करार में बहुत सी बातों के अतिरिक्त भूमि और सीमा सम्बन्धी कुछ शर्तें थीं । करार में कहा गया था कि नागा परिषद् की सम्मति के बिना किसी गैर नागा को नागा पहाड़ियों में भूमि न दी जाये । वर्तमान प्रशासनिक विभागों के परिवर्तन के बारे में यह कहा गया था कि शिवसागर और नौगांव जिलों को हस्तांतरित सब वन नागा पहाड़ी जिले के अधीन रखे जायें तथा सब नागे एक प्रशासनिक इकाई के अधीन रखे जायें । करार की कालावधि के बारे में यह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रिशांग किशिंग]

कहा गया था कि वह दस वर्ष होगी जिसक पश्चात् वह अग्रेतर कलावधि तक बढ़ाई जा सकेगी अथवा नया करार किया जा सकेगा। इससे पता चलता है कि नागे भारत से अलग नहीं होना चाहते।

नये संविधान के लागू होने पर इस करार का अनादर किया गया। इसलिय कुछ आदिवादियों ने पूर्ण स्वतन्त्रता आन्दोलन आरम्भ किया। इस देश के नेताओं द्वारा दिये गये भाषणों और वक्तव्यों से उन्हें प्रोत्साहन मिला। ३०-११-४९ के हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारत के गवर्नर-जनरल श्री राजगोपालाचारी ने नागाओं के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि यदि वे चाहें तो भारत से पृथक हो सकते हैं। १९५३ में आसाम में कांग्रेस दल के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बी० चाविहा और श्री टी० सखिया में इस आशय का करार हुआ कि रक्तपात बन्द कर दिया जाये, नागाभूमि का झगड़ा निबटाया जाये, सारे झगड़े शान्तिपूर्वक सुलझाये जायें, वार्तायें इस आधार पर हों कि कांग्रेस दल नागाओं की स्वतन्त्रता को स्वीकार करता है और यदि नागा नेता बात-चीत करने के लिये सहमत हों तो आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष उचित वातावरण उत्पन्न करने में सहायता देंगे। नागा राष्ट्रीय परिषद् के लोग महात्मा गांधी से भी मिले थे।

नागा राष्ट्रीय परिषद् बड़ी लोक प्रिय है। जब वहां जनमत संग्रह किया गया तो सभी लोगों ने स्वतन्त्रता के पक्ष में मतदान दिया। जब प्रधान मंत्री वहां गये तो उनकी सभा का वहिष्कार किया गया। इसमें आसाम सरकार का भी दोष है। गलत धारणा उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व भी इसी पर है।

जब श्री ढेबर नागा पहाड़ी गये तो उन से नागा राष्ट्रीय परिषद् के लोगों को नहीं मिलने दिया गया। प्रधान मंत्री से मिलने के लिये भी उन्होंने एक तार भेजा था। पदाधिकारियों ने यह भेंट भी नहीं होने दी। नागे कहते हैं कि यदि उन्हें श्री ढेबर और प्रधान मंत्री से मिलने दिया जाता तो वर्तमान समस्या उत्पन्न नहीं होती। इस समस्या को अच्छे ढंग से नहीं सुलझाया जा रहा है। अभी तक श्री फ़ीजो प्रधान मंत्री और देश के अन्य नेताओं से मिलते थे। इन भेंटों के बारे में श्री फ़ीजो ने नागाओं को न मालूम क्या जानकारी दी हो।

हमें स्थिति पर बड़ी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सब नागे इस आन्दोलन का समर्थन नहीं करते। कुछ पढ़े-लिखे नागे पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्ष में नहीं हैं परन्तु वे फ़ीज़ो के दल क समान एक दूसरा दल बनाने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उन्हें भारतीय सरकार से शिकायत है। इस समस्या को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये तथा इसे छोटे नेताओं और स्थानीय प्राधिकारियों पर नहीं छोड़ना चाहिये। नागा पहाड़ियों में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाये जा रहे हैं तथा आतंकवादी जंगलों में छिपे हैं। हमारी सरकार उन सब देशवासियों को नहीं मार सकती। मैं नागा भाइयों से निवेदन करूँगा कि वे हिंसात्मक कार्यवाही छोड़ दें। पूर्ण स्वतन्त्रता देना असम्भव है; अतः उसकी मांग न की जाये। यदि नागे उचित रुख अपनायेंगे तो भारत सरकार सहमत हो जायेगी। सैनिकों को मनचाही कार्यवाही करने की अनुज्ञा न दी जाये। अतिवादी नागाओं से आत्म-समर्पण करने के लिये कहा जाये। वे अवश्य आत्म-समर्पण कर देंगे। ऐसे लोगों को क्षमा कर दिया जाना चाहिये। वहां पर शान्ति और व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिये।

अन्त में मैं सुझाव दूंगा कि यदि त्वेनसांग डिवीज़न और नागा पहाड़ी जिले को एक प्रशासन के अधीन रखा जाये तो यह समस्या सुलझ जायेगी। करार के अधीन भी यह स्वीकार किया गया था कि नागा पहाड़ियों से जो क्षेत्र ले लिये गये थे, वापस लेकर एक प्रशासन के अधीन रख दिये जायें। मैं सोचता हूँ कि मानवता, देश और इस आदिम जाति के हित की दृष्टि से यह कार्यवाही की जानी चाहिये और समझौता शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिये।

मनीपुर में प्रशासन ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भी अनेक शिकायत की गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वन अधिनियम लागू किया जा रहा है। मैंने प्रधान मंत्री को लिखा था कि जबकि पहाड़ों पर खेती की व्यवस्था करने, सड़कें बनाने और लोगों की शिकायत दूर करने का प्रबन्ध नहीं किया जाता, यह अधिनियम लागू नहीं किया जाना चाहिये। उन्होंने उत्तर दिया है कि यह कहना गलत है कि मनीपुर राज्य का सारा पहाड़ी क्षेत्र आदिम जाति के लोगों का ही है। इस सम्बन्ध मैं मेरा निवेदन यह है कि सारे आदिम जाति के व्यक्ति भारतीय हैं और उस क्षेत्र पर केवल आदिम-जाति के लोगों का ही अधिकार नहीं है क्योंकि इसका तात्पर्य यह होगा कि वे स्वतन्त्र राज्य हैं। लोग देश के प्रति मेरी निष्ठा में संशय करते हैं, यह बड़ी गम्भीर बात है। मैं देश के हित के लिये भरसक प्रयत्नशील हूं किन्तु कुछ पदाधिकारी कहते हैं कि मैं उन नागाओं में से हूं जिनको देश के प्रति निष्ठा नहीं है। ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। वन अधिनियम के लागू करने के कारण बहुत कठिनाई अनुभव हो रही है। रक्षित वनों को बढ़ाना चाहिये किन्तु सीमित रूप में और लोगों को खेती करने के लिये अन्य स्थान दिये जाने चाहिये। अभी सारे पहाड़ी क्षेत्र में स्थान परिवर्ती कृषि होती है। पहाड़ों को काट कर उन पर खेती करने के लिये खेत बनाये जाने चाहिये। सड़क बनाने का कार्य तो लगभग रुका पड़ा है। भूमि उनकी जीविका का साधन है जिसे आप ले रहे हैं। तेमेंगलांग क्षेत्र में खाद्यान्नों का अत्यन्त अभाव है। वहां लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने कुछ सदस्यों से लगभग ३०० रुपय एकत्रित कर उस क्षेत्र को भेजे। वहां के मुख्यायुक्त उन लोगों से रुष्ट हुए और कहा कि उन्होंने ये रुपये स्वीकार क्यों किये? मुख्यायुक्त मेरे कार्यों को संशय की दृष्टि से क्यों देखते हैं, इस पर गृह-मंत्री को ध्यान देना चाहिये। मुख्यायुक्त भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारी हैं और वह फूट पैदा कर शासन करने की अंग्रेजी नीति का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे रोकना चाहिये। आशा है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री मेरी इन बातों पर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : गृह-कार्य मंत्री कल उत्तर देंगे। मैं यह घोषणा करना चाहता हूँ कि इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में कुछ सदस्य भाग लेना चाहत थे, पर उन्हें अवसर ही नहीं मिला। मैं वित्त विधेयक की चर्चा पर उन्हें बोलने का अवसर दूंगा। मुझे खेद है कि सब सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६ क साढ़े दस बज तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २१४१

उनचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३

गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि

गृह-कार्य मंत्रालय तथा लोहा और इस्पात मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

M113LSD—18-11-57—190—GIPF